(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 13] पंचम् विधान सभा के तेरहवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3



शुक्रवार

25 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री रामसिंह कुडी ।

**तहसील मुख्यालयों पर न्यायिक दंडनायकों की अदालतें**

16. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में किस किस तहसील मुख्यालयों पर न्यायिक दंडनायकों के न्यायालय नहीं हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार एक लाख की आबादी वाली तहसीलों के मुख्यालयों पर न्यायिक दंडनायक की अदालत कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) राज्य में किस किस जिला मुख्यालयों पर सेशन्स जजों के न्यायालय स्थापित नहीं हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार अब सभी जिला मुख्यालयों पर सत्र न्यायालयों की अदालतें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

विधि मंत्री ( श्री खेतसिंह ) : (1) राजस्थान में तहसील मुख्यालयों पर जहां जहां न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय नहीं हैं, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) एक लाख की आबादी वाली तहसील मुख्यालयों पर न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय कायम किये जायें इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय से पूर्व परामर्श आवश्यक है।

(3) राज्य में निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर सेशन्स जज न्यायालय स्थापित नहीं हैं :--

1. बाड़मेर, 2. बून्दी, 3. चित्तौड़गढ़, 4. चूरू, 5. डूंगरपुर, 6. जैसलमेर, 7. जालोर, 8. झालावाड़,

# Page No 2

(२)



(श्री खेत सिंह)

9. नागौर, 10. सवाई माधोपुर, 11. सीकर, 12. सिरोही तथा 13. टोंक।

इनमें जिला मुख्यालयों पर सेशन्स जजों के न्यायालय स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। केवल निम्न स्थान ऐसे हैं जहां जिला मुख्यालय पर सेशन्स जज के न्यायालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है :—

(क) नागौर : इस जिले में मेड़ता शहर में जिला सेशन्स जज का न्यायालय स्थापित है जिसका अतिरिक्त बैठक का स्थान नागौर रखा गया है। इसलिये नागौर मुख्यालय पर जिला एवं सेशन्स जज न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है। मेड़ता में भवन पुराना बना हुआ है उसकी मरम्मत करा दी गयी है।

(ख) जैसलमेर : इस जिले में कार्य नहीं है और मुकदमों की संख्या भी नगण्य है इसलिये जैसलमेर में जिला एवं सेशन्स न्यायालय की स्थापना करना सम्भव नहीं है।

(ग) बाड़मेर : इस जिले में जिला एवं सेशन्स न्यायालय बालोतरा में स्थापित है जो बहुत पुराना है। इसको यहां से बाड़मेर में ले जाने का विचार नहीं है। उक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का अतिरिक्त बैठक का स्थान बाड़मेर किये जाने पर विचार हो रहा है जिससे इस समस्या का निराकरण हो जायेगा।

(घ) चित्तौड़गढ़ : इस जिले का जिला एवं सेशन न्यायालय प्रतापगढ़ में स्थापित है। इस न्यायालय का अतिरिक्त बैठक का स्थान चित्तौड़गढ़ किया जा चुका है एवं न्यायाधीश प्रतापगढ़ महीने में 10 दिन चित्तौड़गढ़ कैम्प रखते हैं।

(4) जी हां, शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय की घोषणा कर दी जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामसिंह कुडी : अभी आपने जो बताया कि जिला सेशन्स जज नागौर की अतिरिक्त बैठकें नागौर में होंगी, तो सत्र न्यायाधीश नागौर में एक महीने में कितने दिन बैठेंगे ?

श्री खेतसिंह : दस दिन। एक महीने मे दस दिन।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

श्री रामसिंह कुडी : यह कब से चालू हो जायेगा ?

श्री खेतसिंह : यह एक मई से चालू हो जायेगा।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जब राज्य सरकार गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट की बेंच का स्थानान्तरण जोधपुर से जयपुर कर सकती है तो फिर एक लाख से ऊपर वाली आबादी के तहसील हैडक्वार्टर्स पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के दफ्तरों को कायम क्यों नहीं करना चाहती है ? इसमें उसको क्या दिक्कत है ? एक लाख की आबादी वाले तहसील हैडक्वार्टर्स के लोगों को इससे राहत मिलेगी।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में एक लाख की आबादी वाले जो तहसील हैडक्वार्टर्स हैं वहां लोग ज्यादातर शान्ति में विश्वास करते हैं और वहां मुकदमें भी नहीं हैं। लोग वहां पर चूंकि लड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं इसलिये वहां मुन्सिफी कायम नहीं हो सकती है।

**श्री दीपंकर** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शान्ति और अशान्ति का नहीं है। वहां पर जिन लोगों के केसेज चलते हैं उनके अपने अपने मुकदमों की पेशियों में आने के लिए एक पेशी में करीब 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। उन लोगों को अपने स्थान से, जहां मुन्सिफ कोर्ट्स हैं, 25 मील दूर जाना पड़ता है, इससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। अगर आप यह व्यवस्था सभी जिलों में समानान्तर कर दें तो उचित होगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हाजी जान मोहम्मद।

**श्री दीपंकर** : मंत्री महोदय जबाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : आपको दे रहे हैं क्या ?

**श्री दीपंकर** : जी हां।

**श्री खेतसिंह** : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि क्या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट के भी कैम्प्स हो सकते हैं। इस पर विचार किया जा रहा है और जहां आवश्यक समझा जायेगा वहां पर सस्ता न्याय दिलाने की दृष्टि से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को कोर्ट्स को भी महीने में दस दिन कैम्प लगाने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न संख्या 17

**श्री अध्यक्ष** : श्री हाजी जान मोहम्मद।

( अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये )

श्री राम प्रसाद बोहरा।

**ग्राम डूंगर गांव में पुलिस चौकी की स्थापना**

18. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डूंगर गांव, तहसील झालरापाटन, थाना असनावर (जिला झालावाड़) में पहले पुलिस चौकी थी ? यदि हां, तो वह किस कारण हटा दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पहाड़ी जगह पर स्थित है और इसी जगह अकलेरा व झालरापाटन तहसीलों की सरहदें मिलती हैं, और यहीं से जंगल का इलाका शुरू होता है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी जंगल में होकर अक्सर मवेशी चोरी होते रहते हैं और मध्य प्रदेश पार कर ले जाते हैं और इसी कारण यहां पुलिस चौकी रखी गई थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार डूंगर गांव में फिर से पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो चौकी कब तक कायम कर दी जायेगी ?

**राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत)** : (1) जी नहीं।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(2) जी हां।

(3) मवेशी चोरी का केवल एक अपराध दो साल में घटित हुआ है। राज्य सरकार के पास डूंगर गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, स्टेट टाइम में यहां पर चौकी थी। आपने फर्माया कि यहां पर पुलिस चौकी नहीं थी, यह गलत है। यहां पर मवेशी की चोरियां होती हैं जो रजिस्टर नहीं की जाती, इसलिये आपने जो मुकदमों की तादाद बतायी वह कम है। यहां से पांच छः मील पर मध्य प्रदेश लग जाता है, इसलिये यहां पर पुलिस चौकी होना आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां के लिये पुलिस चौकी आवश्यक है और उसकी स्थापना के लिये आदेश दिया जाये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : स्टेट टाइम में यहां पर पुलिस चौकी थी, इसका मुझे पता नहीं। राजस्थान के निर्माण के समय से तो यहां पर पुलिस चौकी नहीं है। इसलिये मैंने प्रश्न के उत्तर में "जी नहीं" कहा। मवेशी की चोरियों के मुकदमे यहां पर दर्ज नहीं किये जाते, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। अगर ऐसी शिकायत आप देंगे तो निश्चित रूप से जांच करेंगे।

जहां तक चौकी कायम करने का सवाल है, चौकी कायम करने के लिये कुछ सिद्धांत तय किये हुए हैं, उनके आधार पर ही चौकी कायम की जाती है। आप इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रतिनिवेदन करेंगे तो उस पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री अमृतलाल गहलोत।

### ऊन के नये स्पिन्डल्स के लाइसेन्स

19. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में देश की लगभग 50 प्रतिशत ऊन का उत्पादन होता है, परन्तु ऊन की मिलों में स्पिनिंग कैपेसिटी देश की लगभग 5 प्रतिशत ही है ?

(2) यदि हां, तो क्या कारण है कि भारत सरकार ने राजस्थान में ऊन के नये स्पिन्डल्स लगाने के लिये लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है ?

(3) राजस्थान सरकार उपरोक्त असंतुलन को मिटाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान में ऊन का उत्पादन देश के उत्पादन का करीब 40 से 45 प्रतिशत होता है। देश की ऊनी मिलों की स्पिनिंग क्षमता के मुकाबले में राजस्थान की क्षमता के अधिकृत आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(2) यह सही नहीं है कि भारत सरकार ने लाइसेन्स देने बन्द कर रखे हैं।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से सतत् प्रयत्न किये गये हैं एवं भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि राजस्थान के प्रार्थना पत्रों की प्राथमिकता दी जाकर लाइसेन्स स्वीकृत किये जायें।

**श्री अमृतलाल गहलोत**: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया कि लाइसेन्स बन्द नहीं हुए हैं। मेरे पास सबूत है कि भारत सरकार ने लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सबूत है ?

**श्री अमृतलाल गहलोत** : पत्र लिखा है क्या मिनिस्टरी आफ इन्डस्ट्रीज को।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय सदस्य कहते हैं कि भारत सरकार ने लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है जब कि भारत सरकार ने राजस्थान में 1975, 1976 और 1977 में लाइसेन्स स्वीकार किये हैं। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है। भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। सन् 1975 में 600 स्पिन्डल्स लगाने का लाइसेन्स दिया गया था, बीकानेर में 600 स्पिन्डल्स का लाइसेन्स 1976 में दिया गया। इसी प्रकार 1200 स्पिन्डल्स का लाइसेन्स और दिया गया। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को भी 20 जनवरी 1977 में 1200 स्पिन्डल्स का लाइसेन्स स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार ने लाइसेन्स देना बन्द कर दिया है। भारत सरकार लाइसेन्स दे रही है और हम अपनी क्षमता के आधार पर अधिक लाइसेन्स लेने के लिये भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं और भारत सरकार विचार भी कर रही है।

**श्री अमृतलाल गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने लैटर देखा है। वे कहते हैं कि नहीं दे रहे हैं और आप कहते हैं कि दिला रहे हैं। क्या सारे कागजात आपके सामने पेश किये जायं तो दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : राजस्थान सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न करूंगा कि उनको निवेदन किया जाय और जो कुछ भी हो सकेगा वह करूंगा।

**श्री केदार नाथ** (गंगानगर) : स्पिनिंग केपेसिटी है उसका पर्सेन्टेज कितना है ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अलग से प्रश्न है। आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हनुमान सहाय।

**बैराठ (विराट नगर) तहसील का भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे**

20. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बैराठ (विराट नगर) तहसील का भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किस किस गांव में कितना कितना पानी है और किस किस ग्राम में पानी का अभाव है ?

# Page No 6

(6)



(श्री हनुमान सहाय व्यास)
कृपया सर्वे रिपोर्ट मय गांवों की सूची के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त क्षेत्र में किस किस अधिकारी द्वारा किस किस तारीख को किस किस ग्राम का सर्वे किया गया है? उनके नाम एवं टूर प्रोग्राम की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि भू-तल जल विभाग ने वैराठ तहसील के ग्रामों के विद्युतीकरण पर रोक लगाई है? यदि हां, तो क्यों और किस कारण से?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) पंचायत समिति विराटनगर का भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1974–75 में किया गया था।

(2) विराटनगर की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र को 4 पोटेन्शियल जोन्स ए, बी, सी, एवं डी में बांटा गया है। जिसके तीन जोन्स (बी, सी, डी) का क्षेत्रफल 151.205 वर्ग किलोमीटर है उनमें पानी निकास अधिक होने के कारण अतिरिक्त (सरप्लस) पानी का अभाव पाया गया है। व शेष एक जोन (ए), जिसका क्षेत्रफल 496.358 वर्ग किलोमीटर है, में भू-जल विकास के लिये पर्याप्त भू-जल उपलब्ध है।, जोनवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। भू-जल विभाग जोधपुर द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अब साइक्लोस्टाइल करवाया जा रहा है जिसके प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दिया जावेगा।

(3) इस सम्बन्ध में सूचना संकलित करने के आदेश मुख्य अभियन्ता (भू-जल विभाग) को दे दिये गये हैं।

(4) भू-जल विभाग द्वारा विद्युतीकरण में कहीं रोक नहीं लगायी गयी है। केवल विद्युत् मण्डल द्वारा मांग किये जाने पर किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में भू-जल उपलब्धि प्रमाण-पत्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हनुमानसहाय व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने पूछा था वह विराट नगर के सम्बन्ध में था। प्रश्न का जो जवाब दिया गया है वह पूरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कौन कौन अधिकारी किस किस दिन किस किस गांव में सर्वे करने गये? इसकी सूचना देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा है। कोई अधिकारी भू-जल विभाग का गांवों में सर्वे करने को नहीं जाता है। जयपुर में बैठे बैठे सर्वे रिपोर्ट दे देते हैं जैसी स्थिति है उससे स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि कुओं में पानी नहीं है। विराटनगर तहसील के सारे गांव नदी त्रिवेणी पर बसे हुए हैं। पानी की कमी नहीं है कुओं में। भू-जल मण्डल द्वारा वहां पर रोक लगायी गयी है। यह चिट्ठी लिख कर दी गयी है कि इन गांवों में पानी नहीं है इसलिये कनेक्शन नहीं दिया जाय। इसकी सूचना मुझे दुबारा मिलनी चाहिये इसलिये पुनः निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी इन्फार्मेशन मंगायी जाय।

श्री खेतसिंह : सूचना तो बिलकुल पूरी दी है। माननीय सदस्य को यह सेटिस्फेक्शन नहीं है जिन क्षेत्रों के लिये मैंने प्रश्न के जवाब में यह कहा कि रि-चार्ज कम है, और डिस्चार्ज ज्यादा है, जहां पर रि-चार्ज कम है और

(श्री खेतसिंह)
डिस्चार्ज ज्यादा है वहां सर्टिफिकेट देने का नहीं है। यदि सर्टिफिकेट देते जावेंगे तो काश्तकार को बड़ा नुकसान होगा आगे जाकर। अध्यक्ष महोदय, आपको इसकी जानकारी है कि चौमू एरिया में भी यह दिक्कत है। उन एरियाज में रिचार्ज कम है और डिस्चार्ज ज्यादा है इसलिये उन कुओं में एक डेढ़ फिट पानी नीचे जा रहा है। इसके लिये एक बिल भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। आप और भी विस्तृत जानकारी करना चाहें और आपको सेटिस्फेक्शन इससे न हो तो डिपार्टमेन्ट के अधिकारी को मौके पर भेज दूंगा। वह सारे मसले पर आपको सेटिस्फाई कर देंगे।

श्री हनुमानसहाय व्यास : आपने यह कहा कि आमद कम है और डिस्चार्ज ज्यादा है, लेकिन सवाल यह है कि पानी कहां से निकला। 50% गांव तो ऐसे हैं जहां पर बांध से पिलाई होती है अधिकारी लोग गांवों में जाते ही नहीं हैं और गलत रिपोर्ट पेश कर देते हैं और उस आधार पर सर्वे रिपोर्ट बन जाती है। कब गये और उन्होंने कब जांच पड़ताल की ? मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी जांच करें। डिस्चार्ज ज्यादा होता है इससे समस्या का हल नहीं होन वाला है। वास्तव में पानी है या नहीं। शाहपुरा पंचायत समिति में पानी है। थाना में पांच फीट नीचे पानी है। जिस इलाके में नहीं है, बिजली मत दो, कनेक्शन मत दो। तकनीकी रिपोर्ट तो पेश करें। पुनः आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि दुबारा जांच करायें, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय को पत्र के द्वारा निवेदन किया गया था और सूचना मिली कि दुबारा जांच करवा रहे हैं। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि दुबारा जांच कराइये और जिन अधिकारियों को भेजें उनकी सूचना पंचायत समिति को दी जाय ताकि पंचायत समिति के सदस्य जाकर साथ में उसको देखें।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य से मैं सहमत हूं। मैं अधिकारी को भिजवा दूंगा और उसकी सूचना पंचायत समिति, पंचायत को और माननीय सदस्य को भी भेज दूंगा जिससे वे स्वयं साथ जाकर देख लें कि मैंने जो रिपोर्ट दी है वह सही है या उसमें तरमीम होती है। यदि उसमें तरमीम होती है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा।

---

**सूर्य मंदिर झालरापाटन की मरम्मत का कार्य**

21. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर (जिला झालावाड़) बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है और विभाग इसकी मेन्टेनेंस नहीं करवा रहा जिसकी वजह से ऐतिहासिक मंदिर नष्ट हो जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसका एस्टीमेट वास्ते मरम्मत अभी तक नहीं बना है और कार्य चालू नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि गत सत्र में उक्त मंदिर के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया था कि इस मंदिर को पुरातत्व विभाग (सेन्ट्रल गवर्नमेंट) को सौंपा जा रहा

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं। बिजली गिरने से मंदिर का पूरा भवन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। केवल मंदिर के मुख्य गुम्बद के आगे की छोटी छतरी के दो पत्थरों के जोड़ के स्थान से जगह छोड़ने से थोड़ी दरार पड़ी है, जिसकी मरम्मत कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। उत्तर यह दिया गया था कि मामला विचाराधीन है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : बहुत ताज्जुब की बात है कि मरम्मत के कागज चल रहे हैं। 1 करोड़ की लागत का यह मंदिर है। न तो आप इसको पुरातत्व विभाग को देना चाहते हैं न विचाराधीन बताया। आपने गत विधान सभा सत्र में उत्तर दिया था कि पुरातत्व विभाग को सौंपा जा रहा है।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहते हैं कि पुरातत्व विभाग को सौंपने का निर्णय हुआ था सन् 1974 में लेकिन पुरातत्व विभाग से जो वापिस क्वेरी की गयी कि इसको हम पूर्णरूपेण लेना चाहें तो ले सकते हैं जब कि वहां पर मूर्ति की सेवा पूजा आदि सभी काम होते हैं और भी कर्मचारी वहां अपना काम करते हैं। इसके अलावा देवस्थान विभाग के अधीन दुकानें आती हैं। तो पुरातत्व विभाग चाहता है कि इसको कम्पलीट खाली करा दिया जाये। तो इसके ऊपर सोचना आवश्यक हो गया कि इसको लें या नहीं ? इसके ऊपर माननीय सदस्य और वहां की जनता विचार कर ले कि इसके ऊपर क्या करना है ? जहां तक रिपेयर का सवाल है यह असाधारण बना हुआ मन्दिर है जिसमें पुरानी तरह का काम हो रखा है। इसके लिए पी. डब्लू. डी. से एस्टीमेट्स नहीं आ सके और हमारे पास कोई अधिकारी ए.ई.एन. या एक्स.ई.एन. नहीं होने की वजह से हम उसका एस्टीमेट नहीं बना सके लेकिन मैं तो माननीय सदस्य को यही कहना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग कुछ शर्तों पर लेना चाहता है। अगर वहां की जनता सहमत हो तो वह अपनी सम्मति वहां से भिजवा दे और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी पुरातत्व विभाग से हम पूछ लेंगे। इसके ऊपर आप विचार कर लें और जहां तक देवस्थान विभाग से मरम्मत का सवाल है हमने सोचा है कि जैसी भी हमसे मरम्मत हो सकेगी हम वर्षाकाल से पहले इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 22

श्री हाजी जान मोहम्मद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

**हरियाली-डोगरा-जाखल-डेडवा आदि ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का कार्य**

23. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हरियाली डोगरा-जाखल-डेडवा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मंजूर की गई है ? यदि हां, तो योजना के तहत कितने गांवों को पानी दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत ग्राम भिवाड़ा, सागड़वा, भोटडा, रतनपुरा एवं चीतलवाना ग्रामों में भी पानी सप्लाई करने का सर्वेक्षण एवं प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो यह ग्राम अब उक्त योजना में कब तक सम्मिलित कर लिये जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम आकोली से भी इस क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के लिये पीने का पानी लिया जा सकता है ? अगर हां, तो ग्राम आकोली से अतिरिक्त पानी का सोर्स लेना क्या सरकार उचित समझेगी ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम डूंगरी सेसावा, आडावा, आरबा वगैरह में पीने का पानी खारा है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ग्राम डूठवा से पानी का सोर्स लेकर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना शीघ्र क्रियान्वित करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम सताणा, भयाणा, जैसला, नलदरा, दातियां एवं वांक में पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है ? अगर हां, तो इन ग्रामों में पीने का पानी किस क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा कब तक सप्लाई करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है ?

(6) क्या सिलू, गोलासणा, क्षेत्रीय योजना द्वारा उक्त ग्रामों को पानी सप्लाई करना राज्य सरकार उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम सूतडी वरणवा-सुराचंद-भ ातडा-पावटा आदि में किसी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा पीने का मीठा पानी सप्लाई करने की राज्य सरकार द्वारा कोई योजना सर्वेक्षण की गई है ? अगर हां, तो किन-किन ग्रामों की क्या योजना है एवं पानी का सोर्स कहां से लिया जावेगा ?

(8) क्या यह सही है कि देवडा-भावर।सिल-गोलासण-साकडा-सरणाक आदि का जल प्रदाय योजनायें अभी तक अपूर्ण है? अगर हां, तो इनको पूर्ण कब तक करवा दिया जायेगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह) :
(1) जी हां, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना डावल हरियाली 12.83 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत की गई है। योजना के अन्तर्गत 4 ग्रामों को जल देने का प्रावधान है।

(2) जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों में यह ग्राम सम्मिलित नहीं है एवं इन ग्रामों की जल प्रदाय योजन नहीं बनाई गई है।

(3) प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आकोली में उपलब्ध जल खारा है। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत मालवाड़ा में जल स्रोत

(श्री खेतसिंह)
रखा गया है जहां पर्याप्त जल मिलने की आशा है।

(4) प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अगडावा के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में पेय जल समस्या है। नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकती हैं।

(5) जी हां, नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें राशि की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत जा सकेंगी।

(6) उपरोक्त ग्रामों को जल देने हेतु उपयुक्त जल स्रोत के लिए विस्तार से जांच की जानी होगी। योजना स्वीकृत करने के बाबत प्रश्न (5) के अनुसार ही कार्यवाही सम्भव है।

(7) अभी तक उक्त ग्रामों के लिए विस्तृत जल प्रदाय योजना नहीं बनाई गई है। प्राथमिक जांच के उपरान्त बनाये गये मास्टर प्लान के अनुसार उक्त ग्रामों सहित कुल 30 ग्रामों को ग्राम तानवी में नलकूप बनाकर जल देने के प्रस्ताव हैं। किन्तु कोई भी योजना स्वीकृत करने से पूर्व इन प्रस्तावों की पुनः विस्तार से जांच की जानी आवश्यक है।

(8) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सांकड़-पालडीपुर के सभी 12 ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना छाव-हरनावास एवं सिलू आजेरा के 2-2 ग्रामों में जल वितरण करना बाकी है। इनमें से भी इस माह के अन्त तक जल वितरण प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो आपने डावल हरियाली योजना बताई इसमें पानी का सोर्स उपलब्ध है। मैंने तीन-चार गांव बताये जिनमें खारा पानी है तो उसमें जिला आयोजना समिति की स्वीकृति का प्रश्न नहीं है। यह एज ए होल योजना बनाई गयी थी तो इन गांवों को शामिल करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि योजना 12 लाख 83 हजार की स्वीकृत की गयी है, इस योजना में जैसा कि आप चाहते हैं 4 गांव और जोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए योजना की राशि और बढ़ानी पड़ेगी। आपने कहा है कि मालवाड़ा में सोर्स है और मैं भी समझता हूं कि मालवाड़ा में पानी का सोर्स अच्छा है। हम इन गांवों को इनक्लूड करके रिवाइज्ड योजना को पूरा कर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरी सरूपी योजना है उसमें चार नल कूप मीठे पानी के मिल गए हैं तो सताणा, भवाणा, जैसला आदि पास-पास के गांव हैं, इसी बेल्ट में हैं और ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा तो इन गांवों को जोड़न का सरकार विचार करेगी? जब नल कूप मीठे मिल गए हैं और पास-पास गांव इसी बेल्ट में है और जब वहां बिलकुल खारा पानी है और पानी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी हालत में इन गांवों को भी जोड़ने पर सरकार विचार करेगी?

श्री खेतसिंह : मैंने जो जवाब दिया उसमें तो यह बात नहीं है जो आपने कही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी निकले हैं यह नलकूप।

श्री खेतसिंह : आपने कहा है कि वहां इतना पर्याप्त पानी मिल गया है तो उसके बाद में यह देखना पड़ेगा कि पाइप लाईन सफीशियेन्ट है कि जिन गांवों को आप जुड़वाना चाहते हैं उनके लिए। इसके अलावा यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी इतनी कैपेसिटी है कि ओरीजिनल स्कीम होते हुए उन गांवों को भी पानी दे सकेंगे। यह सारी स्टडी करने के बाद में आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर पानी सफीशियेन्ट होगा और पाइप लाईन की कैपेसिटी होगी तो इन गांवों को भी जोड़ने में मुझे एतराज नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी दूसरे डूंगरी सेसावा, आडावा, आरवा विलेज हैं, इनको हमेशा टैंकरों से पानी दिया जाता है। इन गांवों को देने के लिए मीठा पानी है और सेसावा डूंगरी में एक बूंद भी पानी नहीं है, तो इन दो गांवों को, प्रायोरिटी से इस स्कीम को मन्जूर करके पानी देने पर सरकार विचार करेगी ? इसके अलावा आपने अभी एक स्कीम जालोर में स्वीकृत की है जिसमें पानी की जरूरत नहीं है और हमारी जिला आयोजना समिति को बाई-पास करके मन्जूर कर दी। उसके बजाय तो यहां पानी दे सकते हैं।

श्री खेतसिंह : मुझे तो मालूम नहीं है कि कौनसी स्कीम जालोर की बाई-पास करके मन्जूर की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीखी की योजना है। वहां 8–10 लाख रुपया लगा रहे हैं और यहां इन गांवों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो इसको एग्जामिन कीजिए और जहां पानी का भयंकर संकट है उसको दूर करने का कष्ट करें।

श्री खेतसिंह : मैं और जानकारी कर लूंगा।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि जानकारी कर लूंगा। आप किस विभाग से जानकारी कर लेंगे ? जो विभाग गलत जानकारी देता है उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते। भू-जल विभाग वालों ने हर बार जहां-जहां नल योजना की स्कीम बनाई है गलत सूचना दी है। उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते। क्या आप यह आश्वासन देते हैं कि गलत जानकारी देने पर आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो आपने बताया है हमने वापस मीटिंग जिला कमेटी की कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है और यह कहा है कि इस योजना को आप स्थगित करके इसके बजाय जहां जिले में भयंकर पानी का संकट है—जैसा कि अभी मैंने उदाहरण बताया, उसको आप री-कन्सीडर करें। अभी तो उस स्कीम पर काम ही शुरू नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह : मैं अवश्य ही जो आपने कहा है उसको उचित समझता हूं। जहां भयंकर संकट है उसको प्राथमिकता देते हुए ही वापस देखूंगा कि कौनसी ऐसी योजना हमने मन्जूर कर दी है जहां हैंड-पम्प लगे हुए हैं और पानी की दिक्कत नहीं है या तो ऐसा हुआ होगा कि दो हजार की आबादी से ज्यादा होने पर क्राइटेरिया में आ गयी होगी। अभी मुझे कारण तो नहीं मालूम है लेकिन मैं मालूम कर लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्राथमिकता

(श्री खेतसिंह)

उन्हीं को दी जायेगी जहां सबसे ज्यादा पानी का संकट है लेकिन उसी हालत में जब कि हमें सोर्स भी उपलब्ध होगा ? संकट होते हुए भी अगर सोर्स उपलब्ध नहीं होता तो हमारे लिए मुश्किल होता है और योजना नहीं बन पाती है।

माननीय सदस्य श्री नानालालजी ने कहा, इससे भू-जल विभाग का तो कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी अगर आपको यह शिकायत है भू-जल विभाग से तो कृपा-पूर्वक मुझे लिखित में दे दें कि हमारे एरिया में फलां जगह गलत रिपोर्ट दी है। मैं उसकी जांच करवा कर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

**झालावाड़ जिले के उद्योगों को ऋण की व्यवस्था**

24. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला झालावाड़ में ग्रामीण उद्योग परियोजना चालू हो गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को सस्ती दर पर स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया या इसकी सहायक ब्रांचें तथा लीड बैंक, सैन्ट्रल बैंक ग्राफ इन्डिया भी लोन उपलब्ध नहीं करा रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा उपयुक्त व्यवस्था कब तक दी जावेगी ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां, वर्ष 1973–74 से योजना चालू हो गयी है।

(2) स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया की सस्ती ब्याज दर की स्कीम अभी झालावाड़ में लागू नहीं हुई है क्योंकि यह स्कीम अब तक चौथी योजना काल में चयनित जिलों में ही लागू की गयी है। स्कीम को इस जिले में शीघ्र ही लागू करवाये जाने के प्रयास विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**नगर विकास न्यास, जोधपुर को सरप्लस इनकम की राशि**

25. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि नगर विकास, जोधपुर के गठन के पूर्व जोधपुर नगर के विकास का कार्य सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर करती थी ?

(2) क्या यह सही है कि सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर के गठन के पूर्व जोधपुर नगर के विकास का कार्य डवलपमेंट डिपार्टमेंट जोधपुर करता था ?

(3) यदि हां, तो डवलपमेंट डिपार्टमेंट जोधपुर, सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर एवं नगर विकास न्यास, जोधपुर का गठन कब से हुआ ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(4) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जोधपुर के गठन के पूर्व डवलपमेंट डिपार्टमेंट, जोधपुर एवं सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी जोधपुर की सरप्लस स्कीम की धनराशि रु. 9,78,258) राजस्थान राज्य सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में वर्षों से जमा पड़ी है जो नगर विकास न्यास, जोधपुर को कभी की मिल जानी चाहिए थी ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि के देने के संबंध में नगर विकास न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 10212 दि 6-9-72, 2134 दिनांक 2-7-75, तथा 1147 दिनांक 30-1-76 एवं अपने स्मरण-पत्रों द्वारा शासन सचिव, नगर आयोजना विभाग को निवेदन किया परन्तु राज्य सरकार अब तक पूर्णतया निष्क्रिय बैठी रही ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों एवं उनके उत्तरों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वर्षों से अपने पास रोकने के कारण जोधपुर नगर के विकास को अत्यन्त बाधा पहुंची है ? यदि हां, तो यह राशि मय ब्याज के नगर विकास न्यास, जोधपुर को कब तक वापिस दे दी जायेगी ?

(7) क्या यह सही है कि वित्त विभाग से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई ?

(8) राज्य सरकार लाखों रुपया प्रति वर्ष राजस्थान में नगर विकास न्यासों एवं नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को सड़कों व नालियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में देती है तो इस राशि में से नगर विकास न्यास, जोधपुर को उपरोक्त रु. 9,78,258) की जमा राशि के लौटाने के स्थान पर अनुदान के रूप में क्यों नहीं देती ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री खेतसिंह) :

(1) जी हां

(2) जी हां

(3) क्रमशः गठन दिनांक 1-4-50, 1-4-1956 एवं 1-11-1960 को हुआ।

(4) नगर विकास न्यास ने यह राशि बतलाई लेकिन यह सरप्लस में है या नहीं, यह जांच करवाई जा रही है। धनराशि दिये जाने के बारे में वित्त विभाग से परामर्श जारी है।

(5) नगर विकास न्यास, जोधपुर से पत्र प्राप्त हुए तथा जमा राशि का सत्यापन अंतिम तौर पर होने पर न्यास को देने के औचित्य पर विचार किया जायेगा। इस मामले में निष्क्रियता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अनेकों जगह के पुराने वाउचर्स का मिलान बैठाना आवश्यक था। इसलिये देर हुई।

(6) मामला अभी विचाराधीन है; वित्त विभाग से परामर्श जारी है व यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा।

(7) जी हां, मामला विचाराधीन है।

(8) इस राशि में से अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता। न्यास से कोई प्रस्ताव आने पर अनुदान देने के औचित्य पर विचार किया जा सकेगा।

(14)



श्री अमृतलाल गहलोत : यह राशि तीन दशक और चार दशक से जमा है। चार साल से यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी निर्णय तक नहीं पहुंचा। 30 या 40 साल हो गये नतीजा यह हुआ कि जहां 40 साल पहले मकान बने थे, वहां कच्ची सड़कें हैं, पानी आदि की व्यवस्था नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या हल हो सकता है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राशि उस वक्त राज्य सरकार के कन्सोलीडेटेड फंड में जमा हुई थी। उस वक्त अलग-अलग न्यास थे, अलग-अलग राशि जमा थी। जब तक पूरा पता नहीं लगता है उस वक्त राज्य सरकार ने अपने कन्सोलीडेटेड फण्ड से इसके अगेंस्ट में कितनी राशि दी है तब तक इस राशि के बारे में निर्णय करना संभव नहीं है। हमने जमा राशि के बारे में सत्यापन करवा लिया है और जमा राशि के बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। जहां तक जोधपुर नगर विकास न्यास को राशि देने का सवाल है 1974-75 में 27 लाख दी है। 1975-76 में 14.39 लाख दी है और 1976-77 में 7.61 लाख दी है। इसी तरह से प्लाटों के डवलपमेंट में 3.50 लाख रुपये की राशि इस वर्ष अलग से दी है। 1976-77 तक जोधपुर को लगभग 52.55 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार दे चुकी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अभी आपने बताया लाखों रुपयों का अनुदान नगर विकास न्यास को भेज चुके हैं लेकिन कच्ची बस्तियां कवर नहीं होतीं ?

श्री खेतसिंह : जब-जब नगरपालिका का प्रस्ताव आया है राज्य सरकार ने विचार किया है। नगर विकास न्यास, जोधपुर से इस के बारे में प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राम प्रसाद बोहरा।

**झालावाड़-झालरापाटन में पेय जल की व्यवस्था**

26. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ व झालरापाटन शहर में वाटर टैंक न होने के कारण पेय जल सप्लाई में रुकावट आती है और नलों में पानी का प्रेसर बहुत कम रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ में पाइप लाइनें कम होने के कारण नियमित रूप से मोहल्लों में पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो पाती ?

(3) झालावाड़ व झालरापाटन में नियमित रूप से पेयजल सप्लाई के लिये वाटर टैंक कब तक बन जायेंगे और पाइप लाइनें बढ़ाने की कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। झालावाड़ एवं झालरापाटन दोनों ही शहरों में वाटर टैंक हैं एवं यदि समय पर विद्युत् व्यवस्था में कोई

(श्री खेतसिंह)
अड़चन न हो तो नलों में पानी का प्रेसर भी ठीक रहता है।

(2) जी नहीं। विद्युत् व्यवस्था में अड़चन न होने की स्थिति में सभी जगह ठीक प्रकार से जल वितरण होता है।

(3) दोनों ही शहरों में वर्तमान में टैंक है। बढ़ती हुई आबादी एवं जल की आवश्यकता के साथ उपलब्ध धन राशि के अनुसार विभाग द्वारा समय-समय पर पाइप लाइन बढ़ाने की कार्यवाही की गई है। इस वर्ष भी झालरापाटन में 10,000 रुपये एवं झालावाड़ में 15,000 रुपये पाइप लाइन के विस्तार के लिये आवंटित किये गये हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : झालरापाटन में लोहे का एक पुराना टैंक है उसको चेन्ज किया जाय। झालावाड़ में जो टैंक है वह कुछ नीचा है। इसकी वजह से वहां प्रेसर अच्छी तरह से नहीं आता है।

श्री खेतसिंह : झालरापाटन में 36 हजार गैलन क्षमता का ओवर हैड लोहे का टैंक है और पुराना है और झालावाड़ में 75 हजार गैलन का टैंक बना हुआ है। अभी हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है जो दोनों टैंक नये बना दिये जायें। जैसा कि आपने सुझाव दिया है योजना में हम इसको रख देंगे। जब धन की उपलब्धि होगी, इस पर विचार किया जायेगा। अगर विद्युत् बराबर मिलती रहे तो टैंक छोटे होते हुये भी पानी की कमी नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामसिंह कुड़ी।

### नागौर जिले में पीने के पानी की क्षेत्रीय योजना

27. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में पीने के पानी की क्षेत्रीय योजनायें बन चुकी हैं? यदि हां, तो वे कब-कब शुरू होंगी?

(2) नागौर जिले की चालू क्षेत्रीय योजनाओं में चालू वर्ष में कितना-कितना विस्तार किया गया है?

(3) नागौर जिले के खारे पानी के कितने गांव ऐसे शेष हैं जिनकी क्षेत्रीय योजनायें नहीं बनी हैं?

(4) नागौर जिले की शहरी योजनाओं में कितना-कितना परिवर्द्धन इस वर्ष में होगा?

(5) नागौर जिले की कौन कौन सी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें वर्ष 1977-78 में चालू होंगी?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) नागौर जिले में अभी तक 33 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना 302 ग्रामों के लिये स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से 28 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत 236 ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है एवं शेष में निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह आशा है कि शेष में से लगभग 27 ग्रामों में जल

(श्री खेतसिंह)
वितरण अगले वित्तीय वर्ष तक एवं अन्य 39 ग्रामों में वर्ष 78–79 तक जल वितरण किया जा सकेगा।

(2) इस वर्ष क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दयालपुरा में 5 ग्राम एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मालासुखा में 13 ग्राम के विस्तार की योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

(3) जिला नागौर में 840 ग्राम ऐसे हैं जिनमें क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना होनी चाहिए इनमें से 158 ग्रामों में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना स्वीकृत की जा चुकी हैं व शेष 682 ग्रामों में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना स्वीकृत की जानी बाकी है।

(4) नागौर जिले में नागौर नगर की पुनंगठन जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है एवं इसके लिए इस वर्ष राज्य अंश का 3.00 लाख रु. आवंटित है। अन्य नगरों में पाइप लाइन बढ़ाने एवं बोरहोल हेतु आवंटित राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) वर्ष 1977–78 में जल प्रदाय योजनायें चालू करने के बाबत आवंटित राशि के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी किन्तु यह आशा है कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लूण्वा–पीपरली, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मातासुखा प्रथम, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चन्दराई–लूकास पूर्ण रूप से चालू कर दी जायेगी एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सांवराद, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दयालपुरा, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अलाव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दयालपुरा-द्वितीय एवं रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना केराप आंशिक रूप से चालू कर दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रामसिंह कुडी : जिन गांवों में जल प्रदाय योजना नहीं चल रही है, उनकी सूची आपने नहीं दी है।

श्री खेतसिंह : गांवों की संख्या दे दी है। आप सूची चाहते हैं तो सूची भी मैं दे दूंगा।

श्री रामसिंह कुडी : क्या सरकार अब शीघ्र ही इन गांवों की योजना को चालू करने का विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह : सरकार जन-कल्याण के लिये निश्चित तौर से यह चाहती है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान होना चाहिये लेकिन धनाभाव के फलस्वरूप सरकार एक साथ सारे कार्य हाथ में लेने में असमर्थ है।

श्री रामसिंह कुडी : ऐसे गांवों की योजना को प्राथमिकता देने की क्या धारणा है ?

श्री खेतसिंह : ग्राम तौर पर उन्हीं गांवों को प्राथमिकता देते हैं जहां पानी खारा होता है और पानी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने माननीय सदस्य से कहा कि ऐसे बहुत से गांव हैं जिनको हमें पीने का पानी देना है लेकिन धन की कमी होने के फलस्वरूप हम उनको एक साथ प्राथमिकता देने में अभी असमर्थ हैं।

श्री रामसिंह कुडी : दो हजार की जनसंख्या वाले गांवों को तो....

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रश्न कर लूं। प्रश्न कर्ता ने प्रश्न नं. (2) में पूछा है "नागौर जिले की चालू क्षेत्रीय योजनाओं में चालू वर्ष में कितना कितना विस्तार किया गया है"। तो जैसे भाकड़िया से योजना बनाई है उससे गांव काकड़िया दूर है। इसका पानी मीठा है और अभी हालत यह है कि इस गांव में ट्यूब वेल खोदने से पानी नीचा चला गया। तो भाकड़िया जो काकड़िया से दूर है उस गांव की योजना को ही छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन है कि कम से कम उस गांव को तो ध्यान में रखकर, जो इस प्रकार की कमी रह गई है, उसको दूर करने का क्या सरकार का इरादा है ?

श्री खेतसिंह : आपने जो सूचना दी है उसकी सूचना न मुझे है और न मेरे विभाग को है। अब मैं जानकारी करूंगा कि इस लाइन से और गांवों को पानी दे सकते हैं। आपने यह कहा है कि जहां ट्यूब वैल्स खोदे हैं वहां का पानी नीचा जाता जा रहा है तो यह तो · · ·

श्री दीपंकर : मेरे कहने का मतलब यह नहीं है जुझार को छोड़ दिया और दूसरे गांवों को ले लिया गया है।

श्री खेतसिंह : आपका मतलब है जहां से सोर्स लिया है उस गांव को छोड़ दिया गया है (विराम) हमने यह डिसिजन ले लिया है कि जिस गांव से सोर्स लेंगे उसको निश्चित तौर से पानी दे दिया जायगा।

श्री दीपंकर : अच्छी बात है। धन्यवाद।

श्री रामसिंह कुडी : आपने एक तहसील में भी एक जगह ही पानी दिया है सात जगह नहीं दिया है जिनकी आबादी 700 से ऊपर है।

श्री खेतसिंह : इसमें भी मैं निवेदन करना चाहता हूं हम रेवेन्यू विलेज को ही गिनते हैं। ढाणियां तो जगह जगह बिखरी हुई हैं। अगर हर एक ढाणी को पानी देने की योजना बनावें तो जल प्रदाय विभाग का पूरा बजट ही वहां समाप्त हो जायेगा।

श्री रामसिंह कुडी : ढाणी नहीं गांव है।

श्री खेतसिंह : खाटू के अन्दर ही ढाणी है।

श्री रामसिंह कुडी : उसका नाम अलग है और सीमा खाटू की अलग है। उनिरा, रेतवाद आदि बहुत सारे उप गांव हैं।

श्री खेतसिंह : मेन विलेज तो खाटू है। मैं ढाणी को नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा।

**तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण एवं पंचायतों का मुआवजा**

28. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 3 वर्षों से ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में तेन्दू पत्तों का ठेका नहीं दिया जा रहा है ?

# Page No 18

(18)



(श्री राम प्रसाद बोहरा)

(2) क्या यह भी सही है कि जब से तेन्दू पत्तों का राष्ट्रीयकरण हुआ तभी से पंचायतों को मुआवजा दिये जाने का राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो अब पंचायतों को 3 साल का औसत से मुआवजा कब तक दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति खराब है और तीन साल से तेन्दू पत्ते का ठेका उनका रुका हुआ है तो उनको भी विकास के कार्यों के लिए जरूरत है। यह मुआवजा आप कब तक दे देंगे और किस औसत से दे देंगे ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत समिति को मुआवजा देने का सवाल हैं तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से इनके लिये अलग से कोई प्रावधान नहीं होने से दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है जो इन्होंने अपनी इन्कम दिखाई है उसके सम्बन्ध में 10 साल की इन्कम का हिसाब पंचायत समिति से मांगा है लेकिन इन्होंने आज तक 10 साल का हिसाब नहीं भेजा। फिर भी पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी हमने पिछले महीने विभागीय मीटिंग में सिद्धान्ततः यह तय किया है कि सन् 74 से तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीकरण हुआ हैं और 73 की जो आमदनी है उस आमदनी का करीब 75 प्रतिशत दे दें ताकि राहत मिल सके। उसके बाद फार्मूला तय किया है कि निम्न आय वाली पंचायत समिति की औसत निकालकर फिर रकम का एडजस्टमेंट करेंगे। हमको यह भी तय करना है। अब सारा मामला विभाग को जायेगा और विभाग की सहमति होने के उपरान्त ही कोई निपटारा कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### नगरपालिका बोर्ड पिड़ावा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति

17. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जब से नगरपालिका बोर्ड पिड़ावा बना है तब से आज तक उसकी कितनी मीटिंग हुई और उसके कितने ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने एक भी मीटिंग में भाग नहीं लिया ?

(2) क्या यह सही है कि 22–2–77 तक नगरपालिका बोर्ड पिड़ावा की कई मीटिंग हो चुकी हैं एवं इनमें से एक भी मीटिंग में सहवृत्त सदस्या रतनबाई एवं चन्द्रमुखीबाई उपस्थित नहीं हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका एक्ट में यह प्रावधान है कि जो सदस्य या सदस्या तीन महीने या तीन मीटिंग में लगातार भाग नहीं लेते हैं तो ऐसे सदस्य को सदस्यता से हटाया जा सकेगा ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त दोनों सद-

(श्री हाजी जान मोहम्मद)
स्याओं की सदस्यता खत्म की जायेगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका मंडल की 11 मीटिंग हुई। विस्तृत सूचना संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। श्रीमती रतन बाई व श्रीमती चन्द्रमुखी बाई नगरपालिका की विशेष बैठक दिनांक 22-11-76 व 22-2-77 में उपस्थित थीं।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी सदस्य जो कि मंडल की बैठकों में से तीन क्रमिक माहों से अधिक अवधि के लिये या क्रमिक तीन सामान्य बैठकों से, जो भी अधिक कालावधि हो मंडल से अवकाश लिये बिना अनुपस्थित रहा है तो राज्य सरकार ऐसे किसी सदस्य को हटा सकती है। श्रीमती रतन बाई एवं श्रीमती चन्द्रमुखी बाई सदस्याओं के मामले में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कारण बताओ नोटिस दिया जाकर 15 दिन में उत्तर मांगा गया है।

पिड़ावा के भूतपूर्व थानेदार के विरुद्ध शिकायत

22. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिडावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब परिवार नियोजन का अभियान चल रहा था उस समय श्री शिवसिंह थानेदार पिड़ावा, जो अभी बूंदी में है, ने जाब्ते सहित ग्राम डोला व ग्राम गर्दन खेड़ी में बस ले जाकर जनता के साथ काफी सख्ती की ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री शिवसिंह भूतपूर्व थानेदार पिड़ावा रात के 11-12 बजे मय जाब्ते के उपरोक्त दोनों ग्रामों में लोगों के घरों में जबरन दरवाजे तोड़कर अन्दर घुस गये, उनकी औरतों को भी फोश-फोश गालियां बकीं, कई लोगों के छप्पर तोड़ दिये और डंडों से पीटते हुए कई लोगों का जबरन बस में बिठाकर पिड़ावा अस्पताल में ले जाकर उनकी जबरन नसबन्दी करा दी ? अगर हां, तो भूतपूर्व थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम गर्दनखेड़ी एवं डोला के कुछ व्यक्तियों ने श्री देवपुरा साहब (इन्चार्ज 20 सूत्री कार्यक्रम) को लिखित रूप में भूतपूर्व थानेदार एवं भूतपूर्व डाक्टर गुलाब चन्द बंसल की शिकायत की थी और इन शिकायतों की जांच करने के लिए श्री देवपुरा साहब ने जिलाधीश झालावाड़ को लिखा था ? अगर हां, तो जिलाधीश ने जांच के बाद क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

सर्व श्री रामसिंह कुडी व भोमाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

नागौर जिले की तहसील डीडवाना तथा जायल तहसील के कुछ गांवों के पीने का पानी के कुओं का पानी जहरीला हो जाने के विषय में।

श्री केशरी मल, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर एम. टी. सी. के कारखाने के श्रमिकों द्वारा गत 15 मार्च से की जा रही भूख हड़ताल के विषय में।

श्री मनोहर लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम कैथवाड़ा तहसील कामां जिला भरतपुर के अनुसूचित जाति के परिवारों को पानी की झील में आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

**श्री केशरीमल (ब्यावर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन कर दूं। अजमेर के एम.टी.सी. के कारखाने में बहुत पूंजी लगी हुई है और सारे देश में इसकी अच्छी व्यवस्था है। इस कारखाने में जो बनने वाली मशीनें हैं वे कीमती हैं और बहुत बढ़िया हैं। इस कारखाने में पिछले एक साल से वेतन सम्बन्धी तथा कार्य करने की बाबत कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अजमेर के व्यवस्थापकों ने मजदूरों पर नया कर भार लगाने का प्रयास किया है जो उनके समझौते के विपरीत है। वे अपनी मर्जी से कुछ लगाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिये। वहां की जो यूनियन है उनसे समझौता करके ही लागू करना चाहिये। साथ ही उनके वेतन सम्बन्धी मामले को भी देखना चाहिये, यह नहीं देखा जा रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। 15 तारीख से भूख हड़ताल की जा रही है। मैं चाहता हूँ इस मामले को सुलझाया जाय ताकि मजदूरों को न्याय मिले। अजमेर का यह बहुत बड़ा कारखाना है, बड़ी वकत रखता है। इसलिये निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करे।

**श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में यह चल रहा है इसलिये मुझे भी दो शब्द कहने की इजाजत प्रदान करें...

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन आपका नाम एडजोर्नमेंट मोशन में तो नहीं है।

**श्री किशन मोटवानी** : मेरे क्षेत्र का मामला है। दो मिनट दे दें तो क्लेरिफाई हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : रिप्लाई के समय बता दीजिये...

**श्री किशन मोटवानी** : मैं भी जानकारी दे सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभावित ज्यादा हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है। दो मिनट की इजाजत दे दें तो...

**श्री अध्यक्ष** : नियमों में तो आता नहीं है।

**श्री किशन मोटवानी** : नियमों में तो मूवर है, उसको भी नहीं है।

(श्री किशन मोटवानी)

अध्यक्ष महोदय, एम. टी. सी. का कारखाना एच. एम. टी. में परिवर्तित हुआ और उसके हुये डेढ़ साल हो गये हैं। मज-दूरों की यह मांग थी कि एच.एम.टी. की जो ग्रेड्स हैं वही रेशनली लागू कर देनी चाहिये। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा सम-झौता जो हुआ था उसमें अभी एक साल और है और अभी वह चलेगा। लेबर ने ईमानदारी से उसको निभाया। जब सम-झौता हो गया था तो एच.एम.टी. की जो ग्रेड हैं वह देनी चाहिये। इसी बात का वहां पर गत्यावरोध है। छः ग्रेड तो मैनेज-मेंट ने मानली हैं और दो ग्रेड की गड़बड़ी है। मैनेजमेंट ने थोड़ा प्रतिष्ठा और मान-हानि का प्रश्न बना लिया है। इसलिये राज्य सरकार को इन्टरवीन करना चाहिये। इसने हमारे चुनावों पर भी काफी प्रभाव डाला है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार को तुरन्त लेबर विभाग से इन्टरवीन कराकर जो थोड़ी सी बात पर मामला अटका हुआ है उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।

श्री भोमाराम (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह यह है कि मेरे क्षेत्र में ग्राम सेराणियां की ढाणियां, सागू खुड्द, डाग, खरवालिया आदि ऐसे गांव हैं जहां बेनामी जमीनों पर, चरागाह में कुए हैं और उनमें मीठा पानी है लेकिन दो साल से बारिश ज्यादा होने से ऊपर से पानी आ जाने से उन कुओं का पानी खारा हो गया है। हमने वहां पर बारिश के पानी को कुओं से निकालने की कोशिश की लेकिन बेरों का पानी टूट नहीं रहा है। इसलिए अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की मशीनों को भेज कर वहां का पानी तोड़ना चाहिए। इन गांवों में मीठे पानी की बहुत भारी समस्या है।

दूसरा निवेदन यह है कि निमी में फैक्ट्री से पाइप लाइन के कनेक्शन लगे हुए हैं और रामसावास, लाडावास, खात्यासनी को पानी मिलता है। लेकिन अब फैक्ट्री वालों ने पानी देना बन्द कर दिया है। अब वे जुर्माना करते हैं, पानी देते नहीं हैं और इससे भी इन गांवों में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। लोगों को चार-चार माइल दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए कम से कम टंकी से व्यवस्था होनी चाहिए या उनकी लाइन बालिया से जोड़ी जावे। इसकी व्यवस्था अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से होनी चाहिए ताकि उनको पूरा पानी मिल सके।

इसी तरह से मंडूपुरा में हौज है, पाइप लाइन है पर पानी चालू नहीं है। इसलिए इन चन्द गांवों में पानी पहुंचाया जावे और मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दो गांव आते हैं भावला और डोडू। इन गांवों में पानी वर्षा से जह-रीला हो जाने से दो सौ पशु मरे और इसके लिए जिला आवंटन कमेटी ने भी सिफारिश की। जो पानी है वह बहुत दूर है। वहां का पूरा का पूरा गांव बहुत गरीब लोगों का है, फौजियों का है। इसलिए ऐसे गांवों के लिए पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था राज्य सरकार अवश्य करे। भावला गांव है वहां के लोगों को

(श्री रामसिंह कुड़ी)

भी पानी लाने के लिए डेढ़-डेढ़ मील तक जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस संबंध में कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री **मनोहरलाल (कामां)** : मान्यवर, गांवों में इमर्जेंसी के अन्दर और कुछ चुनावों के आस पास गरीब लोगों को फसलों के लिए और घर बार बनाने के लिए कुछ प्लाट्स का अलाटमेंट किया गया। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सभी जगह या तो जंगलों में हैं या गड्डों में हैं और गांव से काफी दूर गरीबों को बसाने की कोशिश की गई है। वैसे ही गरीब लोग जाति बाहर तो होते ही हैं अब उनको गांव बाहर करने की कोशिश की जा रही है। सारे ही गांवों में ऐसी स्थिति है कि उनको छोटी छोटी जमीनें बांटी गई हैं जहां पर तालाब है, जंगल हैं, गड्डे हैं जो काबिल रिहायश नहीं है। यही स्थिति कामा तहसील में ग्राम कैथवाड़ा की है। वहां पर हमने कहा कि आबादी के अन्दर अच्छी जमीन है उसे आप दे दें। उन्होंने उस जमीन को नहीं दे करके डेढ़ दो मील दूर गड्डों में 66 व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड दिए हैं। वह भूखण्ड पानी से भर गए और जो गांव में अच्छी जमीन थी वह बड़े काश्तकारों को सरपंच ने चोरी से दे दी। गांव में झगड़े की नौबत आ गई। बन्दूकें निकल गईं और पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा, आज भी मान्यवर, वहां ऐसी तनाव की स्थिति है और कभी भी कोई घटना हो सकती है। मान्यवर, कैथवाड़ा के हरिजनों को और गरीब लोगों को जो प्लाट दिए गए हैं वह गड्डे में दिए गए हैं जहां पानी भरा हुआ है और बड़े लोगों को चोरी से अच्छी आबादी की जमीनें दी हैं। सरपंच को देने का अधिकार नहीं था लेकिन सरपंच ने जो अच्छे प्लाट थे आबादी के उनको अपने दोस्तों और बड़े काश्तकारों को दे दिए। मान्यवर, मेरा निवेदन करना है कि ऐसे लोगों को सरकार ने गड्डे में डाला और उन लोगों ने इनको गड्डे में डाल दिया। जब वोट मांगने गए तो उन लोगों ने कहा कि हम छोटे छोटे गांवों में ऐसे ही बैठे हुए थे, अपनी जिन्दगी काट रहे थे, आपने हमें गड्डे में डाल दिया। आपने असंतोष पैदा कर झगड़ा पैदा कर दिया। आपने हमको गड्डे में डाला, आपको हम गड्डे में डालेंगे इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इनको जो प्लाट गड्डों में दिये गए हैं उनको रद्द करके और जो गांव में अच्छी जमीन हैं वह उनको दे दी जावे और सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को भी इसकी जानकारी है, मान्यवर। आपने जो कहा है कि सरकार से जानकारी की जा रही है तो सरकार के अधिकारी पहले भी वहां गए हैं। एस. डी. एम., एस. पी. और सारे तहसीलदार वहां पर गए हैं और सभी ने इस बात को कहा है कि पहले अलाटमेंट जो हरिजनों को हुआ है और बड़े काश्तकारों को हुआ है वह गलत हुआ है हरिजनों को गड्डों में अलाटमेंट हुआ है, इनको गांव में जमीन दी जानी चाहिए। इसके बाद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। जयपुर में भी इसकी जानकारी है। पहले तो गांव में असंतोष पैदा करना, झगड़ा पैदा करना और गांव में लोगों को हिंसा के लिए भड़काना और फिर वोट के लिए जाना, मैं समझता हूं........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मनोहर लाल)

.....कि कोई इनको जिला नहीं सकता। इन्होंने अपने हाथ से चिता जलाई। लोग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों रोते हो, भाई। इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि ये जवाब देने वाले नहीं हैं। मैं जवाब की आशा ही करता रहूंगा। मुझे जवाब की आवश्यकता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: (श्री गिरधारीलाल भार्गव के बोलने के लिए खड़े होने पर) व्यवस्था में शामिल नहीं है।

सदन से अनुपस्थिति

**श्री गिरधारी लाल व्यास को 23 से 30 मार्च, 1977 तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

**श्री अध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री गिरधारी लाल व्यास, सदस्य विधान सभा ने 23 मार्च, 1977 से 30 मार्च, 1977 तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की राय है कि अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

**दल परिवर्तन**

**निर्दलीय सदस्य श्री हरि किशन द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित होना**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निर्दलीय सदस्य श्री हरिकिशन कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गए हैं।

**विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन**

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।

राजस्व मंत्रीजी।

**राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1977**

**श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री)**: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित किए जाने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

---

**श्री अध्यक्ष**: क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री परसराम मदेरणा**: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1977) को जारी करने के कारण के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**राजस्थान पंचायत विधियां ( संशोधन ) विधेयक, 1977**

**श्री अध्यक्ष :** श्री मन्त्री जी ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत विधियां ( संशोधन ) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1976) को जारी करने के कारण के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

**धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार**

**श्री अध्यक्ष :** राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद-विवाद ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** अध्यक्ष महोदय, श्री पूनमचन्द विश्नोई ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(12.00 म.प.)

( श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन )

आज जिस वक्त हम एकत्रित हुए हैं, बड़ी नाजुक परिस्थिति से गुजर रहे हैं । कांग्रेस 30 वर्ष से केन्द्र में इस देश में शासन कर रही थी। उस स्थान पर प्रजातान्त्रिक तरीके से जनता पार्टी केन्द्र में स्थापित हो गई है । हमारे देश की भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रजातान्त्रिक तरीके से विपक्ष में बैठने का निर्णय ले लिया है ।

**श्री मनोहरलाल :** आपने हार मान ली है ?

**श्री ओंकारलाल चौहान :** It is a democratic way of life.

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** यह तो प्रजातान्त्रिक तरीका है । कभी किसी की जीत होती है तो कभी किसी की हार होती है ।

परन्तु आज जो जनता पार्टी में चार घटक हैं···

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** उनके जनरल सेक्रेटरी रामधन तो कूच कर गये ।

# Page No 25

(25)



श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी जनरल सेक्रेटरी गये हैं । एक एक करके सभी जायेंगे ।

यह चारों अभी विभिन्न विचार धाराओं के, विपरीत विचारधाराओं के हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जो जनसंघ महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, वह महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चल कर मोरारजी के प्रधान मंत्रित्व में क्या चल सकेगा ? जो जनसंघ महात्मा गांधी के चित्र को लेकर भी नाराज होता है, जो जनसंघ और आर. एस. एस. महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बिलकुल विरुद्ध है वह जनसंघ महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ ले रहा है । यह तो हम देख रहे हैं परन्तु उनका हृदय परिवर्तन कितना हुआ है, यह देखना है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और इमाम साहब की तकरीर भी सुन रहे हैं या नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह भविष्य बताएगा ।

अभी इतिहास में जो प्रजातान्त्रिक प्रणाली चली है, उसमें विपरीत विचारधाराओं की प्रणाली का शासन ज्यादा नहीं चल सका है। पहले हमारे देश के कुछ प्रान्तों में ऐसा हुआ है । दूसरे देशों में भी हुआ है । मैं समझता हूं कि जल्दी ही भविष्य में इस प्रकार से केन्द्र में जनता पार्टी का शासन चल नहीं सकेगा और, यह निर्णय जल्दी से जल्दी हो जायगा ।

श्री केदारनाथ : बहुत ही पूअर कन्सोलेशन है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : It is not a poor consolation. यह तो स्थिति का चित्रण है । जिस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है। यह समाजवादी विचारधाराओं के लोग, जनसंघी विचारधारा के लोग, यह एक होकर चल सकें ऐसा हो नहीं सकता है ।

श्री केदारनाथ : केन्द्र में हो सकता है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमने देखा है, जनसंघ ने राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स के बारे में क्या नीति अपनाई थी ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : कुम्भाराम

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी तक तो अलवर महाराजा की पैरवी कर रहे हैं, गायत्री देवी की पैरवी कर रहे हैं । उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आना कठिन है । इसलिए यह जो प्रजातान्त्रिक प्रणाली में शासन परिवर्तन होता है, उसका हमें भी अनुभव है । दुनियां में जो प्रजातान्त्रिक प्रणाली चल रही है उसमें इस तरह की सरकार चल नहीं सकती है । इसलिए हमें इस समस्या पर गम्भीरता से मनन करना चाहिए ।

अब मैं कुछ समस्याओं पर, जो कि चुनाव के सम्बन्ध में उपस्थित हुई हैं, और कुछ अपने जिले की समस्याओं के बारे में अपने कुछ विचार रखूंगा । परिवार नियोजन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश को अपनाना होगा । जनता पार्टी भी इसको मानती है । कांग्रेस भी मानती है । दुनियां के सारे देश इसको मानते हैं । परिवार नियोजन का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कार्यक्रम हमें अपनाना होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के मामले में हमारी राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी का सहारा लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों के सहारे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने जुल्म और ज्यादतियां कीं। उन्होंने अन्याय किये। इसीलिए इन्हीं कारणों के कारण हमारी कांग्रेस पार्टी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं सदन में यह कहना चाहता हूं जो परिवार नियोजन के सम्बन्ध में राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ज्यादतियां की हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए। जिन जिन ने जुल्म किये हैं उनको दण्डित किया जाना चाहिए। उन्होंने जो पाशविक तरीके से हमारे किसानों के साथ में, हमारी जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए अवश्य ही कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं जिले के काफी क्षेत्रों में गया था। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी गया। वे चाहते हैं कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है उसको क्रियान्वित किया जाय, परन्तु हमारे दिमागों में कुछ परिवर्तन करके, हमारे को कन्विन्स करके ताकि हम उसकी महत्ता को समझें। परन्तु इस प्रकार जो यह कदम उठाये गये राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा, मुझे मालूम है व्यापारियों को डी. एस. ओ. के द्वारा इस प्रकार के नोटिस दिये गये कि जो कम से कम दो केसेज लाकर के नहीं देगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर आप ऐसे कदम उठायेंगे तो इसका अच्छा असर पड़ेगा।

मैं इसके अन्तर्गत यह भी कहना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमको बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने गरीब तबके के आदमियों के पक्ष में ऐसे कार्य किए हैं जो क्रान्तिकारी कार्य हैं। जिनके पास में रहने के लिए जमीन नहीं थी ऐसे लोगों को जमीन दी गई रहने के लिए, जिनके पास काश्त के लिए जमीन नहीं है ऐसे लोगों को जमीन दी गई काश्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी कार्यक्रम है, यह सब बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए। परन्तु इसके साथ साथ में कुछ ऐसे कदम उठाये गये जो क्रान्तिकारी कदम थे और आवश्यक कदम थे, परन्तु उनको गरीब आदमियों ने नहीं समझा और उनका उल्टा असर हुआ। जैसे जो कर्जा माफ किये जाने के बारे में कदम उठाये गये, उसके बारे में कानून बनाये गये वह छोटे और लघु काश्तकारों के लिए, छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए थे लेकिन उन कानूनों का जिस प्रकार से स्वागत होना चाहिए था उस प्रकार से उनका स्वागत नहीं हुआ। उस प्रकार से उनका स्वागत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि [illegible] छोटे-छोटे काश्तकारों को उन महाजनों के कर्जे से तो मुक्त कर दिया परन्तु हमने आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की और आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं करने के कारण वह वापिस उनके ही चंगुल में फंस गये। इसलिए जब तक आल्टरनेटिव व्यवस्था हम नहीं कर पाते तब तक इस महाजन के चंगुल से उनको बचाना, उनको निकालना बहुत ही

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मुश्किल है। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं वह भी नाराज हुए और महाजन जो छोटे-छोटे महाजन थे वह भी नाराज हुए, दोनों ही नाराज हुये। इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्वयं सोचना है कि भविष्य में अगर इस कानून का अच्छी तरह से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं कर पाते हैं और कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं तो हमें कानून को प्रेक्टिकल रूप देने के लिए अगर विथड्रा करने की भी आवश्यकता हो तो करना चाहिए।

दूसरी बात मैं विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि किसानों के जो खातेदारी अधिकार हैं, हमने संवत् 2019 तक सब-टिनेन्ट्स को खातेदार डिक्लेयर कर दिया पर संवत् 2019 से लेकर अब तक जो सब-टिनेन्ट्स हैं उनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनके बारे में हमको कोई निर्णय लेना चाहिए और उनको सब-टिनेन्ट्स खातेदार मुकर्रर करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई समस्यायें हमारे सामने हैं, विशेष तौर से हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उनके भी विकसित करने का कार्यक्रम है और साथ में जो आदिवासी क्षेत्र है उनके भी विकास का कार्यक्रम है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड का गठन हुआ है, कमीशन का गठन हुआ है। परन्तु जो कार्यक्रम जिस गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चला। सोइल सर्वे का कार्यक्रम प्रगति पर है, सोइल कन्जर्वेशन का कार्य भी प्रगति पर है, परन्तु पशुपालन का कार्य, भेड़ों की उन्नति के कार्यक्रम, लघु सिचाई योजना के कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम जो हैं जिस प्रकार की प्रगति इन कार्यक्रमों के जरिये होनी चाहिए वह प्रगति नहीं हुई है। हमने उस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली के विस्तार की योजना ली, और उन योजनाओं के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं कीं। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए, खास तौर से जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में 132 के. वी. लाइन जालौर-नापासर की थी परन्तु जालौर से बालोतरा के लिए निर्णय ले लिया गया परन्तु अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई। बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक 132 के. वी. लाइन के बारे में प्रस्ताव है परन्तु आगे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बाड़मेर और जैसलमेर दोनों सीमावर्ती जिले हैं, उन क्षेत्रों को विद्युत् की दृष्टि से विकसित नहीं करेंगे तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। हम आज जिस रफ्तार से चल रहे हैं वह रफ्तार बहुत धीमी है। हमें यह चाहिए कि 132 के. वी. लाइन जालौर टू बालोतरा एन्ड बालोतरा टू बाड़मेर, इनका कार्य तीव्र गति से हाथ में लें और 77-78 में इसके बारे में प्रोविजन करना चाहिए और प्रोविजन करके विद्युत् के विस्तार का काम, 132 के.वी. लाइन का बाड़मेर तक और जोधपुर से जैसलमेर तक 132 के. वी. लाइन का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। इन जिलों की स्थिति इस प्रकार की है, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों ही ऐसे जिले हैं जहां बहुत ही कम गांवों में बिजली गई है। अभी तक पंचायत समितियों के मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर भी बिजली नहीं गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली के विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता। जब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सारा राजस्थान विद्युत् की दृष्टि से प्रगति कर रहा है और बाड़मेर और जैसलमेर जिले प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसलिए भी हमारी राज्य सरकार का फर्ज है कि इन दोनों जिलों में बिजली के विस्तार का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए।

इसके अलावा बिजली के बारे में भी कुछ समस्याएं हैं। जिन जिन क्षेत्रों में बिजली का प्रसार हुआ है, वहां पर समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं का भी हमें कुछ हल निकालना चाहिए। विशेष तौर से बिजली की जो रेट्स हैं 13 पैसा पर यूनिट से लेकर 25 पैसा पर यूनिट और 25 पैसा समय पर नहीं देने पर पेनेल्टी पांच नया पैसा यानि 30 पैसा, यह रेट बहुत ही हाई है। बोर्ड इसका कारण बताता है कि यह ट्रान्समिशन लाइन बहुत लम्बी फैली हुई है, इससे खर्चा बहुत आता है, परन्तु यहां के किसानों की इकानामी को सुदृढ़ करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि 13 से 25 पैसे और पेनल्टी 5 पैसे की जो रेट है इसके बारे में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए, बोर्ड पर प्रेशर (दबाव) डालना चाहिए कि बोर्ड 25 पैसे से अगर कम कर सके तो 20 पैसे तो कर देने चाहिए और पेनेल्टी वाले क्लाज में 5 पैसे नहीं रखकर 2 पैसे रखने चाहिए। इससे किसानों को बड़ा भारी रिलीफ मिलेगा।

दूसरे बिजली के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे एवरेज चार्जेज लगा कर के बिल बना दिये जाते हैं उसके कारण किसान बहुत परेशान और क्रुद्ध हैं। किसान इस चीज को बरदाश्त नहीं कर रहे हैं, उनमें बड़ा भारी क्रोध है। वे कहते हैं कि मीटर्स के लिए और चोरी के लिए जो रेस्पान्सिबल हों उनको ही दण्डित किया जाय। जिनके मीटर ठीक ढंग से कार्य कर रहे हों, जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हों उनको क्यों दण्डित किया जाय। उनको दण्डित करने की बात समझ में नहीं आती। उन्हें दण्डित करना बिल्कुल अनुचित है। इसलिये जो यहां पर एवरेज बिल्स बनाने की प्रणाली है वह ठीक नहीं है। उसको बदला जाना चाहिये। उस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।

इसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मिनिमम चार्जेज का प्रश्न इसके जो बाद में आता है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। ऐसे एरिया राजस्थान में हैं जैसे कि हमारे बाड़मेर जिले में बाड़मेर और बालोतरा वगैरह वहां पर सिर्फ खरीफ की एक फसल होती है और एक फसल रबी की होती है। वहां पर भी आप मिनिमम चार्जेज लगाते हैं। दूसरी ओर जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी आप वही मिनिमम चार्जेज लगाते हैं जहां कि एक साल में तीन फसलें होती हैं। यह उचित नहीं है। वहां पर तीन फसलें साल में होती हैं और जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट, झुन्झुनू डिस्ट्रिक्ट है जहां पर साल में तीन तीन फसलें नहीं होती हैं सिर्फ दो दो फसलें ही होती हैं फिर भी वहां और अलवर जिले के लोगों पर बराबर मिनिमम चार्जेज कैसे लगाते हैं? यह उचित नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है राज्य सरकार से कि बाड़मेर, सीकर वगैरह जो दो फसलें ही पैदा करते हैं वहां मिनिमम चार्जेज कम किये जाने चाहिए। इसके लिए राज्य

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सरकार और बोर्ड दोनों को ही कन्सीडर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बाद आता है पानी। हालांकि राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में और पंचम पंचवर्षीय योजना में पानी की समस्या के हल के लिये कुछ उपाय ग्रामीण क्षेत्रों के लिये किये हैं। लेकिन जो उपाय किये गये हैं वह कम हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या के लिये 25 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। इसके बाद में पंचम पंचवर्षीय योजना में इससे अधिक खर्चा किया गया लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी राजस्थान के सिर्फ 33 प्रतिशत विलेजेज ही पीने के पानी की समस्या के हल में आये। इसमें सिर्फ, उपाध्यक्ष महोदय, हम 33 प्रतिशत विलेजेज ही कवर कर पाये। इसके बाद भी 67 प्रतिशत विलेजेज को अभी तक हमें कवर करना बाकी है। उपाध्यक्ष महोदय, पानी मनुष्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है और उसका हल होना बहुत ही अनिवार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हम 67 प्रतिशत विलेजेज के पीने के पानी की समस्या के हल के लिये हमें अभी भी 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस साल भी हमने सिर्फ पीने के पानी की व्यवस्था के लिये 8 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। लेकिन इस रफ्तार से अगर हम चले तो मैं समझता हूं कि हम इस पानी की समस्या को 30 वर्ष के बाद ही हल कर पायेंगे। इसलिये पीने के पानी की समस्या लगातार तीस साल तक रहना कहां तक उचित है? मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि पानी की समस्या को हमें गम्भीरता से लेना चाहिये। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि फण्ड्स की व्यवस्था की जानी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा आठ करोड़ की जगह बीस करोड़ रुपये का इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये प्रावधान रखा जाना चाहिये। इसके लिये आप चाहें तो दूसरे आइटम्स में कमी कर दें। आप चाहें तो सिंचाई के प्रोविजन्स में, आप चाहें तो पावर के आइटम्स में कमी कर दें लेकिन आप पानी की समस्या के हल के लिये जरूर अधिक प्रावधान बजट में करें। अगर पीने के पानी की व्यवस्था आप नहीं कर सकेंगे तो उचित बात नहीं होगी। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अगले पांच साल में छठी पंचवर्षीय योजना में हमें 100 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पीने के पानी की समस्या का हल नहीं कर पाये तो ऐसे इलाके, जो कि रेगिस्तानी हैं, में पानी की बहुत अधिक समस्या हो जायेगी और वहां की जनता बहुत अधिक दुःख पायेगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो रीजनल पाइप की स्कीम्स बनती हैं वह आबादी के बेसिस पर बनती हैं और उसमें पशुओं की गणना नहीं होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बाड़मेर जैसे जिले में जहां की आबादी आठ लाख लोगों की है वहां पर पशुओं की आबादी भी कम नहीं है वहां पर करीब 5 लाख पशुओं की आबादी है। हालांकि अब यह पशुओं की संख्या 5 लाख से कम रह गयी है क्योंकि हमारे बाड़मेर जिले में सम्वत् 25 और संवत् 26 में अकाल पड़ा था उसमें काफी पशु मर गये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

थे। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जो रीजनल पाइप लाइन स्कीम्स बनायी जावे उनमें पशुधन की आबादी को भी कन्सीडर किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या का हल होना नितान्त आवश्यक है। अभी जैसा कि इस सदन में श्री रघुनाथ विश्नोई ने एक प्रश्न में यह कहा था कि जहां पर पानी की कमी है वहां पीने के पानी की समस्या के हल के लिये अधिक बल दिया जाना चाहिये। वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। इसके हल के लिये हमें प्राथमिकता देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं बाड़मेर टाउन के पीने के पानी की समस्या के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर टाउन में जो स्कीम्स हैं उसको देखते हुए वहां 20 लाख गैलन पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये लेकिन आज जो वहां की जनता को पानी उपलब्ध किया जा रहा है वह सिर्फ 4 लाख गैलन पानी ही दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि बाड़मेर टाउन की स्कीम्स को रिवाइज्ड किया जाय और जो 77-78 की रिवाइज्ड स्कीम्स बने उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि वहां लोगों को पूरा पानी मिले। स्कीम्स को कम्पलीट किया जाना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल की जो स्कीम है वह एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे सीमावर्ती जिलों के लिये एक वरदान है। लेकिन थोड़े वर्षों पहले एक कमेटी श्री कंवरसेन की अध्यक्षता में बनायी गयी थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिफ्ट कैनाल के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अगर वह लिफ्ट कैनाल आप शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर के जो जिले हैं जो कि सीमावर्ती जिले हैं उन जिलों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल सकता है। अगर मिल भी जायेगा तो लिफ्ट कैनाल स्कीम्स बन जाने से वह बहुत ही मंहगा रहेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री तो कोई विराजमान नहीं है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** तो मेरा यह निवेदन है कि लिफ्ट कैनाल बहुत ही कोस्टली है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए हितकर नहीं है खासतौर से हमारे एरिया में। मेरा निवेदन है कि लूणकरणसर में जो लिफ्ट कैनाल बन गयी है वह तो आप चाहे चलने दें लेकिन बाकी जो 5-6 स्कीम्स लिफ्ट कैनाल की हैं उन्हें आप रहने दें। बल्कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि राजस्थान कैनाल का पानी हमारे जैसलमेर और बाड़मेर जिले को मिल सके। यह सीमावर्ती क्षेत्र है और इसका अविकसित रहना हमारे देश के लिये उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो ट्यूबवेल्स पाइप लाइन हैं उनका पानी इतना ही है कि हम इस पानी को 25 वर्ष में ही समाप्त कर देंगे। बाद में ऐसी स्थिति आ जायेगी कि इन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ट्यूब वेल्स पाइप लाइन स्कीम्स से पानी आना बन्द हो जायेगा और पानी की जो समस्या है वह यों की यों ही रह जायेगी। अगर वह समस्या रह जाती है तो फिर हम रेगिस्तानी इलाके की जनता के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि फिर निश्चित ही आने वाली भविष्य की पीढ़ी हमें बुरा कहेगी पानी की समस्या रहेगी तो यह जो सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर है वह डेजर्ट का डेजर्ट रह जायेगा और वीरान हो जायेगा और बाद में यह सारा क्षेत्र खाली हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिये मेरा यह निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करे जिससे बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र में पानी की उपलब्धि हो जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सोचना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं।

रोड्स के बारे में मेरा अनुभव यह रहा है कि डेजर्ट एरियाज में जो भी रोड्स बनायी जाये यदि आप टार रोड्स बनाना चाहते है तो ग्रेवल रोड्स को पहले से ही आप मेटल रोड्स बनाइये ताकि जो भी रकम उस पर खर्च की जाय उसका सदुपयोग हो वरना होता क्या है कि ग्रेवल बनाने के बाद मेटल बनाते हैं और फिर टार करते हैं तो जो रुपया ग्रेवल रोड्स पर खर्च होता है वह बेकार जाता है। इस तरह से करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता है। इसलिये पहले से ही आपको मेटल रोड्स की ही व्यवस्था करनी चाहिये।

एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं। जूट का जो उद्योग था वह कुछ व्यापारियों के हाथ में था। वे जूट की पट्टी तैयार करके विदेशों में भेजते थे, दो करोड़ का एक्सपोर्ट होता था और उससे 27 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी। उसको राज्य के लघु उद्योग निगम को दे दिया। उसने एक साल में एक लाख रुपये की भी जूट पैदा नहीं की और उससे 20 हजार मजदूर निकम्मे हो गये और उनकी रोजी में बाधा पड़ गयी। यदि लघु उद्योग निगम उस कार्य को अच्छी तरह से सम्पन्न नहीं कर सकता है तो राज्य उद्योग निगम ही उस कार्य को करे और साथ ही साथ जो फर्म्स जूट की पट्टियां तैयार करती थीं उन दोनों का कम्पीटिशन हो ताकि मजदूर बेकार न रहें और मजदूरी उनको पूरी तरह से मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण निराशापूर्ण, दिशाहीन, उदासी और निराशा से भरा हुआ एक नीरस भाषण है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां विगत वर्षों के कार्यों का लेखा-जोखा होता है वहां उसमें भविष्य की रूप रेखा का दिग्दर्शन भी होता

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने पिछले वर्ष में क्या किया उसका लेखा-जोखा तो है, लेकिन अगले वर्ष में सरकार ने क्या कार्य करने हैं, राजस्थान की प्रगति की दिशा में सरकार को क्या कदम उठाने हैं इस बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई प्रेरणा नहीं है

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पिछले चुनावों के परिणामों के नैराश्य-पूर्ण परिप्रेक्ष्य से जुड़ा-हुआ है। लेकिन जो कुछ हुआ है उस सबसे हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। आज राजस्थान को क्या करना है, सरकार को किस तरफ चलना है, इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कोई संकेत नहीं दिया है, कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि हमारा पिछला वर्ष आर्थिक कार्यों की प्रगति का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्ष जो कुछ भी कार्य किये, जैसे 8 लाख 52 हजार भू-खण्डों का आवंटन करके लोगों को पट्टे दिये, इतने लोगों को जमीन दे देना अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके साथ ही 748 गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 21476 मकानों का निर्माण करा देना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भू-सुधारों के संबंध में भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले वर्ष उल्लेखनीय प्रगति थी। सागड़ी प्रथा का उन्मूलन किया और गांवों में फैले आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिये कर्जों को माफ किया गया यह भी अपने आप में छोटी बात नहीं है। बहुत कुछ किया है। इस तरह से पिछला वर्ष हमारी महान आर्थिक उपलब्धियों का वर्ष रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जनता का जो विश्वास कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिये था, जो कि इन आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करके मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कहीं कोई गलती रही है जिसकी वजह से इतनी महान् उपलब्धियों के बावजूद कांग्रेस भी जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर सकी।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में परिवार नियोजन का कोई जिक्र नहीं किया। इस विषय में जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर हमें गर्व है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आगामी वर्ष के चुनावों के लिए रखें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं अपनी बात कह रही हूं। आपकी यह मान्यता हो सकती है।

तो परिवार नियोजन के संबंध में हमारी निश्चय ही उपलब्धियां हैं इसलिए या तो राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में कहना चाहिये था कि परिवार नियोजन में कितनी कामयाबी हासिल की है और कितनी आबादी के विस्तार को रोका गया है या जहां परिवार नियोजन की कामयाबियों से संतोष करना चाहिये था वहां राज्यपाल महोदय के द्वारा सरकार को इस बात की माफी भी मांगनी चाहिये थी कि इस प्रोग्राम की क्रियान्विति में ज्यादतियां हुई हैं।

श्री केदारनाथ : उसमें अमेन्डमेन्ट आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन आ सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी कि दोनों में से कोई तो बात कही होती। जहां उपलब्धियों पर हमें गर्व है, वहां यह भी कहते कि इस बात ने जनता को अति व्यग्र कर रखा था। जो जनता के बीच में हैं वे इस बात को जानते हैं। अच्छी बात यह होती कि उपलब्धियों के लिये तो गर्व करते लेकिन सरकारी अधिकारियों की वजह से गवर्नमेन्ट की बिना मंशा के जो ज्यादतियां हुईं, गवर्नमेन्ट की कतई कभी मंशा नहीं थी कि ऐसा हो जहां इतना बड़ा काम होता है वहां उसमें छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परिवार नियोजन के प्रोग्राम में की गई ज्यादतियां व गलत आपरेशन के लिये राज्य सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिये थी। इससे जनता के मन में जो बहुत बड़ी परेशानी थी और व्यग्रता थी वह दूर हो जाती।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष में बहुत कुछ किया गया लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी आज राजस्थान हर क्षेत्र में इन्डियन एवरेज के मुकाबले कहीं पीछे है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे पर केपिटा एक्सपेन्डीचर को देख लीजिए, राजस्थान अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है।

सबसे पहले मैं विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा करना चाहती हूँ। पिछले वर्ष में 1212 बस्तियों का विद्युतीकरण किया है। करीब 10 हजार से ऊपर कुओं का विद्युतीकरण किया है। बहुत खुशी की बात है कि राज्यपाल महोदय ने अगले वर्ष में 110 मेगावाट के दो यूनिटों के कोटा में बिजली वाष-घर लगाने के लिए 4 करोड़ रुपये के प्रावधान की बात कही है। यह किसी हद तक हमारी विद्युत् व्यवस्था के अन्दर सुधार लाने के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इन पिछले पांच-छः सालों में विद्युतीकरण का जो काम राजस्थान में हुआ है, खास तौर से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हुआ है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं राज्य सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि जहां आपने ग्रामीण विद्युतीकरण किया है वहां उतना ही अधिक जन-असंतोष भी पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा इस चुनाव के दौरान जो जन-असंतोष देखने को मिला वह उस इलाके में मिला जो विद्युतीकरण किया हुआ इलाका है। उसके दो-तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आज ग्रामीण उपभोक्ता को देने के लिए हमारे पास जवाब नहीं है जब वह कहता है कि 25 पैसे यूनिट, और वह भी 13 पैसे से 25 पैसे कर देना, कहां तक न्याय है? मेरी दृढ़ मान्यता है और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार आर. एस. ई. बी. को चाहे अपने किसी भी मद से काटकर पैसे दे सहायता दे, लेकिन राजस्थान का जो डेजर्ट इलाका है, राजस्थान के मरु प्रदेश में जो जिले हैं, उन जिलों के अन्दर मिनिमम चार्जेज को देख लीजिये, पर यूनिट का खर्चा है उसको देख लीजिये कि यह कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो काश्तकार चोरी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करेगा। अगर चोरी न करे तो उसके लिए अपना पेट पालना संभव नहीं होगा। इसलिए यह बैल मार खेती चल नहीं सकती। राज्य सरकार चाहे कहीं से भी प्रोवीजन करे लेकिन मेरी निश्चित मान्यता है कि 25 पैसे, और समय निकलने के बाद जो 5 पैसे रिबेट नहीं मिलती है, तो दोनों को जोड़कर कुल 30 पैसे पर यूनिट लेना बहुत ज्यादा है। इसे कम किया जाना चाहिये। 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली काश्तकार को दी जाय। इसके साथ ही साथ मिनिमम चार्जेज के बारे में भी कहना चाहूंगी। मिनिमम चार्जज जो लगाये हैं जहां पर अढ़ाई हार्स पावर और पांच हार्स पावर के इंजन से काम चल जाता है, वहां पर तो ठीक है लेकिन 10 हार्स पावर, 12 हार्स पावर, 15 हार्स पावर के ऊपर जो मिनिमम चार्जेज हैं वह बहुत ज्यादा हैं। उनको कम किया जाना चाहिये क्योंकि यह 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर उन्हीं इलाकों में हैं जहां पानी बहुत नीचे है। जहां पानी बहुत नीचे है वहां पर उत्पादन का खर्चा इतना आता है कि वह ईमानदारी से, बिजली की चोरी किये बिना खेती कर नहीं सकते। इसलिए मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं। मिनिमम चार्जेज 10 हार्स पावर-15 हार्स पावर पर निश्चित तौर से कम किये जाने चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमने लेवी के रूप में काफी अनाज का संग्रहण किया है–यह बहुत अच्छी बात है। हमारे टार्गेट थे 1.75 के, हमने जो इकट्ठा किया वह है 1.86. आज भी आप देख लें–कहीं भी जाकर देख लें एफ. सी. आई. के गो-डाउन्स में देख लें, जयपुर में देखिये खुले आकाश में पोलीथीन की शीट से ढकी हजारों बोरियां पड़ी हैं। बरसात आने वाली है। अभी तक इनका बंटवारा हुआ नहीं। बंटवारे की आवश्यकता भी नहीं है जैसा कि अभी कहा गया है, बाजार में सस्ते मूल्य पर गेहूं उपलब्ध हैं, तो इसे कौन ले। लेकिन यह सब इस तरह की चीज है जो राज्य सरकार की अकुशलता को प्रदर्शित करती है, अव्यवस्था को प्रदर्शित करती है। करोड़ों टन अनाज खुले के अन्दर पड़ा है। दो महीने बाद क्या होगा? क्या गल नहीं जायेगा? क्या उसकी व्यवस्था होगी, पता नहीं। किन्तु टार्गेट्स इतने बड़े फिक्स किये गये कि एक तरह से काश्तकार को मजबूर किया गया लेवी देने के लिए। यह बड़ी शर्म की बात है जनता के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि जो 4–4 साल पहले के लेवी के केसेज को कोर्ट से विथड्रा नहीं करा सकें उन्हें वोट क्यों दें? मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस बात को राज्य सरकार ने, मंत्री मण्डल ने एक बार तय किया था जहां तक मुझे जानकारी है, जिन लोगों ने 1972-73 के बाद में लेवी दे दी है और लगातार जो दे रहे हैं उनके जितने भी लेवी के केसेज कोर्ट में चल रहे हैं उन्हें विथड्रा कर लिया जायेगा। लेकिन झुन्झुनूं जिले के बारे में, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में मैं कह सकती हूं कि आज भी इस तरह के केस कोर्ट में चल रहे हैं। लोगों में जबरदस्त जन-असंतोष है इस बात का और इसका प्रतिबिम्ब चुनाव पर पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ इस तरह की बातें जो होने को तो राज्य सरकार की नजरों में बहुत छोटी हैं लेकिन हैं बहुत गम्भीर और जिनका दूरगामी परिणाम और नतीजा बहुत बुरा होता है। तो मैं,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन को और राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि राज्य सरकार इस बारे में सोचे। ऐसे लोगों के लेवी के केसेज हैं जो तीन साल से लगातार लेवी दे रहे हैं, और फिर भी पहिले के केसेज चल रहे हैं, और जिनकी वजह से हजारों रुपये उन लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं और उनको परेशानी भुगतनी पड़ रही है, उनको कम से कम बिथड़ा कर लिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जहां तक पानी का सवाल है, जल प्रदाय योजनाओं का सवाल है, बड़े संतोष की बात है कि जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत केवल दो नगरपालिकायें ऐसी रही हैं जहां हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इसके अलावा 179 नगरपालिकाओं में पानी की व्यवस्था कर सके हैं। उसके लिए करोड़ों-करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े हैं। यह बहुत खुशी की बात है। राजस्थान में 1966 में जहां पर 70 करोड़ रुपयों का Master Plan था वह बढ़कर 71-72 में 200 करोड़ रुपया का हो गया और आज सम्पूर्ण राजस्थान के गांवों में पानी की व्यवस्था की जाय तो 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था करने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन हम पानी का माकूल इंतजाम नहीं कर पाएंगे। मैं राज्य सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहती हूं कि पानी का इंतजाम तो आप करें चाहे न करें, आपके आर्थिक हालात आपको इस बात की इजाजत न दें तो ठीक है न करें–इसको तो हम बरदाश्त कर लेंगे लेकिन असमानता को बरदाश्त नहीं करेंगे। मुझे बड़ा दुःख है इस बात को कहते हुए, 184 के सदन के अन्दर किसी भी व्यक्ति ने यह बात नहीं कही है कि अभी करीब दो महीने पहले जो ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के ऊपर फ्लेट रेट 6/- थी उसे बढ़ाकर 10/- कर दिया। शहर में 6/- का 6/- लेकिन ग्रामीण जलप्रदाय में 6 रुपये से बढ़ाकर 10/- कर दिया। मैंने पूछा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि भाई ऐसा क्यों करते हो तो उन्होंने जवाब दिया कि ग्रामीण जल प्रदाय का मेन्टनेन्स का खर्चा ज्यादा पड़ता है। शहरों के अन्दर डेन्सिटी आफ पापूलेशन के कारण योजना का खर्चा कम होता है तथा मेन्टेनेन्स खर्चा भी कम आता है। इसीलिए 10/- कर दिया है। मैंने कहा, भाई सभी जगह कर दिया या झुंझुनूं वालों के लिए ही? उन्होंने बताया, सब जगह कर दिया। मैं यह कहती हूं कि यह असमानता कैसे चलेगी। यह कोई तरीका है? एक जगह पानी पिलाने के लिए 6/- लें और गांवों में 10/- लेंगे तो इस अन्याय को बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेंगे। इसलिए असमानता को राज्य सरकार दूर कर देनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाह रही हूं कि औद्योगिक क्षेत्र के बारे में और सब के बारे में बहुत कुछ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा। मैं तो केवल राज्य सरकार से एक ही बात कहना चाहती हूं कि 1976 का जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था उसमें राज्यपाल महोदय ने इस सदन में कुछ घोषणायें की थीं। उसके बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है यह मैं जानना चाहूंगी? मेरी व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक वे

# Page No 36

(36)



(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

घोषणाएं केवल कागजी घोषणाएं रह गईं। उस संबंध में कोई कार्यवाई नहीं की गई। तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये सरकार द्वारा इस बात की घोषणा चाहूंगी। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में जो आशय-पत्र और लाइसेंस प्राप्त हुए, "इनमें निजी क्षेत्र के लिये सीकर के पास सीमेंट फैक्ट्री, अलवर, जयपुर तथा जयपुर तथा जोधपुर में मिनी स्टील प्लान्ट, दो ऊनी धागे की मिलें, उदयपुर में दो फास्फोरस के कारखाने, अलवर में रबर का कारखाना तथा सहकारी क्षेत्र में तीन कपड़े की मिलें मुख्य हैं। निम्बाहेड़ा में सीमेन्ट का कारखाना तथा गुलाबपुरा के पास सूती मिल उत्पादन शुरू करने वाले हैं। मध्यम क्षेत्र के लिए भी राज्य सरकार द्वारा 40 अनुमति-पत्र दिये गए।" मैं जानना चाहूंगी कि इस बारे में क्या हुआ मैं यह भी जानना चाहूँगी कि 5 फरवरी 1975 को बांसवाड़ा में हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो सूती धागे की फैक्ट्री का शिलान्यास किया था उस बारे में क्या प्रगति हुई है? इस संबंध में भी राज्य सरकार बताने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बात को हर बार यहां पर मैं भी दोहराती हूं और सदन के और भी कई माननीय सदस्य दोहराते रहे हैं कि डी.पी.ए.पी का पैसा भारत सरकार का पैसा है। डी.पी.ए.पी. के प्रोग्राम्स को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कितनी धनराशि भारत सरकार से आती है और कितना उसका उपयोग होता है और कितनी धनराशि लैप्स हो जाती है–उस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। मैं चाहूंगी कि इस बार इस बारे में कुछ बताने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था कि कहने को तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विस्तार के प्रयास में लगे हुए हैं। संख्यात्मक विस्तार की बात कहते तो मेरी समझ में आती। संख्यात्मक विस्तार करते-करते तो हम अपना बजट शिक्षा पर 84 करोड़ पर ले गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राथमिक शिक्षा के अन्दर हमारे स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, उनकी औसत बढ़ी है, हमारी लिट्रेसी भी बढ़ी है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछली बार 10 सैकेन्डरी स्कूल्स को हायर सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया, और भी नये सब्जेक्ट्स खोले गये। कई बातें हुईं लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, आज भी इन्डियन एवरेज के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इन्डियन एवरेज लिट्रेसी के बारे में बताऊं कि उसके आंकड़े 27 पर्सेन्ट हैं। कुछ प्रान्तों के फिगर्स आपको लिट्रेसी के बताना चाहूंगी। वह इस प्रकार हैं—आन्ध्र प्रदेश 21.6, आसाम 28.1, बिहार 19.9, गुजरात 35.99, हिमाचल प्रदेश 19.9, हरियाणा 32.22, केरल 60.42, मध्य प्रदेश 22.14, महाराष्ट्र 39.18, मैसूर 21.64, पंजाब 23.5 और हम जम्मू और काश्मीर से भी कम हैं। राजस्थान सरकार एक पुस्तक बेसिक स्टेटिस्टिक्स निकालती है। मुझे बहुत दुःख है कि आखिर यह विभाग क्या काम करता है? स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट वाले क्या करते हैं? मेरी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

समझ में नहीं आता। राजस्थान के फीगर्स के लिए सब जगह लिख देते हैं 'Not available'। केवल लिट्रेसी की ही बात नहीं है, लिट्रेसी, रोड्स, मेडिकल सब के अन्दर 'Not available'। जब आपके पास फिगर्स ही अवेलेबल नहीं हैं तो फिर इसको छापने की जरूरत भी क्या थी? छापने का खर्चा भी क्यों किया? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं जम्मू काश्मीर के बारे में लिखा है 'Not available' लेकिन पिछली बार यह आंकड़े 8 प्रतिशत थे। तो केवल जम्मू काश्मीर से हम आगे हैं। हम आज भी 84.81 करोड़ का खर्चा करने के बाद भी शिक्षा में सबसे पीछे हैं जम्मू को छोड़कर। केवल शिक्षा की ही यह बात नहीं है। मैं पर-केपिटा एनुअल प्लान के फिगर्स भी सदन में सुनाना चाहूंगी। यह पर-केपिटा एनुअल प्लान इस बात का द्योतक है कि हमारी आगे बढ़ने की कितनी महत्वाकांक्षा है, कितनी तेजी से बढ़ना चाहते हैं क्योंकि कुल मिलाकर दारोमदार इसके ऊपर ही निर्भर करता है। आसाम 27.7, गुजरात 39.07, हरियाणा 75.23, जम्मू काश्मीर 66.68, केरल 36.17, मध्यप्रदेश 23.92 उड़ीसा 24.2, पंजाब 62.02, यू. पी. 24 और वेस्ट बंगाल 16.0 और राजस्थान के लिए 'Not available'। राजस्थान के फीगर्स नहीं हैं और इन्डिया के एवरेज के लिए लिखा है 'Not available'। किताब छाप दी। बाकी स्टेट्स के फीगर्स दे दिए और राजस्थान के 'Not available'।

पर-केपिटा टोटल एक्सपेन्डीचर जिसके ऊपर यह बात मुनस्सर करती है कि किस तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं और कितनी महत्वाकांक्षा हम अपनी प्रगति के लिए रखते हैं उसके भी फीगर्स मैं आपको बताऊं-आन्ध्र प्रदेश 109.62, आसाम 88.59, गुजरात 190.90, हरियाणा 275.32, पंजाब 135.26 और राजस्थान सबसे नीचे 110.31 है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक हमारे एक्सपेन्डीचर की पर-केपिटा एनुअल प्लान की और लिट्रेसी की हालत यह है अब लैंड रेवेन्यू और काश्तकारों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। यह बात सही है कि पिछले 20 वर्षों में भू-सुधारों एवं कृषि क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमने इतने टन (मीट्रिक) रसायनिक खाद का वितरण किया, इतने उन्नत बीजों का वितरण किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल 2 मिनट में।

और श्वेत क्रांति के लिए क्रास ब्रीडिंग के प्रोग्राम को लिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, सेमी-डेजर्ट एरिया है–इसका 1/3 तो डेजर्ट एरिया है और 1/3 सेमी-डेजर्ट एरिया है और कुछ हिली एरिया है–पांच, सात जिले ऐसे हैं जो कि उत्पादन की दृष्टि से अच्छे जिले कहे जा सकते हैं। राजस्थान में रेवेन्यू की वसूली कहां स्टेण्ड करती है? कितना ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू लगा रखा है? प्रोडक्शन के ऊपर उसका विपरीत असर पड़ता है। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि जब हम इन सब बातों को सोचते हैं तो हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। पर-केपिटा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लैण्ड रेवेन्यू इस प्रकार है—आंध्र प्रदेश 2.55 आसाम 5.65, गुजरात 2.4, हरियाणा 1.57, जम्मू कश्मीर 1.27, केरल 1.23, मध्य प्रदेश 2.00, मैसूर 3.28, उड़ीसा 0 95, पंजाब 0.96 और राजस्थान 3.42, यू. पी. 1.10. केवल आसाम को छोड़कर जहां कि टी गार्डेन्स हैं और जो हिन्दुस्तान को कितना फॉरिन एक्सचेन्ज देता है और टी-गार्डेन्स होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, उसको छोड़ दीजिए उसके बाद में सबसे ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू यदि कहीं पर है तो राजस्थान में है। राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेश यू.पी. में देखें तो 1.10 है और अभी फिर घोषणा की है चुनावों से पहले। पंजाब में, जो कि मोस्ट फर्टाइल है, 0.96 है। गुजरात के अन्दर, जो हमारे नजदीक का है, 2.20 है और मध्य प्रदेश में 1.77 है। फिर यहां के किसानों ने क्या गुनाह किया है जो कि पर-कैपिटा एक्सपेण्डीचर में नीचे, लिट्रेसी में नीचे, रोड्स में नीचे, इण्डस्ट्रियलाइजेशन में नीचे, इन्फ्रा स्ट्रक्चर सुविधाएं, जो इण्डस्ट्रीज को देते हैं, सबसे नीचे और लैण्ड रेवेन्यू में सबसे ऊपर—ऐसी आखिर क्या बात है? कांग्रेस की ठोस बुनियाद इस प्रांत का काश्तकार है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाना क्या उचित है? न्याय संगत है? आखिर क्यों आप ज्यादतियां करना चाहते हैं काश्तकारों के साथ? इस सबको देखें।

तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप विद्युतीकरण की दरों में कमी करें, पानी के मामले में, पानी की रेट्स समान करनी चाहिये, विद्युत् की पर यूनिट दर 25 पैसे इसको वापिस 14 या 15 पैसे के ऊपर रखें। यद्यपि राज्यपाल महोदय ने विगत वर्ष का लेखा जोखा दिया है, लेकिन आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, फिर भी इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : कोई मन्त्री महोदय आ जायें तो अच्छा है।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : यह बैठे हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अच्छा मेहरबानी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको मन्त्री बरदाश्त नहीं हुए क्या?

श्री चन्दनमल वैद : मामूली आदमी हूं, मामूली सा लगता हूं।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं सबसे पहिले चुनावों के सम्बन्ध में। उधर बैठने वाले मेरे साथियों में जिस्ता है मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब से यह देश आजाद हुआ है कभी भी हमारे भारत

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

की लोक सभा में 50 प्रतिशत वोट लेकर कोई भी सदस्य नहीं बैठा होगा। सिवाय एक दो पर्सेन्ट को छोड़ कर आज जो जनता पार्टी के लोग पहुंचे हैं 50 पर्सेन्ट से ज्यादा वोट लेकर पहुंचे हैं और आपके साथी भी जो आज पहुंचे हैं उनमें से अधिकतर वे हैं जिन्होंने आज भी 50 पर्सेन्ट वोट नहीं लिये हैं। इसलिये आपको चिन्ता तो होनी ही चाहिये। आपको यह समझना चाहिये था कि देश आपसे नाराज है उस नाराजगी का कारण क्या है।

अब मैं सीलिंग की बात करता हूं। गंगानगर की कांग्रेस में बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनके पास छिपी हुई जमीनें हैं, उन्होंने बेनामी जमीनें ले रखी है। इस चुनाव के समय वे चाहते थे कि कांग्रेस को छोड़ दें। अगर कांग्रेस के अन्दर रहना है तो विश्वास लेना चाहते हैं कि यह हमारी छिपी हुई जमीनें नहीं लेंगे। 6 तारीख को चौधरी कुम्भाराम ने बुलाकर कहा कि सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जमीनों की गिरदावरी आपके नाम से नहीं करेंगे। जिन लोगों के नाम से आपने जमीनें रखी हुई हैं उन्हीं के नाम से करेंगे। 6 तारीख को उन्होंने विश्वास दिया और 11 तारीख को हमारे मुख्य मंत्री जी स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों के केसेज एक दफा हो चुके हैं मैं उन्हें री-ओपन नहीं करूंगा। उनकी गिरदावरी उन्हीं लोगों के नाम से करेंगे जिनके नाम पर वह जमीनें हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपको वोट देना भी चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अगर इस तरह के तथ्य न हों तो जांच कर लीजिये। यही आपकी हार का कारण है। आपको चिन्ता होनी चाहिये और होगी।

मैं आपको एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। अभी अभी फैमिली प्लानिंग की बात हुई कि कर्मचारी लोगों का सारा कसूर है। मेरी तहसील पदमपुर की बात है। तहसील में जो खजांची होता है उसके पास एक आदमी स्टाम्प खरीदने आया उसने स्टाम्प नहीं दिया, शिकायत हुई। तहसीलदार ने उसे बुलाया और पूछा कि स्टाम्प क्यों नहीं दिया? उसने कहा, मेरे से 10 केसेज मांगे हैं मैं 10 कहां से लाऊं। उनकी तनख्वाहें रोकी गई। उन कर्मचारियों का क्या कसूर है? आज कहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपने उन्हें मजबूर किया कि 10-10 केसेज लाने पड़ेंगे और वे पकड़-पकड़ कर, गाड़ियों से निकाल कर और चलती बसों से निकाल कर लोगों को लाये। भाई को बचाने के लिये बहिन कहती है कि यह मेरे पति हैं इनको छोड़ दो, मेरा आपरेशन कर दो।

अब, वैसे तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री चली गई उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी प्रधान मंत्री के अनुशासन की बात करते हैं। वह प्रधान मंत्री जो खुद शासन में रहना चाहती थीं, जिसने अदालत का हुक्म नहीं माना और कांग्रेस पार्टी का हुक्म नहीं माना वह किसका हुक्म मानती। नरोरा कैम्प के फैसले को नहीं माना, कह दिया, मेरा बीस सूत्री प्रोग्राम अलग है। आपकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बीस सूत्री के बाद 5 सूत्री कार्यक्रम आया। कौन सा वह आदमी था, कौन सा पद था लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह प्रधान मंत्री का बेटा था। 19 जनवरी

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
को प्रधान मंत्री ने कहा कि जब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, जब मैं अलग रह गयी तो संजय, मेरा बेटा, मेरी मदद पर आया। आज आप कहते हैं कि हमारी प्रधान मंत्री थीं, हमें अनुशासन में रहना चाहिये। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं और बड़ी नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं, जनता ने 25 साल आपका साथ दिया, अब आप कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे। अब जनता बहुत सयानी हो गई है। मैं आप से फिर कह देना चाहता हूं इसमें सर्विसेज का कोई कसूर नहीं है। कसूर आपका है और आपकी प्रधान मंत्री का है जिसने आप पर विश्वास नहीं किया। आज देश भी आप पर विश्वास नहीं कर रहा है।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आपने सीलिंग की बात की। सीलिंग को पूरा नहीं किया। कौन कहता है सीलिंग की? आप कांग्रेसियों की सीलिंग नहीं कर सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गंगानगर के कांग्रेसियों की सीलिंग कर दो। उनकी जांच करा लें किसने कितनी कितनी भूमि छिपाई है। आप कह दें उनके लिये तो मैं हार मान लूं।

मैं कहना चाहता हूं हरिजनों के लिये आपने कुछ नहीं किया। हरिजन अपनी जमीन, जिसकी कीमत हरिजनों ने दे रखी थी, स्वर्ण लोगों को बेच रहे हैं। मैंने कहा है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को कि हरिजनों को उनकी जमीन मिलनी चाहिये। आज गंगानगर के जिले में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूमिहीनों से जमीनें खरीदी थीं। लेकिन आज उनकी जमीन कैन्सिल कर दीं। हजारों लोग बेदखल हो चुके हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चुनाव में आपकी मशीनरी ने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सर्विस क्लास की हमदर्दी अब के हमारे साथ भी थी जैसी कि आपके साथ पहले हुआ करती थी लेकिन फिर भी कुछ लोगों की हमदर्दी आपके साथ ही रही है। वे मजबूर थे। कैसे मजबूर थे, यह तो आप सब जानते हैं। कई स्टेट्स के जो हमारे असेम्बली के अध्यक्ष थे उनको मजबूर किया गया कि अपने इलाके में जाकर प्रचार करें। ऐसा राजस्थान में भी हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं आपने ही मजबूरियां पैदा की हैं। इसके अलावा कौन लोग आपकी मदद के लिये आये। बीकानेर में डी. आई. जी. ने कांग्रेस वोट के लिए कहा, 74 एन. पी.–2 और 79 एन. पी.–2 ये 6 गांव ऐसे थे जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे तो उनका रास्ता बन्द कर दिया गया, उनका पानी बन्द कर दिया गया। ऐसी हालत में चुनाव कराये गये फिर भी इतने बड़े वोट मिले। ये सब आपके ही कारनामों से पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा आप हालात को सुधारें। आप राजस्थान में अब भी ताकत में हैं इसमें शक नहीं है। शायद आप में टूट फूट हो रही हो, इसके लिये तो मेरी जिम्मेदारी है नहीं लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप ताकत में हैं। आज आपने वे हालात पैदा कर रखे हैं...

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : आपको वहम कैसे हो गया?

श्री केदारनाथ : गिल्टी कान्शस होती है वह अपने आप कह देती है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप हालात को सुधारें। मेरे क्षेत्र में मण्डी है, पदमपुर की मण्डी है वह कच्ची मण्डी से पक्की मण्डी बनाई जा रही है। उसमें बनिया चाहता है जैसा भी नक्शा होगा, उसके अनुसार मैं दुकान बनाऊंगा लेकिन ये चाहते हैं कि वहां के कमेटी के प्रधान बनायें जो 10 प्रतिशत लेते हैं और जिन्होंने वहां खुल्ली लूट मचा रखी है। वह बनायें, ऐसी क्या स्थिति है। बनिया कहता है जैसा आप नक्शा देंगे वैसे ही बनायेंगे। लेकिन नहीं, उनको नहीं बनाने दिया जा रहा है। इससे सारी मण्डी के लोग खिलाफ हैं।

मैं निवेदन करूंगा ऐसे हालात को सुधारना चाहिये। आपके ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने खुल्लमखुल्ला प्रचार किया है। मैं मिर्घा की बात करना चाहता हूं जो एस. डी.एम. राजनगर हैं। वे बनियों को बहका कर कहते थे। इसी तरह मोहनलाल तहसीलदार हैं सादुलशहर के उन्होंने सारा ऐसा काम किया है। उनके सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं, उससे ज्यादा करप्ट आदमी कोई नहीं हो सकता है, वे उससे सम्बन्धित थे। आज सारी गंगानगर की जनता नाराज है। मैं बार बार कहता हूं जनता पार्टी से अगर हम जीते हैं तो आपके ही कारनामों से जीते हैं। मेरा अर्ज करना यही है कि····

एक माननीय सदस्य : हम तो अच्छे हैं।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : हम आपसे बुरे नहीं हैं लेकिन बुरे होते हुये भी आप बहुत ज्यादा बुरे साबित हुये हैं। जो आपकी प्रधान मंत्री थीं वह आप पर विश्वास नहीं करती थीं। उन्होंने खुल्लमखुल्ला कहा है कि मेरे बेटे ने मेरी मदद की है। मैं निवेदन करूंगा, आप सुधार कीजिये और अपने आप पर ध्यान दीजिये कि आप किस स्थिति में है।

फेमिली प्लानिंग में आपने ज्यादतियां की हैं, उनकी जिम्मेदारी आप सब पर आती है। अधिक न कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के सन्दर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उपलब्धियों का उल्लेख किया है। खुशहाली का उल्लेख, सिंचाई की उपलब्धियों का उल्लेख, सड़कों की उपलब्धियों का उल्लेख किया है, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का उल्लेख, भूमिहीन किसानों को कृषि के लिये दी हुई जमीन की उपलब्धि का, आवासीय भू-खण्डों की उपलब्धियों, बिजली, पानी आदि की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। प्रश्न एक उठता है कि हमारी सरकार की नीति निर्धारण के पश्चात् जिन चीजों के निदान के लिये, विकास कार्यों के लिये काफी प्रयत्न किया उसके बावजूद क्या कारण थे और क्या कारण हैं कि हमारे सामने ये नतीजे चुनाव के दौरान आये? जनता ने जिस तरह की करारी हार कांग्रेस को दी है, उसके कारण निश्चित तौर से गंभीर होने चाहिये। प्रश्न यह भी उठता है। एक क़िस्सा सामने आता है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों छोरा छोरी डूब्या क्यों? नीतियां सही हैं, मंशा ठीक है फिर विरोध क्यों? काम भी हुआ, विकास भी हुआ फिर

# Page No 42

(५२)



(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

भी नतीजे उलटे आये। किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को यदि खाने को अन्न मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, शिक्षा के लिये सुविधायें हैं, समय पर जाते हैं और समय पर आते हैं और तसल्ली से रोजगार करते हैं तो किसको पागल कुत्ते ने काटा है कि वह यह सोचे कि अब यह सरकार खराब है और इसको बदल डालो। दूसरे सरकार का बदलना कोई मिट्टी का घरोंदा तो है नहीं कि आज बनाई और कल बिगाड़ दी। हमें गंभीरता से सोचना चाहिये। इतना विकास करने के पश्चात् भी शहर में, गांवों में जो असन्तोष आया है, उससे नाराज नहीं होना चाहिये बल्कि विचार करना चाहिये, मनन करना चाहिए और भूल सुधारनी चाहिए।

प्रश्न है, पेय जल का'

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

5–7 मिनट में समाप्त कर दूंगी।

27 वर्षों में ऐसे कई गांव हैं जहां पीने का आज भी पानी नहीं है। सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कई बार जब जब भी मौका मिला है, चाहे इधर बैठने वाले कांग्रेस माननीय सदस्य हों और चाहे उधर बैठने वाले विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हों, कहने में कोई कसर नहीं रखी है और सरकार को कई बार आगाह किया है, सरकारी मशीनरी का ध्यान आकर्षित किया है कि अमुक-अमुक शहर में या अमुक-अमुक गांव में योजनाओं का लक्ष्य हमारे सामने है लेकिन उन पर ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरी हो सकती है हमारी लेकिन 27 वर्षों में गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो यह सहन करने जैसा नहीं है। लोग कहते हैं हमारे यहां पानी बहुत गहरा है तो हैण्डपम्प लगाइये या नल योजना लागू करके पानी पहुंचाइये। रेगिस्तान जैसे इलाकों में पानी आ सकता है तो कोई मुश्किल नहीं गांवों में पानी नहीं आये। यह पेय जल की स्थिति है। मैंने अभी चुनाव के दौरान देखा और पहले भी देखा था कि कई गांवों में पुरानी बावड़ियां हैं। नाहरू रोग के डर से कुए-बावड़ियों को सरकार ने बन्द करवा दिया और पहले उनका पानी पीने के लिए काम में लिया जा सकता था अब वह नहीं लेने दिया जाता। जब हम पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं तो आज जो ऐसी बावड़ियां हैं जिनमें अथाह पानी है, चूंकि लोगों का वहां जाना छूट गया इसलिये वह खन्डहर हो गई हैं जिसके कारण यह भय रहता है कि कहीं गिर नहीं जायं इसलिए पानी लेने नहीं जाते; यदि इन बावड़ियों की सीढ़ियां बन्द करवा दें, ऊपर ढाणा बनवा दें और पुराना पानी निकलवा कर साफ करवा दिया जाय तो आज भी पानी की सुविधा दी जा सकती है। जैसा मैंने अर्ज किया, किसी भी सुविधा को देखने की हमारी निगाह होनी चाहिये कि वह सुविधा इस तरह से दे सकते हैं। तो पानी की सुविधा उनको ठीक करवा कर, उनकी मरम्मत करवा कर दी जा सकती है।

इसी तरह से हमारे यहां चम्बल कमाण्ड एरिया है जिसमें बहुत सी सुविधा बढ़ी है,

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

उत्पादन बढ़ा है, विकास हुआ है। इसको कोई दर गुजर नहीं कर सकता है। उसकी प्रशंसा करने में किसी को हिचक नहीं है। वह सारी बातें होने पर भी यह स्थिति क्यों पैदा हुई। जिस तरह से हम आराम देना चाहते थे वह मिला है लेकिन उसके साथ ही दिक्कतें पैदा हुई उनको हम दूर नहीं कर सके। पानी के कारण यहां पर कई बार पहिले भी प्रश्न उठा था कि वहां पर वाटर लौगिंग की प्राब्लम है, वहां पर सीपेज है जिसकी वजह से जमीनें बिगड़ रही हैं, जमीनें ऊसर हो रही हैं लेकिन उसका लगान ले रहे हैं। किसान एक इंच जमीन, एक बिस्वा जमीन पर खेती नहीं कर सकता है लेकिन उसका लगान सरकार वसूल कर रही है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो जमीनें ऊसर हैं, जो जमीनें किसानों के काम में नहीं आ रही हैं, जिन पर खेती करने से महरूम रहते हैं उसका लगान बन्द किया जावे। जो ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है वह भी बहुत धीरे चल रहा है, उसको ठीक किया जावे ताकि यह सारी दिक्कत दूर हो सके और जमीनें सुधर सकें।

इसके साथ ही भूमिहीनों को, किसानों को जमीनें मिलीं तो या तो बंजर जमीन मिली, या ऊसर भूमि अथवा खसरा नम्बर गलत मिले। फिर वही विचार आता है कि जब अच्छा काम करते जा रहे हैं तो फिर असंतोष क्यों पैदा हो रहा है। यह तो ऐसी ही बात हो रही है कि एक बैरंग लिफाफा भेज दिया और छुड़ाने वाले ने नहीं छुड़ाया इसलिये वापस आ रहा है। बंजर जमीन दी गई, खसरा नम्बर गलत होने से उनका कब्जा नहीं दिया जाता है। चार चार महीने तक किसान एस.डी.एम. की कोर्ट में, तहसीलदार के यहां चक्कर लगाते फिर रहे हैं लेकिन कब्जा नहीं मिलता है। तो कई ऐसी स्थितियां हैं उन किसानों के सामने जिससे वे परेशान हैं। आज भी हमारे गांवों में शिक्षा की कमी है। सरकार के काम करने का तरीका है जिसके बारे में कई दफा तहसील कमेटियां, हैड क्वार्टर कमेटियां जिलों की बनाई लेकिन उसके उपरान्त भी पर्याप्त मात्रा में जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहती हूं कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में तेजी से अलाटमेंट कृषि जमीनों के हुए हैं, और भी काम हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली प्रोसीडिंग्स को उठा कर देखा जावे तो मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि कभी किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जावे लेकिन मजबूर होकर आज मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे यहां पर एक तहसीलदार हैं मिस्टर शर्मा, उन्होंने वहां पर इस बेढंगे तरीके से जमीनों का अलाटमेंट किया है कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर कोई शिकायत नहीं मिली हो। चाहे सीलिंग में आई हुई जमीन हो, साधारण जमीन हो, किसी की कीसी के नाम कर दी। जो ट्रेसपासर्स थे उनको वही जमीन नहीं देकर दूसरे किसान को देदी, जब वह गया तो उसको कब्जा नहीं मिला। मैं सरकार से निवेदन करूंगी आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, जो ये अलॉटमेंट हुए हैं उन सारे अलाटमेंट्स को जो शर्माजी के टाइम में हुए हैं, स्थगित किया जाकर उनकी जांच करवाये तो आपको

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)।

मालूम होगा कि किस प्रकार सरकारी मशीनरी बदनाम करती है । उसका रिफ्लेक्शन हमारे पर आता है और उसका नतीजा हमको गांवों में मिला है।

दीगोद तहसील हैड. क्वार्टर में एक तालाब की जमीन है जो, अलाट होती है। उसका अलाटमेंट हुआ उसके पहले भी वह जमीन डिस्प्यूटेड थी, रेवेन्यू बोर्ड से फैसला हुआ और उसके अलाटमेंट का अधिकार मिला। जिन भूमिहीन किसानों को, खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को मिलनी चाहिये जिन्होंने इतने दिनों तक इन्तजार किया फैसले का, उनको तो दो दो बीघा जमीन और शहर के रहने वाले, चाहे पंजाबी हों, या शहरी निवासी हों, पन्द्रह पन्द्रह, बीस बीस बीघा जमीन मिलती है । कलेक्टर महोदय से कहा गया, क्या हुआ, वह सब मैं यहां नहीं कहना चाहती लेकिन ये दिक्कतें हमारे सामने हैं। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स की कमेटीज में हम कह सकते हैं लेकिन वहां पर भी परेशान हो जाते हैं तो यहां नोटिस में लाना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और स्पेसिफिक केस रख रही हूं। तहसील लाड़पुरा के भदाना ग्राम के अन्दर स्टेशन के पास गोपाल फैक्ट्री के सामने लगी हुई जमीन है जहां पर फसल खड़ी हुई है, वह जमीन गन्ना फैक्ट्री के लिये अलाट कर दी गई। ठीक उस प्रकार की जमीन खाली नजदीक में ही मौजूद है फिर भी पता नहीं इन किसानों की जमीनों को लेने में ही क्या सुविधा है। फैक्ट्री को और कहीं जमीन दी जा सकती है । उनकी दरख्वास्त है कि इन जमीनों को लेने से किसानों को मुश्किल हो जायगी । अगर उचित समझते हों तो नोट करें और मेहरबानी करके जांच करावें। जब तक दूसरी सुविधा नहीं दी जावे यह जमीन नहीं दें। इन जमीनों को कैंसिल करके उन्हें न्याय दिया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शहरों की भी दिक्कतें हैं। शहरी आदमी भी नाराज हैं । मिलावट के केसेज हैं । ऐसा लगता है जैसे सरकार का राज नहीं, इन्स्पेक्टर का राज हो गया है। हमने कई बार कहा कि इतने इन्सपेक्टर मत बढ़ाओ लेकिन नहीं माने जिसका नतीजा भुगतना पड़ा है । मिलावट के केसेज की ओर बारह वर्ष से ध्यान नहीं गया, अब गया है। चाहे चने के हों, चावल के हों, गेंहू के हों, इन इन्सपेक्टरों ने चुनाव के दौरान 26 चालान वहां पर किये हैं व्यापारियों पर। किसी पूंजीपति की बात नहीं लेकिन कम से कम नियम से तो हो। मिलावट पिसी हुई हल्दी में हो सकती है लेकिन एक हल्दी की गांठ में कहीं मिलावट हो सकती है? बेसन में मिलावट हो सकती है लेकिन चने में मिलावट नहीं होती। तो इस तरह के केसेज बनाना और लोगों को तंग करना कहां तक उचित है। उसी असंतोष का परिणाम है कि जो आज उभर कर सामने आया है। इस चीज को स्पष्ट करना चाहिये कि किस प्रकार का अडल्ट्रेशन आप मानते हैं। दूध में पानी मिला हुआ है आधे से ज्यादा तो भी उसको नहीं पकड़ेंगे लेकिन जब जब जावे तो ताजा दूध के भरे के भरे दूध के ढुलवा दें। यों तो आप टेस्ट के लिये भेजते हैं, रिपोर्ट आती है लेकिन उनको इतना तंग किया जाता है कि जिससे लोगों में भयंकर असंतोष होता है। तो ये इंसपेक्टर दुखदायी हैं।

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया हमारे यहां कमाण्ड एरिया में ऐसी भूमि है जिसका लेवल ऊपर है। नहरें उस पर नहीं पहुंचती हैं। हमसे कहा गया कि लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा दी जायगी। एक क्षेत्र में नहर जा रही है उसके उत्पादन का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जहां लिफ्ट इरिगेशन नहीं हुई है जमीन बेकार पड़ी हुई है. लिफ्ट इरिगेशन हो नहीं रहा है ऐसी जमीनों को मेहरबानी करके डी-कमांड घोषित कर दें वरना वसूली उस जगह के हिसाब से हो रही है जहां इरिगेशन हो रहा है।

जो गांव इरिगेशन से बिल्कुल महरूम हैं, जिन गांवों में लिफ्ट इरिगेशन नहीं दे सकते हैं, अभी तक नहीं दे सके हैं उनके अन्दर जल्दी से जल्दी बिजली दी जानी चाहिये। इतने कुए हैं कोटा क्षेत्र के अन्दर, थोड़ा सा हिस्सा पठार क्षेत्र का है लेकिन मैं जानती हूं कि वहां एक एक गांव में 80-80 और 60-60 कुए हैं, वहां पानी की कमी नहीं है। जहां कुए हैं वहां बिजली देकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पिछले सत्र में भी मैंने निवेदन किया था और आज फिर निवेदन करना चाहती हूं कि लाडपुरा तहसील जो बिल्कुल शहर से लगी हुई है जहां अधिकांश कुए हैं वहां पर बिजली लगाने की स्वीकृति कर दें और करनी चाहिये। शिक्षा का प्रश्न है, गांवों में। शिक्षा का अभाव है। विद्यार्थियों के आंकड़े बढ़ाना चाहते हैं। कई दफा माननीय सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है और कहा है कि शिक्षा प्रणाली की क्या हालत है, भवनों की क्या हालत है। वहां स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जाकर देखें। एक तरफ हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं दूसरी तरफ शाला भवनों की मरम्मत तक नहीं होती है पहले तो हमारे पास भवन नहीं हैं। मकान मालिक सुधारना चाहते नहीं हैं। वह मरम्मत में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बरसात में मकानों के गिरने का डर है।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता में हमारा विकास क्या हो रहा है? उन लोगों को तकलीफें क्या हैं? उनकी आवश्यकतायें क्या हैं? इसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। इन सारी बातों से घबराकर जनता क्या सोचने लगी है। हमारी सेवा में क्या कमी है, इस पर हम पुनः विचार करें। हमें अपने अपने क्षेत्रों में जाना है और काम करना है। आज जिस प्रकार से बातें होती हैं। हंसी मजाक होती है। कोई पद को छोड़ कर जाने की बात करता है। कोई दल छोड़कर जाने की बात करता है। यह क्यों? इस प्रकार से या वे जायें जिसकी आकांक्षाएं अपर्याप्त हैं और वे आगे भी पूरी होने वाली नहीं या वे जायें जिन्हें एक्सपोज होने का डर है। गिलटी कोन्शस हैं वरना काम करने वाले आदमी को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है?"

माननीय राज्यपाल महोदय, कोटा क्षेत्र के बारे में जानते हैं, वहां की जमीन कैसी है। अधिकांश मन्त्रियों से यह पूछें कि उन्होंने राज्य का दौरा कितनी बार किया है? इस प्रकार से कितने लोग जाकर दौरा करते हैं? होना यह चाहिये कि सब के सब मंत्री लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर और अन्य क्षेत्रों में जाकर अपने अपने विभागों का अवलोकन करें।

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

ऐसा करें तो यह हालत होने वाली नहीं है। कोटा के 3/4 गांव ऐसे हैं, जहां आप जाना चाहें तो सीधे तरीके से नहीं जा सकते हैं। वहां कोई सड़क नहीं है। नहरों पर जाने नहीं देते और निकलने के रास्ते नहीं हैं छोटे छोटे सड़कों के टुकड़े बन जायें तो सुविधा हो जावे। जो भी दिक्कतें आती हैं, वह अगर दूर की जायें तो कितने ही लोगों को आराम मिल सकता है। इसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते हैं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहूंगी। हमारे यहां पर 10–10 और 12–12 साल पहले जो तकावी दी गई है। इतनी कम रकम मेढ पर मिट्टी डालने के लिए दी गई। 12 साल पहले मिट्टी डाली गई है। उसका कोई भी नोटिस नहीं आया। लेकिन अब उन लोगों से छोटी छोटी रकम का 100/–रु. का हजार रुपया निकाल कर वसूल किया जा रहा है। कुर्कियां की जा रही हैं। इसमें ऐसा नहीं हो कि छोटे छोटे किसानों के घरों के बर्तन भी बिक जायें। या तो उस वसूली को बन्द किया जाये। अगर लिया जाये तो किस तरह लिया जाये यह देखकर लिया जाये।

एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। इस पर एक प्रश्न भी था डी.सी.एम के क्वाइजन्ड पानी के बारे में। वहां गांवों के जानवर मर जाते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। फैक्ट्री ने प्लाण्ट भी चलाया लेकिन पूर्ण रूप से समस्या दूर नहीं हुई। कई लोगों ने जाकर देखा है लेकिन उसका पूरा इलाज नहीं हुआ है। हमने निवेदन किया, वहां उनसे बातचीत भी की। वह तैयार है इस बात के लिए कि कुए व खेलें बनवादें। लेकिन बिजली नहीं है। मोटर नहीं लग सकती है। इसलिए मेरा निवेदन सरकार से है कि आप बिजली दे दें तो इन तीन चार गांवों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पालिसी, योजनाओं और उपलब्धियों का भाषण हुआ करता है। उन्होंने दो शब्द कह दिये कि 'नये चुनावों की छाया में'। नये चुनावों के पहले की हमारी क्या उपलब्धियां रहीं, न तो इसका उल्लेख है न हमारी सोशियो-इकॉनॉमिक पालिसी का, न स्टेट की पॉलिसी का। इस सारे भाषण में प्रतीत होता है जैसे सहमी हुई, दबी हुई भाषा में भाषण हो। सारे भाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों का नकारात्मक चित्रण किया गया है। 25 जून, जिसको कि विरोधी पक्ष के लोग काला दिवस कहते हैं, को जब इमर्जेन्सी घोषित हुई उसके बाद हमने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम साम्प्रदायिकता विरोधी और फासिस्ट विरोधी कार्यक्रम थे, गरीबों में नयी चेतना पैदा करने वाले थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी नम्रता से कहना पड़ता है, 25 जून का दिन हमारे इतिहास में काला दिन नहीं, उजला दिन है जब कि साम्प्रदायिक शक्तियां, सी. आई. ए. के एजेण्ट,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फासिस्ट शक्तियां हमारे देश के प्रजातन्त्र को समाप्त करना चाहती थीं, जब कि 12 मिलिमीटर की तोपें पेशावर के हवाई अड्डे पर और कराची के बन्दरगाह पर और बाड़मेर के पास कायम हो चुकी थीं, देश के दक्षिण पन्थी इस बात पर उतर आये थे कि देश से जनतन्त्र को समाप्त कर दो, जब जयप्रकाश नारायण कहते थे कि फौज को और पुलिस को आदेश नहीं मानने चाहिए और जब अटल बिहारी वाजपेयी यह कहते थे कि प्रजातन्त्र से हमारी आस्था उठ गई, उस समय इमर्जेन्सी घोषित हुई। 29 जून को आर. एस. एस. के दफ्तर में छापे में बम और बन्दूकें बरामद हुईं। रिकार्ड मिला। यह सारे लोग घोषित प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहते थे। राज करने वाले लोगों के अन्दर क्यों कमजोरी पैदा हो गई जो उनको यह कहते हुए झिझक आ गई जिसको कि गौरवपूर्ण तरीके से कहा जाना चाहिए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव हुए और चुनावों के परिणाम भी सामने आये। राज करने वाले लोगों ने, हमने बहुत बड़ी संख्या के अन्दर हार प्राप्त की और एक नया राज बना जिसमें स्पष्ट रूप से 85 जनसंघ के लोग, 85 भारतीय क्रान्ति दल (भालोद), 30 कांग्रेस (ओ.) के लोग हैं और 15 वे लोग हैं जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं और 60 दूसरे लोग आये, एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का नया निर्माण जगजीवनरामजी के कांग्रेस छोड़ने के बाद आने से हुआ, वह भी सामने आया। ये ही वे सब लोग हैं जो चुनकर इस सरकार के अन्दर आये। मैंने कल नये प्रधान मन्त्री का भाषण सुना उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यदि मैं कोई गलती करूं तो जनता को यह अधिकार है कि मेरा कान पकड़े। मैं गर्व से कह सकता हूं कि वह प्राइम मिनिस्टर बने हैं देश के, लेकिन मेरी पार्टी कभी कान पकड़ने में पीछे नहीं हटी। सन् 1962 के अन्दर चीन ने हमारे देश पर हमला किया उस समय हमारे देश के जवानों की अंगुलियां बन्दूकों और थ्री-नॉट-थ्री के ट्रेगर पर जम गईं उस वक्त। यही महानुभाव थे जो आटोमैटिक राइफल के नमूने को लेकर दो साल तक पड़े रहे। उपाध्यक्ष महोदय, 1965 के अन्दर हमारे यहां हवाई जहाज उड़े और उनके नोजल घूमकर आने लगे तो यही महाशय थे जिनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मिग प्लान फैक्ट्री, जिसकी सैंक्शन कर दी गई थी, का दो साल तक प्लान बम्बई के बन्दरगाह पर पड़ा रहा, दो साल तक उसकी सैंक्शन नहीं दी। आज वे कान पकड़ने की बात करते हैं। आज उनके कान कोई बड़े नहीं हो गये हैं कि जनता उनको नहीं पकड़ सके। जनता ने उस रोज भी कान पकड़ा था, जब गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट पास किया था और बीस लाख सुनार बेरोजगार हो गये थे और गलियों में ठोकरें खा रहे थे। आज भी जनता उस बात को भूलने वाली नहीं है। लेकिन सबसे लज्जाजनक बात हुई जिसको कि जनता पार्टी से चुनकर आये जॉर्ज फर्नान्डिस साहब ने भी कहा और मैं भी कहना चाहूंगा, विशेष रूप से, कि जो एकतान्त्रिक तरीके की बात और जिस तरीके की, जिस कन्टेन्शन की बात ये लोग किया करते

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

हैं तथा जिस तरह से जो कुछ हुआ वह जॉर्ज-फर्नान्डिस को भी अच्छा नहीं लगा। कल जब इन्होंने शपथ ग्रहण की तब भारी तादाद में वहां पर पुलिस मौजूद थी और सबसे ज्यादा भारतीय रेडियो का उपयोग किया। उस रेडियो प्रसारण में इमाम साहब की तकरीर प्रसारित की गई उसको सुनकर लज्जा से सिर झुक जाता है। इमाम साहब ने जो बातें कहीं वह न केवल हिन्दुस्तान के लोगों ने बल्कि सारी दुनियां के लोगों ने सुनी। जामा मस्जिद के लोगों ने यह कहा कि हिन्दुस्तान के लोग बेईमान हैं वे शरीफों को बहकाते हैं और ईरान और अरब देशों की जड़ों को उखाड़ते हैं। यह तकरीर न केवल हिन्दुस्तान के अन्दर बल्कि सारे विश्व के अन्दर प्रसारित हुई। नासिर, नेहरू और टीटो को दुनिया के लोग गुट निरपेक्ष देशों का नेता मानते थे, उन्हें गुट निरपेक्षता का नेता स्वीकार किया था। अभी तो पार्टी का निर्माण भी पूरी तरह से नहीं हुआ है और जनता पार्टी के महासचिव श्री रामधन जी इस्तीफा देकर बाहर चले गये हैं। इस राज्य के मंत्री मोहन छंगाणी जी भी घबराये हुये चले गये हैं और पता नहीं क्या निकलने वाला है उनके पर्दे में से, मैं नहीं कह सकता। जनता पार्टी के महामंत्री और राज करने वाले लोगों को कुछ लोगों की बातें स्वीकार करनी पड़ीं, यह उन्हें कहना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात का गर्व है कि समय रहते हुए प्रजातान्त्रिक शक्तियों, वाम-पंथी शक्तियों और इस देश की समाज-वादी, जनवादी शक्तियों की एकता और मजबूती को मद्द नजर रखते हुए भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, लोकतन्त्र के ऊपर हमला हो, यह नहीं चल सकता है। प्रजातन्त्र के ऊपर हमले, प्रजातन्त्र पर आक्रमण को हम स्वीकार नहीं कर सकते, बरदाश्त नहीं कर सकते। किसी कीमत पर भी नहीं बरदाश्त कर सकते। कहा गया किस प्रकार मां की ममता शहजादे आलम संजय गांधी को बाजार में ला रही थी, देश के वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा था। संजय गांधी को हमारे राज्य के मुख्य मंत्री, जो आदिवासियों के नेता हैं, देश का गर्व समझते थे, स्टेज पर कहते थे आदरणीय, माननीय, पूजनीय संजय गांधी। बीकानेर में जब वह ऊंट पर से उतरे तो मुख्य मंत्री महोदय ने अपना क्षतिग्रस्त हाथ ऊंट के नीचे रख और उनको उतारा। क्या इस बात को राज्य के मंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं? इस राज्य के मुख्य मंत्री ने कहा कि कन्धा लगा दें तो संजय गांधी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आप इतना झूठ भी क्यों बोलते हैं? क्षति-ग्रस्त हाथ रखा, यह बिल्कुल गलत बात है। आपने देखा था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तो देखा नहीं, न मैंने देखा, न आपने देखा–नहीं रखा होगा, लेकिन उससे इनका गुजारा रहा। बहिनजी मुझे प्रेरित मत करिये, जगजीवन-राम को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, इन्हीं अपमान-जनक कारणों की वजह से, इन्हीं रवैयों के कारण, जो हमारे लोकतान्त्रिक कांग्रेस में पहले····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज भी वे पूंजीवादी लोगों के साथ नहीं बैठे।

# Page No 49

(497)



श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके साथ तो आप भी बैठे रहे हैं, आपको सन्तोष होना चाहिए।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि विरोधी पक्ष के लोगों को बड़ा कष्ट है, 42वें, 44वें संविधान संशोधन के ऊपर, न्यायपालिका और कार्यपालिका की दुहाई देते हैं, न्यायपालिका की हत्या हो रही है, खूनी पंजा न्यायपालिका के ऊपर रखा जा रहा है। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कोई भी न्यायपालिका पचपन करोड़ लोगों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। उस न्यायपालिका में हम विश्वास नहीं कर सकते जो राजाओं के भत्ते के प्रश्न के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दे, कोल खानों के राष्ट्रीयकरण के ऊपर स्टे आर्डर जारी कर दे, राजा महाराजाओं की सुविधाओं के प्रश्न के ऊपर स्टे आर्डर जारी कर दे। आज अगर कोई राष्ट्रीयकरण का काम किया जाय तो न्यायपालिका से स्टे आर्डर जारी हो जायगा, और अगर आज टैक्सटाइल मिलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो, किसी की सीनियोरिटी का सवाल हो या कोल खानों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो तो स्टे आर्डर जारी होगा और रे साहब के चीफ जस्टिस बनने का सवाल हो या दूसरे सवाल हों तो सीनियोरिटी का प्रश्न सामने आ जायगा और रामलीला ग्राउन्ड में दक्षिण पंथियों में बैठ जायेंगे। जो हमारे देश के बढ़ते हुए चरण हैं, सुधार के कार्यक्रम हैं उनके अन्दर रोड़े अटकाते हैं तो उस समय प्रजातन्त्र की हत्या नहीं हुई। तो, उपाध्यक्ष महोदय, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कहने में कि 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के अन्दर परिवर्तन जन विरोध का परिणाम था। परिवर्तन देश का कैसे होना चाहिए इस सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि पालियामेंट के अन्दर पूरी शक्ति के साथ उनका विरोध किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को हमारे कम्युनिस्ट पार्टी आफ इन्डिया के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश्वर राव ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था और उन्होंने एक तीस पेजेज का पत्र भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को उस वक्त लिखा था। उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि नसबन्दी के मामले में बहुत ही ज्यादतियां हो रही हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा था कि किस प्रकार नसबन्दी के लिये हरियाणा में गोली चली, किस प्रकार मुजफ्फरनगर में नसबन्दी को लेकर गोली चली। राजस्थान में जो नसबन्दी के मामले में ज्यादतियां हुई थीं उसके लिये हमारे राजस्थान के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रामानन्द अग्रवाल ने भी प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट तौर से लिखा कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से नसबन्दी के मामले में ज्यादतियां कर रही है। यहां पर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें रोक दीं, इसका उल्लेख उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को लिखे गये पत्र में है। लेकिन भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी उनको मानने को तैयार नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, उसी का यह नतीजा है, उसी कारण कांग्रेस की सरकार बुरी तरह हारी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चुनाव हुए थे यह कोई सही मायने में नीतियों के चुनाव नहीं थे। यह चुनाव ऐसे चुनाव थे जिसमें नसबन्दी के मामले को लेकर और श्री संजय गांधी के कारनामों को लेकर विपक्ष ने चुनाव

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लड़ा था। यह चुनाव लड़े गये व्यक्तिगत नाम को लेकर, व्यक्तिगत लोगों को लेकर ही चुनाव में कांग्रेस को हराया गया। वहां कोई नीतियों की बात सुनने को तैयार नहीं था। नीतियों की बात न कह कर हर जगह सिर्फ नसबन्दी की खिलाफत और संजय गांधी के कारनामों की चर्चा थी। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ग्राफ इन्डिया ने इन्हें चेतावनी दी कि इस प्रकार से अन्याय हो रहा है तो प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी पानी पी पी करके हमें गालियां देते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, करीब 8 महीने तक इन लोगों ने हमें जी भर के गालियां दीं। लेकिन हमने जो उनको उनकी गलतियां बतायी थीं उनको उन्होंने बिल्कुल नहीं माना और न ही अपनी गलतियों को सुधारा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अभी जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में सर्वप्रथम एक बात की चर्चा की वह थी सीलिंग के बारे में। शायद उनको यही बात सबसे अच्छी राजस्थान सरकार की लगी होगी। हमारे यहां राजस्थान में जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां हुई उनका उल्लेख उन्होने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, उनको यह चाहिये था कि वह 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो राजस्थान सरकार की उपलब्धियां थीं उनका उल्लेख सर्वप्रथम करते। चाहे वह उपलब्धियां भूमि आवन्टन के बारे में हों, चाहे वह बन्धक मजदूरों को छुड़ाने के बारे में हों, चाहे हरिजनों के कर्जे माफ कराने के संबंध में कानून बनाया उसके बारे में हों, चाहे हरिजनों को मकान दिलाने के बारे में हों। इस प्रकार की काफी उपलब्धियां हमारे राजस्थान सरकार ने की थीं वह सबसे पहले ले सकते थे। लेकिन राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले सीलिंग के अन्दर राजस्थान सरकार ने जो उपलब्धियां कीं उनका उल्लेख ही किया। उन्होंने इसमें यह स्वीकार किया कि राजस्थान में सीलिंग के 86762 कैसेज थे उसमें से राजस्थान सरकार ने 85530 कैसेज को तय कर दिया और इसमें सिर्फ 1232 मामले ही बाकी रहे। इसके अन्तर्गत सारे राज्य में 5 लाख 79 हजार 148 एकड़ जमीन को घोषित किया गया जो कि सरप्लस थी उसमें 4 लाख 95 हजार 163 एकड़ जमीन को ले लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन आंकड़ों को देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि सारे हिन्दुस्तान में जो जमीन लेनी थी उसमें यह एक बहुत ही सराहनीय कदम था। सारे हिन्दुस्तान में 40 लाख एकड़ जमीन लेनी थी उसमें से जुलाई के अन्त तक तो केवल 29 लाख एकड़ जमीन ही ले पाये। उसमें से 15 लाख एकड़ जमीन को वितरित कर दिया गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम हिन्दुस्तान की 40 लाख एकड़ जमीन की तुलना में देखें तो राजस्थान सरकार ने 30—32 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि अगर सीलिंग के इन आंकड़ों को अन्दर जाकर देखेंगे तो आपको इसका खोखलापन स्पष्ट प्रतीत हो जायेगा। यह तो सारी की सारी भूमि अधिग्रहण की गयी है वह धरती ऐसी

# Page No 51

(57)



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जगह है जो कि रेगिस्तानी है। इसमें से, उपाध्यक्ष महोदय, 2 लाख 82 हजार 280 एकड़ जमीन केवल जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तथा चूरू जिले की जमीनें है जो कि भयंकर रेगिस्तानी जमीनें हैं। राजस्थान के तीन जिले जो बचे हैं उनमें 45 हजार 834 केसेज हैं जो कि सारे राजस्थान के सीलिंग के पचास प्रतिशत केसेज हैं इनमें सिर्फ 1 लाख 14 हजार 343 एकड़ भूमि ली गयी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया कि हरिजनों को 1 लाख 26 हजार 183 एकड़ भूमि दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय हमारे अकेले गंगानगर जिले में 30058 केसेज सीलिंग के बनते हैं उनमें 35 हजार एकड़ जमीन ली गयी। जो कि राजस्थान में पूरी जो जमीन लेनी थी उसकी एक तिहाई जमीन थी। उसमें सिर्फ 119 एकड़ जमीन ही मई तक हरिजनों को, सिर्फ 21 हरिजनों को दी गयी और दिसम्बर तक 4 हरिजनों को जमीन दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीनें तो दे दी गयीं लेकिन इनका सिर्फ कागजों में ही अलाटमेंट किया गया। पट्टा उसमें किसी को नहीं मिला। वह बेचारे सिर्फ अलाटमेन्ट का कागज लिये इधर उधर ठोकरें खाते रहे। किसी को कब्जा नहीं मिला जो भूमि उनको अलाट की गयी थी उस पर भूपति का कब्जा है और उसने बन्दूक की नोक उन गरीबों की छाती पर रख दी। इसमें आपके चाहे जालौर के गलीफा के ठाकुर हों चाहे मगसिंह हों जिनके ऊपर पांच पांच दफा दफा 90 के वारन्ट जारी हो चुके थे लेकिन उन्होंने वहां पर बन्दूक के जोर से फसल की बुवाई करके लेली। इसी प्रकार हरिजनों की जमीनों पर और दूसरे लोगों की जमीनों पर इन बड़े बड़े भूपतियों ने, बड़े बड़े इजारेदारों और जागीरदारों ने अपना हक बन्दूक के जोर से नहीं छोड़ा। चाहे आपके सांडेराव की जमीन के बारे में सवाल हो, चाहे आपके माधोसिंह जी का हो जिनके बारे में यहां विधान सभा में पचासों माननीय सदस्यों ने जिक्र किया पर किसी ने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार आपके डूंगरपुर के महारावल की 22 हजार एकड़ जमीन सीलिंग के तहत आती थी उसको उन्होंने नहीं दिया और यहां पर कल जब विधान सभा चल रही थी तो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह पर से कल बारह महीने बाद ताला खुला। जैसे मुर्दा बोला हो कफन फाड़कर। यह बात तो आपने बता दी कि आपने जमीन वितरित कर दी। यह जमीनों का जो आपने अलाटमेन्ट करना बताया था वह कुल 12 लाख एकड़ का बताया आपने इसमें से 4 लाख एकड़ जमीन का अलाटमेन्ट कर दी जो कि 55.8 प्रतिशत होता है। यह जो भी जमीन आपने बतायी चाहे जहां का भी अलाटमेन्ट का मामला हो, चाहे आप अलवर का ही मामला ले लें वहां पर आपने अलाटमेन्ट हरिजनों को किया लेकिन उन्हें कब्जा नहीं मिलने के कारण वह लोग ठोकरें ही खाते फिरते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, अलाटमेन्ट करना तो बड़े गौरव की बात है पर जब तक कब्जा नहीं मिले वह अलाटमेन्ट किस काम का?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हरिजनों और आदिवासियों के 26533 केसेज थे जिनमें हरिजनों को बेदखल किया गया

# Page No 52

(52)



(श्री योगेन्दनाथ हांडा)

था उनमें 2519 को वापिस बेदखल किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किसकी प्रेरणा से हरिजनों को बेदखल किया गया? हरिजनों-आदिवासियों की जमीनें सवर्णों ने कैसे ले लीं? आपने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है कि अगर कोई सवर्ण हरिजनों की जमीन ले लेता है तो उसका अलॉटमेन्ट कैंसिल माना जावेगा और वह जमीन वापस सवर्णों से लेकर हरिजनों को दे दी जायेगी? आपने इन बड़े बड़े भूपतियों, धन्ना सेठों और जागीरदारों के खिलाफ में क्या एक्शन लिया? इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्य सरकार ने कानून बनाया, और 2400 रुपये तक के जो कर्ज हरिजनों और दूसरे लोगों में बकाया थे उन कर्जों को आपने खतम कर दिया। इसमें आपने 0.33 हैक्टेयर तक तो लिक्विडेशन बिलकुल कर दिया और 0.66 हैक्टेयर तक मोरीटोरियम तक कायम कर दिया। बन्धक मजदूरों के आपने 5364 मामले बताये उसमें आपने 596 का चालान किया और इसमें 51 को सजा हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चैलेन्ज कर सकता हूं कि जो आंकड़े बताये गये हैं वह बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने अकेले ने गंगानगर जिले में 15 हजार बन्धक मजदूरों को सागड़ी प्रथा से छुड़वाया है। आदिवासी सागड़ी, और गोले, दरोगे लोग हैं उन्हें आपने हजारों की तादाद में छुड़ाया है। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार को जानकारी होते हुए भी वह बताना नहीं चाहती थी सही आंकड़े और उसने सिर्फ 5 हजार मामले बन्धक लोगों के बता दिये, इसमें भी आपने 500 केसेज में चालान होना बता दिया जब कि 15 हजार मामले तो अकेले गंगानगर जिले के ही थे। क्या राज्य सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वह उन्हें बताती और नारकीय जीवन से उन्हें निकाल कर बन्धक रखने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देती?

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आपके जनता पार्टी के सहयोगी बनते हैं और श्री गुरदयालसिंह सन्धु ने जनता पार्टी के नेता का इस सदन में जिक्र किया उस प्रकाशसिंह बादल ने 70 आदमी बन्धक अपने गंगानगर जिले के फार्म में रखे थे जिनको मैंने छुड़वाया है। कहने को तो श्री गुरदयालसिंह सन्धु ने यह कह दिया कि जो सागड़ी आज तक रहे थे वह सिर्फ कांग्रेस सरकार की गलती से रहे थे। उन्होंने सारा का सारा दोष कांग्रेस सरकार पर मंढ दिया। आज प्रकाशसिंह बादल जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता बनते हैं। 1973-74 में इन्हीं बादल साहब ने 5 हजार क्विन्टल चना और गेहूं मकान में दबा रखा था, यह कम्युनिस्ट पार्टी को गौरव प्राप्त है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, किसान और खेतिहर मजदूर उनके मकान में गये, गोदाम तोड़ा और पांच हजार क्विन्टल गेहूं और चना बाजार में लाकर डाला। वे जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इसकी करुण कहानी मैंने रखी है कृष्णा और मूलचन्द की कहानी मैंने यहां रखी है। पांच सात पीढ़ी से प्रकाशसिंह बादल के वे गुलाम थे, चाहे दिलीपसिंह हो, चाहे पितृसिंह हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वह बंधक परिवार उनके खंजर और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ठोकरें खाकर जीवित था, उन सब को मुक्त कराया। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? कौनसी शरण दी आपने? कौनसी उनको जमीन अलाट की? कौनसा प्रश्रय दिया? इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बैठी। मैंने कई केस इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी में दिये। प्रकाशसिंह बादल का दिया, रायबहादुर नारायण सिंह का दिया जिनकी बहू निर्लेपकुंवर ने खुद ने कब्जा किया जो राव वीरेन्द्रसिंह की मिनिस्ट्री में रह चुके हैं उनका केस पेश किया, राजकुमारी जोधपुर का केस हो और किसी का केस हो, करणीसिंह का केस हो, वे केस मैंने पेश किये। इस सदन के अन्दर मैंने अनेक बार आई.ए.एस. अधिकारियों के केस प्रस्तुत किये, राणावत साहब का केस पेश किया, भटनागर साहब का केस पेश किया, जैड.एस. झाला का केस पेश किया। क्या हुआ? क्या हुआ करणीसिंह के केस का? शक्तिशाली रेवेन्यू मिनिस्टर की तारीफ करता हूं कि उन्होंने करणीसिंह के केस में कहा या गांव वाली जमीन लड़कियों के नाम नहीं लिखायी जा सकती है। दो साल की सजा का प्रावधान है। कार्यवाही की जावेगी। लेकिन करणीसिंह के लड़के नरेन्द्र साहब ने शाहजादे आलम की मीटिंग में आपके गले में माला डाल दी तो करणीसिहजी को 500 एकड़ का फार्म मिलिट्री को बेचने का अधिकार दे दिया गया। राव बहादुर नारायणसिंह एक लाख रुपये रोज का किराया उठाते हैं। आज भी जिनके पंजाब और यू.पी. में हजारों एकड़ के फार्म हैं, खुले आम अपनी जमीन मिलिट्री को बेच रहे हैं। आपके पास रोकने की ताकत नहीं है। इसी सदन में कोलोनाइजेशन और राजस्व मंत्री ने कहा था कि राजस्थान सी. आई. डी. पर विश्वास नहीं है, पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, राणावत साहब की जमीन हो, चाहे गोर्धनसिंहजी की जमीन हो चाहे सुलतानसिहजी की जमीन हो, किसी की भी हो, चाहे क्रान्ति करने वाले सर्वोदयी की जमीन हो, 1 लाख 25 हजार की जमीन हो, सारे केस सी.बी.आई. के पास रखता हूं। लेकिन किस सी.बी.आई. ने जांच की? बांगड़ साहब की क्या सी.बी.आई. ने जांच की? राणावत साहब ने 27 मुरब्बा उस क्षेत्र में जमीन ले ली। कहां उसकी जांच की? आज जनता का जन आक्रोश आपको सबक सिखाना चाहता है। गंगानगर में आपके नेता जाकर इस बात की घोषणा करें कि सीलिंग के केस रिओपन नहीं करेंगे, खातेदारी में मालिक का नाम होगा। तो फिर कहां जावेंगे नारायणसिहजी के मजार, विश्वेशरसिहजी के मजार कहां जावेंगे, सुगनचन्द सेठ के मजार कहां जावेंगे जिनके कारण सैकड़ों परिवारों पर केस बने और इमर्जेन्सी के अन्दर भी डंडे मार मार कर उनको कुचल दिया। आप कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, गरीब जनता आपको वोट देती है, आपका विश्वास करती है। यह ठीक है कि 3 लाख से अधिक जमीन आपने राजस्थान नहर क्षेत्र में अलॉट कर दी। इसी सदन में मैंने कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, हजार हजार फीट, पांच पांच सौ फीट के धोरे हैं, उन जमीन पर पानी नहीं लगता फिर भी नहरी काश्त का तावान वसूल कर रहे हैं। इमर्जेन्सी में 80 लाख का तावान आपने वसूल किया, कहीं 20 गुना, कहीं 25 गुना, कहीं 30 गुना, कहीं 50 गुना। बहुत से ट्रेसपासर्स हो सकते हैं उनमें बहादुर किसान भी हैं जिन्होंने सिर पर टोकरियां ढोकर राजस्थान नहर का निर्मा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

किया। उसमें जायल के गरीब लोग भी हो सकते हैं जो राजस्थान नहर बना रहे हैं। उनमें बालोतरा के लोग भी हो सकते हैं, बाड़मेर के भी लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने नहर का निर्माण किया, मुझे उनका भविष्य अच्छा नजर नहीं आता। एंक्रोचमेंट दूर करते गोवर्धन सिंह जी का तो गर्व की बात होती, राजकुमार का एन्क्रोचमेन्ट दूर करते तो गर्व की बात होती लेकिन एन्क्रोचमेन्ट के नाम से उन 8 हजार लोगों का कब्जा तोड़ दिया जिनका 1956 से कब्जा था।

इसी सदन में रेवेन्यू मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि तीन आदमियों की कमेटी का निर्माण करूंगा ताकि जिसको जमीन नहर की अलॉट हुई है और उस जमीन पर पानी नहीं लगता है तो उसको बराबर की दूसरी जमीन दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जमीन की कीमत दुगनी की गयी और बाद में बहुत चीखने और चिल्लाने के बाद में 75 परसेन्ट की। मैंने कहा था कि चूरू के लोगों को जमीन देनी होगी। नागौर के लोगों को जमीन देनी होगी। गंगानगर की केटेगरी के लोगों को जमीन दी जाय। चूरू के लोगों को जमीन दी जाय। दी जानी चाहिये उनको जमीन। ठेका नहीं है गंगानगर के लोगों का। राजस्थान नहर का निर्माण हो रहा है उसका राजस्थान के 2।। करोड़ लोगों के लिए निर्माण हो रहा है। गंगानगर की इजारेदारी नहीं है। लेकिन जब चूरू के किसान की बारी आई, जब जोधपुर के गरीब किसान की बारी आई तो 20 हजार रुपये जिस मुरब्बे की कीमत थी उसकी कीमत बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी। जब नागौर, जायल और नोखा के किसान को किश्त अदा करनी थी तो वह 4 हजार रुपये साल की किश्त अदा करे और फिर आप कहें कि जनता ने आपको ठोकर मार दी, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। आपके यह नियम जनता को मजबूर कर रहे थे कि आपको ठोकर मार दी जाये और जनता ने ठोकर मारी। आपको वोट नहीं दिया। कुए में वोट डाल दिया, जनसंघ को वोट डाल दिया। आपने एक आकांक्षा उनके दिलों में पैदा कर दी और उस आकांक्षा की आपने पूर्ति नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सी बातें इस सदन में कही गयीं और राज्यपाल महोदय ने गौरव के साथ उन बातों को कहा, उनमें विशेषकर राजस्थान नहर से सिंचन की बात कही कि जो सिंचन 2.80 लाख हैक्टेअर में होने वाला था वह सिंचन बड़ी मुश्किल से अब 2 साल या तीन साल के गैप के बाद 3 लाख हैक्टेअर में हुआ है। हमारा टार्गेट 5 लाख का था वह 3 लाख पर ही अड़ा है और हम कहते हैं कि मार्च, 77 के अंदर उस टार्गेट को 4 लाख 80 हजार कर देंगे। अब ऐसा जादू का डंडा तो है नहीं कि मार्च 77 तक टार्गेट पूरा कर दें। राजस्थान नहर से सन् 1968 के अन्दर 18 लाख एकड़ का सिंचन आरम्भ कर देना चाहिए था, आज राज्यपाल महोदय बधाई दे रहे हैं कि प्रथम चरण पूरा करके अब दूसरे चरण में पानी प्रवेश कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 15 वें सूत्र में 50 लाख हैक्टेअर का राष्ट्रीय सिंचन का लक्ष्य रखा गया था। उस सूत्र के लिए राजस्थान की सरकार राज्यपाल महोदय के भाषण में कहती है कि हमने पूरा किया है, साईं डेम की टनल पूरी हो गयी, गोपालपुरा पर हम लिफ्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लगा रहे हैं और एक जगह और सिंचन आरम्भ कर रहे हैं लेकिन राजस्थान नहर में उस सूत्र को ठोकर मार दी। फरवरी, 1970 में मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी और, उपाध्यक्ष महोदय, जो सब-कमेटी बनी थी इम्पलीमेन्टेशन कमेटी उसका मैं भी मेम्बर था, उस सब-कमेटी ने आज से 7 महीने पहले रिपोर्ट बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए दे दी। कहां हुआ इम्पलीमेन्टेशन मोतीराम कमेटी का? कहां हुआ राजस्थान केनाल के पानी का प्रयोग? हम गौरव के साथ कहते हैं कि पोंग डेम से पूरा पानी मिलना शुरू हो गया है। जरा जाकर देखिये कि क्या हो रहा है उस पानी का।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बस क्लोज ही कर रहा हूं।

सूरतगढ़ के पास 18 जीरो के अन्दर 60 फीट पानी खड़ा है। राजस्थान नहर का 500 क्युसेक्स पानी 24 घंटे उन जीरो के अन्दर बढ़ता रहता है। तलवाड़ा हैड से 600—400 क्युसेक्स पानी 24 घंटे उन डिप्रेशन्स के अन्दर गिरता है। किशनपुरा डूब गया है। बडोपल डूबने के लिए तैयार है। सैंकड़ो माइनर्स हैं, सब माइनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं। बार-बार इस सदन के अन्दर कहा है कि उनका कन्स्ट्रक्शन कराया जाये लेकिन नहीं कराया गया। फलस्वरूप पानी का यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी ने चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स बुलाकर दिल्ली में कहा, चीफ सैक्रेटरीज की कान्फ्रेन्स बुलाकर दिल्ली में कहा और अनेकों बार राज्य के मुख्य मंत्रियों ने भी कहा कि इस नौकरशाही के आधार पर, कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो सकता है, यह ब्यूरोक्रेसी इम्पलीमेन्ट नहीं करेगी, इम्पलीमेन्टेशन होगा तो योजनाओं को, सूत्रों को गांव के आंगन तक ले जाना पड़ेगा, गांव स्तर की कमेटी बनाकर इम्पलीमेन्टेशन करना पड़ेगा। फिर भी आज क्या हो रहा है यह राजस्थान नहर पर जाकर देखिये। पानी एक तरफ बेकार जा रहा है, ठोकरें खा रहा है टीबों के अन्दर सिर पटक कर रो रहा है और दूसरी ओर गांवों के गांव ऐसे हैं कि जहां एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। यह इरिगेशन विभाग के अधिकारी एक-एक अधिकारी करोड़पति बन गये। एक-एक आउटलेट के लगाने का 20—20 हजार रुपया चाहिए। चैनल्स नहीं खोदते।

उपाध्यक्ष महोदय, वसूलियां की गयीं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इमर्जेंसी में बेरहमी से वसूलियां की गयीं। कोटा से आने वाली आदरणीय सदस्या कह रही थीं कि किस प्रकार से वसूलियों के मामले में लोगों की खाल खींची गयी। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब का टिपारा नीलाम कर दिया गया। यह सत्य है कि सदन के अन्दर सवाल आया। बिड़ला जी की 65000 एकड़ जमीन झुंझुनूं में है उस पर 30 लाख रेवेन्यू बकाया है लेकिन आज तक उसकी वसूली नहीं हुई। बिड़ला जी के इलेक्ट्रीसिटी चार्जेज की वसूलियों का सवाल आया लेकिन आज तक उसकी वसूली नहीं हुई। एक गरीब के जिम्मे खाद का थैला निकाल कर उसका हमने सिर्फ चोला छोड़ दिया। गंगानगर में वसूलियां का तरीका क्या है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहर का पानी बन्द कर दिया तो उसको चालू कराने का तरीका नसबन्दी है। गंगानगर में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
हर बात के लिए तरीका क्या है, नसबन्दी। पीठ में छुरा भोंक दो।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं और भी बहुत से प्रश्न थे। पांच साला मुक्ति के प्रश्न थे। करीब 35 हजार केसेज में यह बात बताई गई है लेकिन 20 हजार केसेज तो उदयपुर के ही हैं। राजस्थान सरकार को कोई गौरवान्वित होने का अधिकार नहीं है कि पांच साला जमीन से मुक्त कराया है। ऐसी हजारों जमीनें हैं जिसके फर्जी बेनामे हुए हैं। हरिजनों की जमीनें भूपतियों के नीचे दबी हुई हैं। उनकी मुक्ति का सवाल है।

अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने बंधकों को नहीं पहचाना। जहां गांव के गरीब ने अंगड़ाई ली और जहां गरीब उठा वहां मनीलेन्डर्स, भूपति और जागीरदार आपसे नाराज हुए। धन्ना सेठ की काला बाजारी रोकने का आपको गौरव प्राप्त है वह नाराज हुआ। आपने धन्ना सेठ के आगे घुटने टेक दिये, आपने भूपतियों के आगे घुटने टेक दिये, आपने अमीरों के आगे घुटने टेक दिये। जिस कांग्रेस को गरीब किसान और हरिजन ने एक साल के लिए भी नहीं छोड़ा, आप इतिहास को देखिये कि 30 साल की स्वतंत्रता के बाद हरिजन ने भी आपका दामन छोड़ दिया। जो लगातार आपके साथ चला आया इसमें एक आकांक्षा जागी थी उसको आपने ठोकर मार दी।

अडल्ट्रेशन के केसेज हुए। जाजू साहब के यहां ग्रीस का ड्रम गिरता हुआ श्री एल. एन. गुप्ता ने देखा लेकिन जाजू साहब का चालान नहीं किया गया। इसी सदन के अन्दर ऐसे केसेज रखे हैं। शिव चरण जी ने कहा कि हम चालान करेंगे आपने चालान नहीं किया। पूंजीपतियों को रियायतें दीं लेकिन गरीब को देने के लिये आपके पास कुछ नहीं था। इसलिये आम आदमी आपके साथ नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस देश के अन्दर पांच आदमी के पीछे एक आदमी है जो 70 पैसे के अन्दर गुजारा कर रहा है। आधी आबादी ऐसी है जो 93 पैसे में गुजारा करती है और देश के अन्दर बिरला की पूंजी 268 करोड़ से बढ़कर 1064 करोड़ हो गई। टाटा की सम्पत्ति 900 करोड़ हो गई। इस देश में आप समाजवाद लाना चाहते हैं? कौन-सी नीति है आपकी? क्या आप ऐसा समाजवाद देश में लाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या जाजू, बिरला, टाटा की सम्पत्ति स्वीकार है या समाजवाद स्वीकार है? यह साधी सीधी नीतियां हैं जो देश के सामने हैं। जनता पार्टी के भी सामने हैं यह नीति और आपके सामने भी है और देखना है कि आप कौन-सी नीतियों को अपना कर चलते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल पाली।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के राज्यपाल के

(श्री शंकर लाल)

अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने प्रारम्भ में देश में लोक सभा चुनावों की चर्चा की है और चुनावों को निष्पक्ष और शांतिमय वातावरण में होना बताया। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चुनाव हुए थे, वास्तव में उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई और निष्पक्ष हुए, शांतिमय वातावरण में हुए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर विरोधी पक्ष हारता तो मुझे शंका है कि इस चुनाव को निष्पक्ष चुनाव नहीं कहते। आज भी राजस्थान के अन्दर जहां 25 सीटों में से 24 सीटों पर विरोधी पक्ष जीता है और एक सीट पर जहां विरोधी पक्ष हारा है वहां के चुनाव के लिये विरोधी पक्ष कहता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। यह उनका एक रवैया है। यह मैं ही नहीं कहता, आज इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, श्रीमती गांधी ने भी, हमारी पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि चुनाव शांतिमय वातावरण में हुए हैं और इसको स्वीकारा है। उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के चुनावों के संदर्भ में ही हमें विचार करना पड़ेगा। मैं यह नहीं मानता, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जीत विरोधी पक्ष की नीतियों और कार्यक्रमों की जीत थी। जैसा कि विरोधी पक्ष के श्री गुरदयालसिंह सन्धु ने बताया कि यह एक नेगेटिव वोट था। यह सरकार के प्रति नाराजगी का वोट था। विरोधी पक्ष अच्छा है, विरोधी पक्ष की नीतियां बढ़िया हैं इसलिए उसको जनता ने वोट नहीं दिया। चाहे इन्दिरा जी की नीति कारण हो, चाहे संजय कारण हो, इमर्जेन्सी कारण हो, सेन्सरशिप कारण हो, चाहे लोगों को जेल में डालने की बात हो, इन सबके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन इन सब कारणों से जो एक नाराजगी थी उस नाराजगी की ही यह मार है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की बात कही गई कि प्रजातन्त्र के लिये संघर्ष कर रहे हैं और देश में प्रजातन्त्र कायम करना चाहते हैं। वहां हमने कम ही देख लिया। उनके नेता के चुनाव में ही देखा। जनता पार्टी के रामधन ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। प्रजातंत्र के नाम से लड़ने वाले, स्वयं के नेता का चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं कर पाये तो किस प्रकार के प्रजातंत्र में विश्वास कर रहे हैं? चुनावों से पहिले प्रधान मंत्री पद के लिये चर्चा हुई थी। जगजीवनराम ने कहा था कि कोई कशमकश नहीं होगी। हमने देखा, स्वयं जनता पार्टी के लोगों ने देखा जब रामधन ने इस्तीफा दिया। फर्नान्डिस ने घोषणा की उन्हें इस बात का दुःख है कि नेता का चुनाव प्रजातांत्रिक ढंग से नहीं हुआ। अब जनता के सामने इस बात की शंका होना स्वाभाविक है कि प्रजातंत्र के नाम पर जीतने वाले हैं स्वयं उनकी आत्मा कहती है या नहीं कहती है कि किस प्रकार प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। बाबू जगजीवनराम की अनुपस्थिति, चरणसिंह की अनुपस्थिति, फर्नान्डिस का बयान, रामधन का इस्तीफा, इन सारी बातों पर विरोधी पक्ष को विचार करना चाहिये। जो कि प्रजातंत्र की बात कहते हैं क्या उन्होंने नेता का चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से किया है?

(श्री शंकरलाल)
प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोरारजी देसाई ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य की सराहना करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया है अगर उसी प्रकार की बात वे आगे जाकर करेंगे और कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा और उनका जैसा विचार है अगर वैसी ही बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके भाषण में जो अच्छाई लगी है वह आगे चल कर अच्छी ही निकलेगी। इन्दिरा जी ने उनको स्वयं सहयोग देने की बात कही है। मोरारजी ने भाषण में जैसा कहा, उसकी तरफ आपका और सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। चुनावों के बाद जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही कि राज्यों में अब तुरन्त चुनाव करा देना चाहिये लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा है कि जहां बहुमत की सरकार चल रही है और वह बहुमत न चलती रहेंगी तो उनको टापल डाउन करने का या समय से पहिले वहां चुनाव कराने का कोई कारण नहीं है। समय पर ही चुनाव होंगे। यह बात बहुत अच्छी और प्रजातांत्रिक बात लगी है। लेकिन उनके लोगों को ही शंका है कि कहीं कथनी और करनी में फर्क न हो जाये। प्रारम्भ से मेरा राजनीति से सम्बन्ध रहा है। दल बदलने के पक्ष मे मैं नहीं हूं। आपको दल बदलना है बदलें लेकिन सदस्यता को छोड़कर जायें। आप जिस पार्टी से एम. एल.ए. बनकर आये हैं उस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं छोड़े लेकिन एम.एल.ए. शिप से भी आपको इस्तीफा देना चाहिये इसलिए मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारी पार्टी में भी बदलाव हुआ था। आज मोरारजी देसाई ने भी कहा है कि दल-बदलाव के लिये कानून बनायेंगे। वे इस दल-बदलाव को अच्छा नहीं समझते हैं। अगर उनकी कथनी और करनी में फर्क है तो ऐसा नहीं हो कि पहले छूट दे दें और कह दें कि पहले दल बदल कर जनता पार्टी में आ जाओ और बाद में कानून बना दें फिर तो उनकी कथनी और करनी में फर्क है...

श्री केदार नाथ : पालियामेंट में सात साल से वह पैंडिंग है।

श्री शंकरलाल : पेन्डिग है तो जल्दी से पालियामेंट पास कर दे। राज्य सरकारों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है आप उनको समय तक काम करने दीजिये फिर उसके बाद वोट से फैसला होता है तो ठीक है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में अच्छी बात कही है। विदेश नीति के बारे में कहा है, उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उस बात की चर्चा नहीं की जिस मुद्दे को लेकर राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाराजगी थी और वह नाराजगी थी परिवार नियोजन के कारण। क्यों वे परिवार नियोजन की बात को चबा गये? क्या आशंका थी उनको? सरकार को इस बारे में बताना चाहिये था। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा और राज्य सरकार से जवाब तलब करना चाहूंगा कि आपके क्या टार्गेट्स थे? आपके डेढ़ लाख के टार्गेट्स थे और

(श्री शंकर लाल)

आपने तीन लाख का फिगर बताया है राज्य सरकार को यह बात जरूर है कि इमर्जेन्सी में केन्द्र सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यह आर्टिकल 352 में, इमर्जेन्सी डिक्लेरेशन में है। राज्य सरकारों की खुद की आजादी नहीं रहती है। केन्द्र सरकार के उनको आदेशों का पालन करना पड़ता है लेकिन उसमें ओवर एन्थूजियज्म और ओवर एस्टीमेट गलत चीजों का होने दें तो राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। मुझे खुशी है, मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के दौरान अपने भाषणों में कहा है कि जहां कहीं भी इस नसबन्दी के मामले में सरकारी कर्मचारियों ने या जिस किसी ने ज्यादती की होगी और जिसने आदेश के खिलाफ कार्य किया है, उसको दण्डित करेंगे। कल भी मैंने मुख्य मंत्री जी से पूछा है। कई लोगों की आशंका है कि राज्य सरकार ने स्वयं करवाया है। मुख्य मंत्री जी ने टार्गेट जरूर दिये थे लेकिन पर्सुएसन्स के जरिये काम करने को कहा था। मेरे स्वयं के गांव में, मेरे स्वयं के रिश्तेदार, जिनकी उम्र 75 साल की थी, और ऐसे लोगों की, जिनके 30-30 साल से बच्चे नहीं हुए थे, चलते-फिरते नसबन्दी की है। कौन जिम्मेदार है, पटवारी है या कोई और है ? इसका नतीजा निकालना चाहिये। स्वयं मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की तो मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में इन्क्वायरी बिठायें, एन्क्वायरी कमीशन बिठायें कि इन ज्यादतियों में सरकारी कर्मचारियों का हाथ है या किसी और का है ? सरकारी कर्मचारी कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, यह तो राज्य सरकार का हुक्म था। तो यह नतीजा निकालना चाहिये कि राज्य सरकार या जनता पार्टी की बात सही है या सरकारी कर्मचारी की बात सही है ताकि स्पष्ट चीज जनता के सामने आ जाय। इससे आपका दामन भी साफ होगा। फिर राज्यपाल महोदय ने क्यों नहीं परिवार नियोजन का जिक्र किया ? यह गलत बात है। आपको अपनी चीज साफ करने के लिए स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस बात के कारण यह हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे भाषण के अन्दर आंकड़े जरूर हैं कि कौन-कौन से विकास के कार्य हुए हैं, कितनी भूमि बांट दी है, कितनी जमीन हाउस साइट्स की बांटी है, कितनी फेमिलीज को कवर किया है, कितनी पुलिया बनायी हैं, कितनी रोड्स बनायी हैं और कितना डेयरी और एग्रीकल्चर का काम कर दिया। लेकिन हमें, उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से मतलब नहीं है। आंकड़ों के साथ नीति की और भविष्य की बात भी कहनी चाहिये थी।

मैं एक बात और कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स ने इन चुनावों में भी इतना होने हुए भी सत्तारूढ़ पक्ष का साथ दिया है। मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ साथ अब आपको जो पब्लिक के दूसरे सैक्शंस हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना होगा। केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर किसी आदमी को कन्सेशन देना उचित नहीं होगा। अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, चाहे उसमें अमृत लाल जी हों या जगजीवन राम जी हों, अगर उनके बच्चे आज आकर खड़े होते हैं तो यदि वे थर्ड

(श्री शंकर लाल)

क्लास भी हैं तो भी उनको प्रिफरेन्स मिलेगा और जो पूअर क्लास के हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। यह गलत बात है। आपको उनकी आर्थिक स्थिति को देखना पड़ेगा जाति को नहीं देखना पड़ेगा। अगर जाति पर जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में कितनी ही ऐसी जातियां हैं जिनको आपके समाज कल्याण विभाग ने पिछड़ी हुई जातियों में घोषित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजस्थान की पिछड़ी जन जाति कल्याण परिषद् ने 14-12-76 को प्रस्ताव पास किया कि जो पिछड़ी जाति की सरकार ने घोषणा की है उसके लिए भी आप कुछ करें। आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो किया, हम उसका विरोध नहीं करते हैं और सराहना करते हैं लेकिन जो अदर बेकवर्ड क्लासेज हैं जिनका 56 नम्बर आता है, मैं पढ़कर इसलिये नहीं सुनाऊंगा कि आपका और सदन का समय जाया होगा लेकिन बेकवर्ड क्लास की लिस्ट समाज कल्याण विभाग ने निकाली है जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। मैं यह कहूंगा आर्थिक दृष्टि से अच्छे आदमियों को इससे निकालें और जिनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है उनके लिये भी आपसे, राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि आप उनके लिये एक आयोग का गठन करें। जिस प्रकार आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये एक आयोग का गठन कर रखा है जिसके भीखा भाई अध्यक्ष हैं उसी प्रकार जो बेकवर्ड क्लास हैं उनके लिये भी एक आयोग का गठन करें जैसा कि यू.पी. की सरकार ने किया है। आप बेकवर्ड क्लासेज के लिये भी कुछ करें और एक आयोग का गठन करके उनको भी नौकरी में, शिक्षा में और दूसरे क्षेत्रों में प्राथमिकता दें। क्योंकि संविधान में जो बात कही गई है उसके अनुसार शैक्षणिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से उनका संरक्षण करें। अब यह राज्य सरकार पर है कि कौनसी जातियां पिछड़ी हुई हैं और कौनसी नहीं हैं। इसलिये आप जिन्हें पिछड़ी हुई जाति मानते हैं उनके लिये एक आयोग का गठन करें और कन्सेशन की बात करें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो नाराजगी हमारे सामने लोक सभा के चुनावों में आई है वह लैन्ड रिफार्म और हाउस साइट्स के बारे में आई है। आज आपने 8 लाख आदमियों को हाउस साइट्स देने की बात कही थी लेकिन उनको कितने मकान मिले हैं.....

(2-40 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात का जिक्र भी भाषण में किया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह 8 लाख आदमियों को हाउस साइट्स के अलाटमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या उसी प्रकार आप करना चाहते हैं? मैं समझता हूं हजारों के भी मकान नहीं बन पाये हैं तब आपका मकसद क्या पूरा हुआ? चाहे कानून से वे आज उसे ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरह से वे ट्रान्सफर कर देंगे। उन्हें बेचकर पैसा ले लेंगे और कहेंगे बाद में देखा जायगा। इसलिए चौथी बात मैं यह निवेदन

(श्री शंकरलाल)

करता हूं कि आपने जिन पिछड़े हुए आदमियों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों के लिए रिहायशी मकानों के लिए प्लाट अलाट किए हैं, उनके मकान बनाने के लिए आप धनराशि की भी व्यवस्था करें। आप अपने खजाने को खोल दें। आप अपने बैंकों से, दूसरी जगहों से चाहे कहीं से हों, राजस्थान हाउसिंग सोसायटी, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के जरिये से व्यवस्था करें। मेरा निवेदन है, जो चन्द आदमियों के लिए, चन्द जाति के लोगों के लिए काम किया गया है उससे कोई बड़ी समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसको आप गंभीरता से सोचें और जिनको प्लाट दिए हैं उन सब के लिए धन और ऋण की व्यवस्था करें ताकि उनके मकान बन सकें और उनको हाउसेज बनाने के लिए प्लाट दिए हैं वह मकसद पूरे हो सकें, वरना मकसद पूरा नहीं होने वाला है। कोई फायदा न तो उनको मिलने वाला है और न किसी सरकार को मिलने वाला है।

सभापति महोदय, हमारे गांवों के अन्दर जो काश्तकार वर्ग है, जो हमारे समाज और मतदाताओं में रीढ़ की हड्डी की तरह है, उसकी नाराजगी को दूर करना पड़ेगा। आज किसानों के अन्दर दो बातों को लेकर बड़ी नाराजगी है। एक तो है बिजली के बारे में। बहुत से मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह बात कही है मैं उस बात को वापिस दोहराना नहीं चाहता, लेकिन, सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस बिजली के मामले में काश्तकारों को परेशानी होती है, जिस प्रकार खड़ी हुई फसल को जलते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि बिजली नहीं आ पाती और जिस प्रकार उनसे कई गुना, हजारों की धनराशि वसूल की जाती है जब कि एक तरफ तो फसल को पानी नहीं मिल पाता, दूसरी तरफ बिजली लगाने के लिए उससे हर प्रकार का पैसा लिया जाता है, खम्भे का पैसा, तार का पैसा, मीटर का पैसा, मोटर जल जाए तो उसका पैसा वसूल किया जाता है, कितने ही प्रकार की वसूली होती है। इसके लिए आप उनके नोटिसेज को देखें। उसका उत्पादन कितना बढ़ा, कितना उत्पादन उसके खेत पर हुआ, कितना फायदा उसको हुआ, बिजली का पैसा कितना लगाया, यह सब आपको देखना पड़ेगा। आपको निश्चित तौर पर इस बिजली के मामले में देखना पड़ेगा। आप चाहे इंक्वायरी कमेटी गठित करें, चाहे समिति बनावें या आप स्वयं इस बात को देखें लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा और हमारे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो किसान इस बिजली के कारण परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं बिजली के अलावा दूसरी बात है उसको भी देखना पड़ेगा जिनके कारण गांव वाले दुखी हैं। आज ही नहीं मैंने पहले भी कई बार इस सदन में कहा है और आज फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि आपको चाहे कितनी ही योजनाओं को कम करना पड़े लेकिन कम से कम राजस्थान के अन्दर इस बात की एक टाइम बाउण्ड घोषणा कर दें, एक साल के अन्दर, दो साल के अन्दर, राजस्थान का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी। यह बात सही है,

(श्री शंकरलाल)
आजादी के इतने वर्ष होने के बाद भी आज आपका मतदाता, जिसको हम मालिक कहते हैं, वह हमारा मालिक बिना पानी के है। फिर हम नौकर क्या करते हैं ? उनको पीने का पानी तक नहीं दे सकते हैं ? जाने दीजिए आप सड़कों को, जाने दीजिए आप स्कूल को, जाने दीजिए आप अस्पताल को, ये सब बाद की बातें हैं लेकिन सबसे पहले जिन्दगी के लिए पानी की जरूरत होती है। राजस्थान के ऐसे कई गांव हैं जिनके अन्दर पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। पानी है उससे बीमारियां होती हैं, बाले का रोग होता है। इसके बारे में कितनी ही बार इस सदन में कहा गया है। अगर अब भी आप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो इसके लिए हमको आन्दोलनात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। राजस्थान के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पेय जल का है। कम से कम आप गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था करें। कोई गांव ऐसा न छोड़ें जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो। जिस प्रकार हरियाणा में बिजली के लिए किया गया। प्रत्येक गांव में बिजली लगाई गई, वह बात दूसरी है, राजस्थान में पहिले आप पेय जल पर ध्यान दें। आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आपके सामने कुछ भी कारण हों लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। आपको राजस्थान के अन्दर एक ऐसे जल बोर्ड का गठन करना पड़ेगा जिसके लिए इसी सदन में प्रस्ताव पास हो चुका है। सभापति महोदय, जल बोर्ड के गठन का आपका स्वयं का प्रस्ताव था, श्री रघुनाथ विश्नोई का प्रस्ताव था जिसका हम सबने समर्थन किया था। राजस्थान के गांवों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए एक जल बोर्ड का गठन होना चाहिए, यह प्रस्ताव हमने स्वीकार किया था इसी सदन के अन्दर, उसके उपरान्त भी आज तक उसको क्रियान्वित नहीं करना इस सदन के प्रति राज्य सरकार की वफादारी नहीं है। उसको क्रियान्वित करना चाहिए। राज्य मंत्री बैठे हैं वे मुख्य मंत्री को बतावें। राज्य सरकार इस बात का जवाब दे कि सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद भी आपने उसकी अनुपालना क्यों नहीं की ? आप उस प्रस्ताव को कार्यान्वित क्यों नहीं करते ? सदन का क्यों मखौल करते हैं आप ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आपकी घण्टी बज चुकी है इसलिए मैं केवल कुछ बातों के ऊपर बहुत ही संक्षेप में निवेदन कर देना चाहता हूं।

एक तो राज्य कर्मचारियों की यह बात थी। राज्य कर्मचारियों को उनकी गलतियों पर नहीं लेकिन हम कम से कम उनके दुःख दर्द को भी सुनें। यह भी हजारों की तादाद में जो लोग हैं अपने भाई हैं, उनके बारे में इस भाषण में कहा है कि उनके प्रमोशन के लिए उनकी कान्फिडेंशियल रिपोर्ट, गोपनीय प्रतिवेदन को कंसीडरेशन में न रख कर उनके कार्य के ऊपर प्रमोशन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह बात नहीं हो रही है। आज भी आपकी डी. पी. सी. डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उनके सी. आर. को देखती है। गोपनीय प्रतिवेदन को देखती है। मेरे पास स्पेसिफिक ऐसे मामले आए हैं, लोगों का प्रमोशन इसलिए रोक दिया गया है कि गोपनीय प्रतिवेदन नहीं था।

(श्री शंकरलाल)

मेरा निवेदन करना है कि आखिर गोपनीय प्रतिवेदन किस प्रकार का है। जो बोस को सलाम करे, बोस के लिए बाजार से सब्जी लाए तो उसका गोपनीय प्रतिवेदन सबसे अच्छा। काम चाहे कुछ नहीं करे लेकिन बोस को जाकर सलाम करता रहे, बोस की हाजरी भरता रहे तो उसकी बहुत बेस्ट गोपनीय रिपोर्ट करते हैं। अगर काम करता रहे और उनके पास न जाय तो बिलो एवरेज होगा। आज भी मैं यह कहता हूं कि आपको इसके लिए अपने भाषण में स्पेसिफिक घोषणा करनी पड़ेगी। आपने कई लोगों का कम्पलसरी रिटायरमेंट किया है। यह बात जरूर है कि कई भ्रष्टाचारी थे जिनका आपने कम्पलसरी रिटायरमेंट किया है। साथ ही यह भी है कि कई ऐसे आदमी हैं जो कि भ्रष्टाचारी नहीं थे उनका केवल इस कारण से कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया कि आपसी रंजिश के कारण उसकी फाइल में इस प्रकार की रिपोर्ट बना कर रख दी। क्या राज्य सरकार आज यह कह सकती है कि आपके प्रशासन में अब जो लोग रह गए हैं वे सब बहुत ईमानदार हैं और जिनको कम्पलसरी रिटायर किया वे सभी भ्रष्टाचारी थे ?....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : कम्पलसरी रिटायरमेंट की आप क्या बात करते हैं, आज तो मंत्री भी अपने अपने गोपनीय रिकार्ड ठीक बनाने के चक्कर में लग रहे हैं।

श्री शंकरलाल : वह तो सब पर लागू होता है चाहे मंत्री भी हों, वे भी राज्य सरकार से तनख्वाह लेते हैं। मैं कहता हूं कि राज्य के कर्मचारी ही नहीं लेकिन जो राज्य से तनख्वाह लेते हैं, चाहे मंत्री हों, मुख्य मंत्री हों, चाहे एम.एल.ए. हों, हम भी राज्य की जनता का पैसा लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे मंत्री हों, चाहे कोई भी हों, सब पर समान रूप से यह लागू होता है। मेरा निवेदन करना है कि हमारे कर्मचारियों का इमर्जेन्सी के अन्दर मुंह बन्द था। वह अन्दर ही अन्दर घुट रहे थे, इस बात को कह नहीं पा रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों के प्रति अन्याय हुआ है। इसको आपको दूर करना पड़ेगा। आपने इस बात को कहा है लेकिन इसको वास्तविकता के ऊपर लाना पड़ेगा। उन सारे केसेज में कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, मियाद के बिना ही हमें आज इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि जिस किसी कर्मचारी को जांच करवानी हो तो वापस जांच करवा लें। आखिर गोपनीय प्रतिवेदन का आधार क्या है ? मुझे स्पेसिफिक केसेज याद हैं जिसमें गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर लोगों को कम्पलसरी रिटायर किया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है।

सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, आप घण्टी न बजायें, दो मिनट में कह दूंगा।

मैं निवेदन करूंगा आपका अडल्ट्रेशन एक्ट है, आपके इस मिलावट विरोधी कानून के अन्दर कई खराबियां हैं। दिक्कत यह है कि मिलावट कोई करता है और सजा कोई पाता है। आज कोई मिठाई वाला है जो दूध लाकर मिठाई बनाता वह जब दूध लेता है तो उसको पानी मिला कर

(श्री शंकर लाल)

कोई दूसरा देता है। अगर वहां इन्सपेक्टर आ गया, उसने दूध का सेम्पल लिया और उसमें पानी पाया गया तो चालान उस मिठाई वाले का होगा। आज सुमेरपुर में तेल के पीपे के अन्दर मिलावट हो और अगर वह पाली में आकर बिकता है तो उस छोटे से आदमी का, उस छोटे से दुकानदार का चालान होता है जिसके यहां पीपा पड़ा हुआ है, जो मिलावट करने वाला नहीं है यह कानून में प्रोविजन है कि जिसके पजेशन में मिले उसको सजा हो। आप ऐसा क्यों कानून बनाते हैं कि दोषी तो छूट जाता है और निर्दोष को सजा देते हैं? इसलिए नाराजगी होती है। ऐसे कानून के अन्दर आप तरमीम करें। राज्य सरकार देखे कि कोई निर्दोष आदमी तंग नहीं हो।

सभापति महोदय, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में क्यों आई। यह तो जो भी फैसला होना था हो गया उसके अन्दर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जोधपुर की इम्पोर्टेंस इससे कम हुई है और इसीलिए जोधपुर का महत्व घटा है, इसको पूरा करने के लिए इसमें क्या बात कही है? आपने कहा है, हाई कोर्ट बैंच यहां आ गई है तो आपको जोधपुर के लिए भी घोषणा करनी चाहिए। मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बात कही थी, आपने यह कई बार कहा कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन आपको स्पेसिफिक घोषणा करनी चाहिए कि कौन कौन सी बात जोधपुर में करना चाहते हैं। मैं तो वकालत नहीं करता हूं लेकिन जो लीगल एड के बारे में कहा गया है एक हजार आदमियों को लीगल एड मिल गई है। मैं निवेदन करूंगा कि न्याय पाने के लिए गरीब अमीर सबको लीगल एड की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमी है। अगर कोई गरीब आदमी हाई कोर्ट तक लड़ता है, सुप्रिम कोर्ट तक लड़ता है। जब कि उसके पास पैसा ही नहीं है तो वह बिना पैसे के कैसे लड़ सकता है? आपको सेण्ट्रल से पैसा लेना चाहिए। एक हजार गरीब आदमियों को आप लीगल एड देने की बात कहते हैं, यह वहां तक सही है? सरकार इसके लिए प्रयत्न करे। आज से 30 साल पहले आचार्य विनोबा भावे ने बुद्धिदान की बात कही थी। जहां तक गरीबों की बात है पहले गरीब आदमी के लिए पंच लोग कह देते थे कि यह मामला सच है। आदमी गरीब होता था तो हम लोग उसकी पैरवी किया करते थे मैं निवेदन करूंगा कि लीगल एड के लिए फण्ड आपने कितना रखा है? इसके लिए आप केन्द्र से प्रयत्न करें तो कुछ हो सकता है। तभी आप गरीब आदमी को न्याय दिला सकते हैं।

सभापति महोदय, बार बार, आपकी ओर से घण्टी आ रही है इसलिए मैं शेष बातें बजट के समय रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, राज्य सरकार उन पर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति। श्री शीशराम प्रोला !

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

(श्री शीशराम ओला)

है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कई माननीय सदस्यों ने इण्डस्ट्रीज के बारे में शिकायत की ओर कुछ मुद्दे उठाए हैं कुछ और और बातें कहीं हैं। इसी प्रकार से कुछ विकास के कार्यों के लिए भी चर्चा हुई किन्तु मैं एक दो महत्वपूर्ण बातें, जो प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा।

सरकार की कमजोरी अथवा लापरवाही से मनमाने ढंग से कितनी ही ज्यादतियां बिजली विभाग की ओर से झुंझुनूं जिले में किसानों के साथ में की जा रही है। किसान इसके कारण से बहुत परेशान हैं। झुंझुनूं जिला ऐसा है जिसकी मिट्टी बहुत नरम है और रेतीली है। पानी वहां पर 150 फीट से 250 फीट तक गहरा है। राजस्थान के और क्षेत्रों में भले ही कम हार्स पावर से काम लिया जा सकता है परन्तु झुंझुनूं जिले में 10 हार्स पावर से कम की मोटर काम में नहीं ली जाती। इतने हार्स पावर से कम की मोटर वहां पर काम नहीं दे सकती है। यदि 10 हार्स पावर की मोटर हो तभी वह काम दे पाती है। बिजली का पैसा बढ़ा है, परन्तु वह तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस काश्तकार ने बिल के पैसे जमा करा दिये हैं, उससे भी दुबारा लिये जा रहे हैं। कोई भी बिजली के अधिकारी कुएं पर पहुंचे, काश्तकार वहां मौजूद है नहीं, तो भी उससे बिना पूछे उसका चार-पांच और 6 हजार का बिल यह कह कर दे दिया जाता है कि मीटर में अमुक गड़बड़ी पाई गई। कभी आडिट वाले आते हैं, वह भी इस प्रकार के बिल देते है कि आपमें एवरेज के हिसाब से अमुक साल की इतनी बकाया है। कहने का अभिप्राय यह है कि आज कोई काश्तकार ऐसा नहीं है जो कि बिजली विभाग से दुखी नहीं है। इन ज्यादतियों के दुःख से आज शायद 1500 से अधिक काश्तकारों ने तंग आकर अपने कुओं के कनेक्शन कटवा दिये हैं।

यही नहीं, पहले 13 पैसे प्रति यूनिट बिजली के लिये जाते थे, जब कि खाद का भाव भी कम था और दो रुपये में मजदूर मजदूरी करने को मिल जाते थे। आज साधारण से साधारण मजदूर भी 5 रुपये प्रति दिन से कम नहीं लेता, खाद का भाव 95 व 100 रुपया हो गया है और गेहूं का भाव आपने 105 रुपये रख दिया, उसके उपरांत आपने बिजली की रेट 13 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे कर दी।

श्री केशरीमल : तीस पैसे।

श्री शीशराम ओला : पांच पैसे तो पैनल्टी के हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं अगर आधे घंटे की भी देरी हो जाये बिल की रकम जमा कराने में, तो पांच पैसा प्रति यूनिट पेनल्टी हो जाती है। इस तरह से तीस पैसा प्रति यूनिट हो जाता है। मजदूरी की दर, खाद का भाव और फिर गेहूं का भाव, जो उनको बेचने पर मिलता है, इन सब बातों को देखा जाये तो काश्तकार को अपनी मेहनत के दो रुपये प्रति दिन की मजदूरी भी नहीं पड़ती। विश्व का कोई भी मजदूर ऐसी दयनीय दशा में नहीं होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो कि इस तरह का

(श्री शीशराम ओला)

घाटे का व्यापार करे। लेकिन यह काश्तकार ही है जो ऐसा करता है। वह इसलिये करता है कि उसे न कोई और मजदूरी मिलती है और न ही कोई उसके पास दूसरा धंधा है।

हमारे यहां कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुओं से तीन या चार बीघा जमीन की सिचाई ही हो सकती है उससे अधिक पानी कुओं से नहीं मिलता। इस क्षेत्र में किसी भी कुए से इतना पानी नहीं मिलता कि तीन या चार बीघा जमीन से अधिक जमीन की सिचाई की जा सके। ऐसे क्षेत्र हैं, सिंघाना माकडो, श्यामपुरा बबाई, पपरूना सांत्रलोद पालोता आदि। वहां पर कुओं में तीन चार बीघा जमीन से ज्यादा सिंचाई करने के लिये पानी नहीं है। फिर भी वहां पर लोग उन तीन चार बीघा जमीन की सिंचाई करने के लिये 15 हजार रुपये प्रति कुआ खर्च करते हैं। आठ दस हजार उनके मोटर और दूसरे पार्ट्स पर लग जाते हैं। इस प्रकार उनके 25 से 30 हजार रुपये केवल तीन चार बीघा जमीन की सिंचाई के लिये लग जाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार के बिजली विभाग ने मिनिमम चार्जेज लगा रखे हैं। मैक्सीमम चार्जेज की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह मिनिमम चार्जेज भी 150 रुपये रख दिये गये हैं। इसके अलावा भी मनमाने तरीके से काश्तकार को परेशान किया जाता है। उनके पास दस और बारह साल पहले तक के भी बिल भेज दिये जाते हैं जब कि लगातार अपने बिल जमा करवाते रहते हैं। कहा जाता है कि अगर अमुक समय तक पैसा जमा नहीं करवाया तो पांच पैसे प्रति यूनिट से पेनल्टी और लग जायेगी। इसका मतलब यह हुआ कि काश्तकार अपनी जमीन, अपनी, मोटर अपना मकान भी बेच दे तो भी वह सरकार को पैसा नहीं दे पायेगा। दूसरी तरफ बिजली विभाग काश्तकार की मोटर किस प्रकार से जलाते हैं, उस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वक्त पर बिजली न आने से कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, कभी लो वोल्टेज आता है, जिससे काश्तकार की मोटर जल जाती है। बिजली की खराबी होने से जल गई अपनी मोटर को देखने के लिए वह कुए में उतरता है तो कभी कभी उसको या उसके बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है, या घायल हो जाते हैं। गावों के अन्दर होस्पिटल्स की पूरी व्यवस्था नहीं है। रात के समय में, सर्दी के मौसम में वह खेती करता है। उसके बाप या भाई जो भी होते हैं वह उसको कुए से निकाल भी नहीं पाते हैं। ऐसी दशा बिजली विभाग की है। न तो पूरी तरह से बिजली देते हैं और न वोल्टेज ही पूरा देते हैं। एक बकतावरपुरा गांव है जिसमें ट्रान्समीटर है, 12, 13 गांवों को कमरपुरा अलीपुर, लाम्बा व नूनिया गोठड़ा आदि को पानी पहुंचाने के लिए। सीजन के दिनों में एक दिन भी बिजली नहीं मिली, काश्तकारों को ही नहीं, जिनके लघु उद्योग हैं उनको भी नहीं मिली। जिनको 15 दिनों तक बिजली नहीं मिले क्योंकि ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाते हैं तो 15 दिनों में उनकी फसल का क्या हाल हो जायगा? उनकी फसल जलकर राख हो जायेगी। 15 दिन बाद ट्रान्सफार्मर आता है तो भी बिजली नहीं मिलती। एक तरफ इस प्रकार से बिजली विभाग की लापरवाही से, उसकी ज्यादतियों से काश्तकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है,

(श्री शीशराम ग्रोला)

दूसरी तरफ जब बिल लेट ग्राने के कारण वहँ जमा नहीं कराता तो उस पर 5 पर्सेंट जुर्माना, पेनल्टी वसूल की जाती है। ऐसी सूरत में करोड़ों रुपयों की फसल बिजली विभाग के इन्जिनियरों ग्रौर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, बिजली समय पर नहीं मिलने के कारण जल जाती है। खम्भे टूट जाने पर उन पर 850 रुपया जुर्माना होता है लेकिन हजारों ग्रौर लाखों खम्भे (पोल) सड़कों पर टूटे पड़े रहते हैं। काश्तकार को इस तरह से परेशान कर रखा है कि उसकी मोटर चल नहीं सकती ग्रौर वह कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता। यही नहीं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को तो टैरिफ पर बिजली दी जाती है लेकिन काश्तकारों को बिजली देने के लिए बिजली विभाग के पास बिजली कम है। मेरा सुझाव है कि बिजली को सही प्रकार से कन्ज्यूम किया जाय। काश्तकारों को दिन में दें ग्रौर इण्डस्ट्रीज को रात में दें क्योंकि इण्डस्ट्रीज में काम करने वाले तो मकान में रहते हैं ग्रौर काश्तकार बेचारे सर्दी के मौसम में खेतों के ग्रन्दर रहते हैं। उनके पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं होते। इसलिए ग्रगर बिजली पर नियन्त्रण करना है तो काश्तकार को दिन में ग्रौर इण्डस्ट्रीज को रात में बिजली दीजिये, यह मेरा सुझाव है। यही नहीं, खेती की इण्डस्ट्री भी एक छोटी इण्डस्ट्री है, स्माल स्केल इण्डस्ट्री में 10 पैसा पर यूनिट टैरिफ रखा है तो काश्तकार से भी खेती को छोटी इण्डस्ट्री मानते हुए 15 पैसे पर यूनिट से ज्यादा किसी भी कीमत पर वसूल नहीं करना चाहिए। झुंझुनूं, चूरू ग्रौर सीकर जिले के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा वहां पर दो-ढाई सो फीट गहरा पानी निकलता है। वहां जमीन में कम नमी की वजह से छोटी क्यारियों तक पानी पहुंचाने में इतनी बिजली कन्ज्यूम होती है कि उसका ग्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। जहां पर पानी ऊंचाई पर है जमीन सख्त नहीं है, ठीक है वहां पर तीन हार्स पावर या पांच हार्स पावर की मोटर से खेती कर लेते हैं, लेकिन जहां जमीन सख्त है वहां तीन बार, पांच ग्रौर या दस ग्यारह बार भी पानी देना पड़ता है ग्रौर क्यारियों तक पानी पहुंचाने में इतनी बिजली कन्ज्यूम हो जाती है कि उसका कोई हिसाब नहीं। किसान तो इस खर्चे से ही बेरबाद हो जाता है। वह उससे बचने के लिए मजदूरी करना ठीक समझता है। कई किसान ग्रपनी मोटरें ग्रौर जमीन वगैरह बेचकर हरियाणा, पंजाब की तरफ मजदूरी के लिये चले गये। ग्रगर नहीं बेचते हैं तो जिससे कर्जा लिया है वह छोड़ते नहीं हैं, इसलिए वे जमीन कुग्रा, मोटर ग्रादि बेचकर बिजली विभाग की लापरवाही ग्रौर गलतियों की वजह से मजदूरी करने के लिए मजबूर होकर चले गये। ऐसी सूरत में, सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं के एरिया में सीकर के एरिया में, चूरू के एरिया में ग्रगर काश्तकार को जिन्दा रखना है ग्रौर इस कृषि इण्डस्ट्री को कायम रखना है तो टैरिफ पर बिजली देने की घोषणा सरकार को करनी होगी। ग्रगर नहीं करती है तो यह समस्या भयंकर रूप ले सामने ग्रायेगी ग्रौर ग्रा रही है।

हरिजनों को प्रायोरिटी पर कनेक्शन देने की योजना है। झुंझुनूं जिले में दो

(श्री शीशराम ग्रोला)
साल से सिक्योरिटी के पैसे जमा हो गये लेकिन उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। यही नहीं इस बार जितने भी कनेक्शन दिये गये काश्तकारों के कुए में कोई कनेक्शन ऐसा नहीं दिया गया जो पांच सौ रुपये रिश्वत लिये बिना दिया गया हो। मैं इसके लिए चैलेन्ज करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें झूंठ निकले तो जिम्मेदारी मेरी होगी वरना एक कमीशन बैठाया जाय, सारे ऐसे अधिकारियों की जांच हो और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को सजा दी जाय। यही नहीं, सभापति महोदय, कितनी ही मोटरें बिजली विभाग के इन्जिनियरों की लापरवाही की वजह से जली हैं उनका साधारणतया अन्दाजा लगाना बड़ा कठिन है। काश्तकार अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखता है अथवा किसी की जमानत देता है या बैंक से कर्जा लेता है फिर भी दस दस दिनों तक उसको बिजली नहीं मिलती और हाई और लो वोल्टेज मिलने से, बिजली विभाग के इन्जिनियरों की लापरवाही की वजह से मोटरें जल जाती हैं। तो वह समझता है कि जैसे उसके घर में कोई गमी हो गई हो। यह सब चीजें बिजली विभाग के इन्जिनियरों की वजह से हो रही हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह प्रशासनिक मामले हैं। इसलिए हम और कुछ मदद सरकार से मांगें यह तो हम भूल गये, हमको जो कुछ दिया गया है उसी की ठीक तरह से व्यवस्था हो, यह, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, टेरिफ पर बिजली देने को तैयार नहीं हो तो इरिगेशन विभाग जिस प्रकार से एकड़ के हिसाब से रेन्ट चार्ज करता है उसी प्रकार से कुए से कुल कितनी जमीन काश्त होती है उस जमीन के हिसाब से चार्जेज वसूल होने चाहिए। यदि आप पांच बीघा वालों से पांच हजार लेते हैं और 50 बीघा वालों से कम लेते हैं तो कैसे वह बिजली से सिंचाई कर सकेंगे? इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो बिजली की टेरिफ 15 पैसा पर-यूनिट निश्चित कर दी जाय या अगर काश्तकारों के कुओं में बिजली लगानी है तो मिनिमम चार्जेज जमीन के हिसाब से कर दिये जायं कि एक एकड़ पर इतना, दो एकड़ पर इतना और तीन एकड़ पर इतना, लेकिन इसका कुल एवरेज मिलाकर 15 पैसे से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, यह मैंने बिजली के बारे में निवेदन किया।

अब, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहूंगा एजुकेशन के सम्बन्ध में। शिक्षा की प्रणाली गांवों और शहरों में जो है उसमें बड़ा अन्तर है। कल बिश्नोई जी अपने भाषण में फर्मा रहे थे कुछ दिनों बाद हमको शहरों की आबादी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जायगा। यह ठीक भी है, हमको देखना यह है कि सरकार ने शहरों को कितनी सहूलियतें उसकी आबादी के लिए दी हुई हैं। गांवों में 25 मील तक अस्पताल नहीं, कोई अच्छा स्कूल नहीं, कहीं सड़क नहीं। रात को हम देखते रहे हैं कि जयपुर की सड़कें दिन से भी बहतरीन दिखाई देती हैं रोशनी की वजह से अगर गांवों में स्थिति इसके विपरीत है। जहां वे रहते हैं उनके मकान में भी रोशनी नहीं होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं, आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। आज टेक्सटाइल मिल के 150 मजदूरों को धक्का मारकर फैक्ट्री से निकाल दिया है। एक होजरी फैक्ट्री में 200 आदमी काम करते हैं, मालिकों ने उसकी तालाबंदी कर दी है। माननीय सदस्य उन लोगों से मिलना चाहें तो वे बाहर खड़े हैं। आज ही शुरुआत हो गई है तालाबंदी की व मजदूरों को निकालने की।

श्री शीशराम ओला : आज गांवों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। गांवों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा वरना गांव के लोग पिछड़े रह जायेंगे और शहर के लोग आगे बढ़ जायेंगे। इसलिए हम जहां समानता की बात कर रहे हैं वहां इस भेदभाव को रोकना होगा।

एक गांव है नूनिया गोठडा वहां श्री बलवीर एक व्यक्ति है, उसके कुएं पर कनेक्शन तक नहीं हुआ, उसके पास 2–4 हजार रुपये के बिल पहुंच गए जब कि कुएं पर कनेक्शन नहीं लगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिलों पर 30 लाख रुपये की बकाया है उसका तो पेमेंट करवाइए।

श्री शीशराम ओला : लोगों ने 16–16 व 20–20 हजार तक एडवांस स्कीम के तहत बिजली विभाग में रुपया जमा कराया, उनको दो-दो वर्ष तक बिजली नहीं दी गई। सारी रकम के ब्याज और हर्जाने को देखा जाय तो मालूम पड़ेगा, बिजली विभाग इसके लिए कितना गिल्टी है और हमारी सरकार के प्रशासन में कितनी बड़ी पोल है। इन सब बातों ने काश्तकार को नाराज कर दिया। खास तौर से हमारे झुंझुनूं जिले में परिवार नियोजन का असर नहीं है। यदि सबसे बड़ा असर है तो वह बिजली विभाग की मनमानी का है। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिजली विभाग ज्यादतियां कर रहा है, एक कमीशन बिठाकर इसकी इसकी जांच करवाई जाए और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाय।

सभापति महोदय, मैं एक छोटी सी बात वाटर वर्क्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पहले फ्लेट रेट 6 रु. गांव वालों से चार्ज किये जाते थे उसके स्थान पर अब 10) रु. कर दिये गये हैं। जहां इंजन से पानी निकाला जाता है वहां 15) रु. लिए जाते हैं। तो यह बड़ा अन्तर है इस भेदभाव को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल इस आदेश को वापस ले और इस प्रकार से जो भेदभाव फैलाया है शहर और गांव के बीच में, उसको दूर किया जाए।

अब सुमित्रा जी कह रही थी झुंझुनूं जिले में लेवी के बारे में केसेज हैं, निश्चित तौर से हैं, अनाज के तो हैं लेकिन ऐसे केसेज भी उस जिले में हैं जो कड़वी के हैं उन केसेज में लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों पर आज केसेज चल रहे हैं 4 साल से। सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की लापरवाही को काश्तकार कब तक बरदाश्त करता रहेगा ? इसलिए मैं चाहूंगा कि लेवी के, कड़वी के केसेज, जो लोगों के खिलाफ दायर किये हैं, विथड्रा करें।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करना चाहूंगा। भाषण के प्रथम पृष्ठ में तीन शब्द बहुत बढ़िया आए हैं। एक तो ऐतिहासिक चुनाव बताया, दूसरे आर्थिक एवं समाजवाद की चेतना तेजी के साथ बढ़ी, तीसरे आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी तेजी के साथ ठोस कदम उठाये जिनका लाभ विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े तबके के लोगों को अधिक मिला। यह किसने किया ? उसके तुरन्त बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए। उन चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। यह सब कुछ करने के बावजूद भी क्या वजह है कि कांग्रेस उत्तर भारत में विजय प्राप्त नहीं कर सकी ? आपने ऐतिहासिक चुनाव बताये लेकिन उसके साथ-साथ जो 20—22 महीने पहले इमर्जेंसी का काला युग आया उसमें जो ज्यादतियां हुईं, उनके लिए पश्चाताप के रूप में एक शब्द भी इसके अन्दर अंकित नहीं किया गया। यह तो माना कि महात्मा गांधी द्वारा बताये सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो सच्ची बात मान लेना गुनाह नहीं था। स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिए था कि हमसे गलतियां हुई हैं। देश में कहीं गुंडागर्दी या बदमाशी हो रही थी तो,कानून के जरिए से रोक सकते थे। यदि आर्थिक कार्यक्रम लागू करने में दिक्कतें आती थीं तो दूसरे तरीके से सुलझा सकते थे लेकिन इमर्जेंसी लागू करना उचित नहीं था, यह मान लेना चाहिए था लेकिन नहीं माना गया। इसमें दो राय नहीं कि 30 साल के बाद कांग्रेस का केन्द्र में परिवर्तन वास्तव में एक ऐतिहासिक चुनाव का द्योतक है। इसकी पृष्ठभूमि में जो कारण थे वे क्या थे ? भारतवर्ष की 60 करोड़ जनता ने सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स वर्षों के त्याग के बाद उपलब्ध किए गए थे, वे छीने गए। इतना ही नहीं, समाज के पांचों वर्गों को परेशान किया गया। पहला काश्तकार, दूसरा मजदूर वर्ग, तीसरा राज्य कर्मचारी, चौथा छोटा व्यापारी और पांचवां विद्यार्थी जिसको युवा वर्ग भी कहते हैं। इन पांचों के सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें पेश आईं इन 24—25 महीनों में, जिससे जनता नाराज हुई। एक तरफ कहा गया है कि समाजवाद की चेतना बढ़ी, दूसरी तरफ एग्जेगरेटेड तरीके से आंकड़े पेश किए गए कि इतने भूमि सुधार किए किसान के लिए बहुत कुछ किया। यदि सर्वे करायें और सदन के सामने सही नक्शा पेश करें तो आप जान सकेंगे कि वास्तव में नाम समाजवाद का है लेकिन अंदर पूंजीवाद पनपाया है। वास्तव में दिखावा समाजवाद का रहा, ऊपर समाजवाद लेकिन नीचे हर प्रोग्राम में पकड़ पूंजीवादी। मैं बतलाऊं कि कांग्रेस की हुकूमत में खास तौर से 22—23 महीनों में क्या-क्या दिक्कतें आईं ? जिनके पास जमीन थी जो गांवों में 10—10 पीढ़ियों से आबाद थे, उनके कुछ अधिकार थे। उनके अधिकार छीने गये। यह नहीं देखा गया कि किसान को इससे कुछ मिलेगा या कुछ छिन जाएगा। कई कानून उन पर लागू किये गये, बैल की चोरी करके सुई का दान किया गया। उनका शोषण किया गया, हर तरह से किसान को बुरी तरह से तंग किया गया। सभापति महोदय, इस कांग्रेस ने नाम तो समाजवाद का लिया लेकिन काम पूंजीवाद का ही किया है। इसी प्रकार लैण्ड डिस्ट्रिब्यूशन के मामले में भूमिहीनों के नाम पर काफी बड़े बड़े आंकड़े बता दिये लेकिन यह सिर्फ कागजी

(श्री मोहर सिंह)

आंकड़े ही थे। इतना ही नहीं, सभापति महोदय हमारे इलाके में जो लोग सात सात पीढ़ियों से आबाद थे उन्हें परेशान किया गया। रिपोर्ट करो तो सुनवायी नहीं। जो लोग पुराने जमाने में अपनी जमीनों पर अपना घर बना सकते थे उन्हें भी बनाने नहीं दिया। इसी प्रकार पुराने जमाने में राजाओं और जागीरदारों के जमाने में गाभाई जोहड़ों में किसान ईंटें निकाल लेते थे, भट्टे बनाते थे और उन पकी हुई ईंटों से मकान बना लेते थे। आपने उनके साथ ज्यादतियां कीं, ऐसे कानून बनाये कि वह अपने गाभाई खेतों में से ईंटें नहीं निकाल सकते और अगर ईंटें निकाल लेते हैं तो आप सजा देते हैं। यह कहां का न्याय है? सभापति महोदय, आज भी काफी तादाद में केसेज हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं अभी खास तौर से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं जो कि एक किसान के बेटे हैं वह जानते हैं कि किसान जोहड़ों से ईंटें निकाल कर मकान बनाते हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि वह कोई दो चार लाख ईंटें नहीं निकालते हैं जिनको कि वह बेच कर कमाई करते हों। वह तो 8-10 हजार ईंटें सिर्फ अपना मकान बनाने को बनाते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, अगर किसान ईंटें बनाता है तो पटवारी उसकी शिकायत तहसीलदार के पास कर देता है और तहसीलदार उस पर जुर्माना करता है। उसको सजा देता है। क्या यही आपका समाजवाद है कि किसान को तंग करो?

सभापति महोदय, किसान पर कांग्रेस सरकार मुकदमा चलाती है कि उसने ईंटें क्यों निकालीं। आपको मालूम होना चाहिये किसान एक ऐसा आदमी है जो कि दिन में 18 घन्टे काम करता है। अपनी जिन्दगी के चार साल की उम्र से लेकर 90 साल तक खेती के काम में गुजारता है। उसके पास इतना समय कहां है कि वह अदालतों में रोता फिरे। अगर आप उस पर मुकदमा चलाते हैं तो फिर आप उसको काम करने से रोक रहे हैं और इस प्रकार देश को ही नुकसान होगा क्योंकि इससे प्रोडक्शन कम होगा। यह क्या कानून है आपका कि ईंटें नहीं निकाल सकते। अगर किसान के खेत में पत्थर कहीं निकल जायें और वह अपना मकान बनाता है तो आप उसका चालान कर दो, उसको सजा देते हो, यह क्यों? आप कहते हो कि उसको पहले माइन्स डिपार्टमेन्ट से दरख्वास्त और पैसे देकर छूट लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करता है, तो सजा मिलेगी। इसी प्रकार किसान को कोई हक नहीं है कि वह अपने खेत से कोई पेड़ खेजड़ी वगैरह काट कर काम में ले ले। आपने ऐसे कानून बनाये हैं कि वह अपने निजी काम के लिये भी एक भी पेड़ नहीं काट सकता। यह कैसा अन्याय है आपका? इतना तो मैं भी मानता हूं कि हरे पेड़ काटना उचित नहीं है। आप कहते हैं कि पेड़ कटेंगे तो बरसात नहीं होगी। पर खेजड़ी जैसे एकाध पेड़ जरूरत पर काटने से कितना फर्क पड़ता है। ऐसा प्रतिबन्ध पहले के जमाने में भी नहीं था। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस प्रकार के जुल्म आप किसानों पर ढा रहे हो गलत कानून बना-बना कर उन्हें तो आप समाप्त करो। नहीं तो आपके इस तरह के कानूनों से किसान बरबाद हो जायेगा क्योंकि वह अनपढ़ है।

(श्री मोहर सिंह)

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भूमिहीनों के लिए भूमि अलाटमेन्ट के बारे में आंकड़े दिये हैं। इस सदन में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी आंकड़े सीलिंग के बारे में देते रहें है। वह कहते हैं कि हमने राजस्थान केनाल एरिया में इतनी जमीन अलॉट करा दी, लेकिन आपने जो अलाटमेन्ट किया है वह डिस्क्रिमिनेटरी किया है। आंकड़े तो बता दिये लेकिन गरीब हरिजन और आदिवासी कहां जाकर बसेगा ? आंकड़े देने में राजस्थान सरकार बहुत माहिर है। अगर उन आंकड़ों को सही मान भी लू तो क्या वहां पर जो जमीन अलाट की है उसमें से 80 प्रतिशत जमीन अभी खाली नहीं पड़ी है ? एक-एक मुरब्बे की कीमत 39 हजार रुपये रखी है। काम की जमीन को पैसे वाले दाबे हुए हैं। हरिजनों के नाम पर दुहाई देते हैं और गरीब हरिजनों को बरबाद कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। नाम तो समाजवाद पर काम सारे के सारे आपके पूंजीवाद के हैं। आपको वहां पर 5 पर्सेन्ट भी हरिजन नहीं मिलेंगे। दिखावे को आप समाजवाद ला रहे हैं, पर अन्दर ही अन्दर आप पूंजीवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बड़े लम्बे चौड़े आंकड़े देने में आप होशियार हैं।

आपने इमर्जेन्सी लगायी इन पिछले 22 महीनों में लेकिन न छोटे किसान को लाभ हुआ, न हरिजनों को लाभ हुआ और न मजदूर को लाभ हुआ। लाभ हुआ तो बिड़ला को हुआ। उसने इस इमर्जेन्सी में करोड़ों रुपये कमाये। आप यहां कहते थे कि इमर्जेन्सी नहीं लगाते तो शान्ति नहीं रहती, अशान्ति हो जाती। सारे देश में आतंक से श्मशानी शांति आपने कायम की। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है इस सरकार से कि इमर्जेन्सी के जमाने में आपके इस बिड़ला ने मजदूरों का गला घोटा है। समाजवाद आप नहीं लाना चाहते हैं। आपका बेस समाजवाद का नहीं है। आप समाजवाद के नाम पर मजदूरों को गरीबों को, काश्तकारों को धोखा देते हैं। आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कह दिया कि हमने गरीबों के कर्ज माफ करा दिये, हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों को कर्ज दिलाये पर कितने लोगों को कर्ज से माफी मिली ? गरीब आज कर्ज के लिये रोता हुआ फिर रहा है। साहूकार उसको देता नहीं, सरकार से कर्ज मिले नहीं तो उसको कैसे राहत मिले ? आपने इसके विपरीत कर्जे की वसूली में जो ज्यादतियां की हैं इससे गांव की गरीब जनता परेशान हो गयी। मैं आपको, सभापति महोदय, चौमूं इलाके की कर्जा वसूली की घटनाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर राज्य सरकार ने कोआपरेटिव के कर्जा वसूली में बेचारे गरीब काश्तकारों और हरिजनों पर इतने जुल्म ढाये कि उनकी घर की औरतों के गहने, कपड़े, बैल, गूदड़े तथा रोटियां तक सरकारी अधिकारी उठा कर ले गये। सरकार की तरफ से इतनी ज्यादतियां हुईं। तो यही कारण था कि जनता ने आपको पूरे उत्तरी भारत से सफा कर दिया, कांग्रेस का नामी-निशान चुनाव में मिटा दिया। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। नारा समाजवाद का पर असलियत में पूंजीवाद को बढ़ाया। इसी प्रकार, सभापति महोदय, कोआपरेटिव के कर्जे की वसूली के मामले में लोगों पर बहुत अत्याचार किया गया। कहने को तो आप कहते हैं कि हम काश्तकारों के लिये दूध की

(श्री मोहरसिंह)

डेयरी बना रहे हैं इससे काश्तकारों को लाभ होगा। लेकिन डेयरियों में हमारे किसान जो दूध देने वाले हैं उनको आप गाय और भैंस के दूध का एक रुपये दस पैसा और एक रुपया तीस पैसे के भाव से पैसा देते हैं। तो किसान इतनी कम कीमत पर दूध बेच कर क्या फायदा उठायेगा ? वह तो भूखों मरेगा। इतनी कम कीमत पर वह अपने जानवरों को क्या खिलायेगा ? कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा ? इतना शोषण करके आप क्या किसान के मुंह पर लाली देखना चाहते हैं ? आप हर प्रकार से किसान का शोषण कर रहे हैं। आप काश्तकारों का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। आप काश्तकार को कोई मुनाफा नहीं देना चाहते, उसे सब्सिडाइज नहीं करना चाहते। अनाज था पर आपने इसीलिये कि किसान किसी तरह से भी नहीं पनप सके उसको लाभ नहीं हो सके अरबों रुपयों का आपने अनाज अमेरिका से मंगाया था। आपने फसल पर गेहूं का भाव नहीं बढ़ने दिया।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज हमारे यहां गांवों में पानी कुओं में नीचे है पर वहां पर पानी खारा भी है, उस पानी से दो साल खेती करने के बाद उस जमीन को दो साल तक पड़ी रखते हैं उसमें पाड कर देते हैं ताकि उसमें वापस उपजाऊपन आ जावे और एवजी में वह पास वाली जमीन में काश्त करते हैं। सभापति महोदय, काश्त के लिये तो पानी अत्यन्त आवश्यक है अगर वहां पर ट्यूब वेल नहीं बनाये जावें, मोटरें कुओं में नहीं लगाई जावें तो जो पानी नीचे है वह कैसे ऊपर आयेगा ? इसके लिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप छोटे वाले काश्तकार को बिजली के लिये सब्सिडी दीजिये। आप उन्हें सब्सिडाइज कीजिये ताकि किसान पनपें।

इसी प्रकार आपको किसान को बिजली के मामले में और ज्यादा राहत देनी चाहिये। आप बिजली के चार्जेज ज्यादा बढ़ा कर किसान को गरीब से और गरीब मत कीजिये। आप किसान को परेशान मत कीजिये वह तो सदियों से दबा हुआ है।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, इमर्जेंसी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर नसबन्दी के लिये जुल्म ढाया गया। उनको मजबूर और तबाह किया गया और जबरन नसबन्दी की।

इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के साथ जुल्म किया गया। मैंने सदन के अन्दर पिछले सत्र में नसबन्दी के खिलाफ में एक एडजोर्नमेन्ट मोशन भी रखा था। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह परव्यू में नहीं आता। चैम्बर में बात करें। मैंने उस समय भी कहा था कि इसको जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। अब उसके परिणाम सामने आ गये। कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने, सत्य और अहिंसा के अवतार महात्मा गांधी का नाम लेने वाली सरकार ने, उनकी दुहाई देने वाली सरकार ने इस प्रकार लोगों के साथ अत्याचार किये। जोर जबरदस्ती की और इस प्रकार के भयंकर जुल्म और अन्याय किये। कहा गया कि क्या किया जाय, यह तो राष्ट्रीय संकल्प है। आज कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों ने यह किया। राज्य सरकार के कर्मचारियों को कहा गया, नसबन्दी के केस लाओ। राज्य कर्मचारियों के ऊपर हर तरह के प्रतिबन्ध लगाये। केस लाने के नाम पर लोगों ने क्या किया, बेचारे अपने पास

(श्री मोहरसिंह)

से पैसा देकर, रुपये देकर केस लाये और नौकरी पर बने रहे। क्या ही अच्छा होता कि मुख्य मंत्री यहां बैठे सुन रहे होते कि किस प्रकार से लोगों के खेतों में उनका पीछा किया गया। उन गरीब आदमियों को कौन सम्हाले जिनके आपरेशन बिगड़ गये ? बेचारों ने पांच-पांच सौ रुपये खर्च कर दिये। गरीब कहां से लाये पैसे, उनकी यह हालत की। आज भी लोग दुःखी हैं परेशान हैं। वे उस नसबन्दी के बाद बोझा उठाने लायक नहीं रहे, हल चलाने लायक नहीं रहे, कोई उनको सम्हालने वाला नहीं है। कौन उनके लिये काम करे ? कौन उनको खिलाये ? इस प्रकार की ज्यादतियों की जांच होनी चाहिये। जो केसेज बिगड़ गये हैं उनका मुआवजा देना चाहिये। खर्चा जो हुआ वह उनको मिलना चाहिये। राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर जिम्मेदारी न डाल कर खुद गवर्नमेन्ट के मंत्रीगणों को इसका जिम्मा लेना चाहिये। इन लोगों की गलती है। हर बात के लिये फैमिली प्लानिंग का, नसबन्दी का सर्टिफिकेट मांगा गया। नहीं दे सकते तो उनको तनख्वाह नहीं दे सकते। राशन नहीं दे सकते बिना नसबन्दी के प्रमाण-पत्र के। सभापति महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूं यह सब इन लोगों की वजह से हुआ है जो सरकार में बैठे हैं। जहां-जहां पैर पड़े सन्तन के, की जगह यह कहा जाने लगा कि 'जहां-जहां पैर पड़े संजय के तहां तहां बंटाधार।' जहां-जहां उसके पैर पड़े वह ले बैठा। इन्दिरा देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाहती थी ताकि सिर्फ अपने परिवार का राज्य हो, अपना राज्य हो और अपने बेटे का राज्य हो। आज बेटे और मां दोनों का यह हाल हो गया। मैंने कहा था बीकानेर में, संजय आया तो उस पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया गया। क्या वह देश का कोई प्राइम मिनिस्टर था ? प्रधान मंत्री था ? क्या वजह थी ? कांग्रेस कहती है देश को स्वतन्त्र कराया, नेहरू के बाद इन्दिरा और इन्दिरा के बाद संजय। मां के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा। क्या देश के लाखों लोगों ने इसीलिये स्वतन्त्रता संग्राम में अपने आपको झोंक दिया था ? अपने प्राण समर्पित कर दिये थे, देश की ऐसी आजादी के लिये ? क्या इसी वंश परम्परा की सत्ता के लिये ही त्याग किया था ? इस वंश परम्पराई सत्ता को मिटाना होगा यह जनता ने महसूस किया। जो कुछ वजूहात थे, उन सब को देखना चाहिए था। कम-जोरियों को मिटाना चाहिए था।

आज कई केसेज किसानों और मजदूरों पर बने हुए हैं उन तमाम केसेज को तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए। काफी मजदूर घर पर बैठे हुए हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जिन राज्य कर्मचारियों को हटा दिया उनको तुरन्त दुबारा रखना चाहिये। बैंक कर्मचारियों का एलान हुआ है। उन्होंने सरकार को चैलेन्ज किया है। 30 मार्च तक उनकी मांगों को मंजूर करो वरना हड़ताल होगी। 31 मार्च पब्लिक के ट्रान्जेक्शन का दिन है और इससे उनको नुकसान होगा। गवर्नमेन्ट को सोचना चाहिये। उनकी मांगें मन्जूर करनी चाहिये लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। उल्टा इल्जाम लगा रही है।

साथ ही विद्यार्थी वर्ग है। विद्यार्थी वर्ग के साथ क्या किया ? उनको सत्य पर

(श्री मोहरसिंह)

एडमिशन नहीं दिये। उनके फेडरेशन की मान्यता खत्म कर दी और यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का वातावरण बनाया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत को उत्तरी भारत में पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

( समय–समाप्ति–सूचक-घंटी )

इतना टाइम तो नहीं हुआ।

मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेन्ट की नीति समाजवाद को स्वीकार करने के बाद गरीबों के पोषण की होनी चाहिये। लेकिन शोर किया समाजवाद का और चले बिल्कुल पूंजीवादी रास्ते पर, मोटे को और मोटा बनाया और गरीब को और गरीब। 75 पर्सेन्ट आदमियों की ऐसी हालत नहीं है कि वे मामूली खर्चा भी चला सकें। कहां गरीबी मिटायी ? गरीबी तो और उल्टी बढ़ गयी। गरीबों के झोंपड़ों को तुड़वाया गया, मकानों को तुड़वाया गया। कागजों में कह दिया कि गरीबी मिटायी जा रही है। नगरों के सौंदर्यकरण के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जयपुर में ही अजमेरी गेट, घाट गेट गरीबों की बस्तियों को तोड़ा गया। इसलिए मैं साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि आपका जो तरीका है वह समाजवाद के रास्ते पर चलने का नहीं है। यह समाजवाद पर चलने का रास्ता नहीं है। यह तो पूंजीवाद पर चलने का रास्ता है। अवाम के लिए बेरोजगारी का प्रश्न है। गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार कर्मचारी, विद्यार्थी आदि के सामने बेरोजगारी का प्रश्न है। यह कहा गया कि इतनों को रोजगार दिया गया। मेरे साथ चलें। कई एम. ए. तक पढ़े लड़के सड़कें नापते फिर रहे हैं उनको यूथ कांग्रेस बना कर उस तरफ लगाया गया ताकि वे लोग अपनी डिमाण्ड को भूल जायं। देश के नौजवानों के सामने असली डिमाण्ड है रोजगार की। आप कहते है कि हमने हरिजनों को उठाया, उनमें इतना रुपया बांटा। आपके पैसे को पांच सात साल में उधार लेकर खा गये। आप कहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये हमने हरिजनों और पिछड़े वर्ग का उत्थान किया। आप उठा कर देख लीजिए, घूम-घूम कर देख लीजिए कि कितने आदमियों को आप रोटी दे सके। यह तो साफ असल बहाना मात्र है कि आपने रोजी रोटी दी लोगों को इतनी। इतना रोजगार दिया। बहिन इन्दिराजी एक तरफ समाजवाद की बात करती हैं और दूसरी तरफ पूंजीवाद को प्रश्रय देती हैं। अवाम के सामने जावें तो समाजवाद और पूंजीपतियों के सामने जावें तो पूंजीवाद। मैं तो तुम्हारी हूं, मैं तो तुम्हें ही ऊंचा उठाना चाहती हूं। यह भ्रम नहीं चलेगा। जनता ने जान लिया है इसको, इसलिए लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस बात को तसलीम नहीं करें। हमने समाजवाद के रास्ते को स्वीकार कर संकल्प कर लिया है कि किसान का बेटा किसान की रोटी के सवाल पर एक होगा। मजदूर का बेटा मजदूरी की रोटी के सवाल पर एक होगा। इसी तरह से जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी समाजवाद के रास्ते कदम पर चलते हुए अपनी बढ़िया जिन्दगी के स्तर को प्राप्त करने के लिए, अपने स्टेण्डर्ड को ऊंचा करने के लिए, समाजवाद को देश में कायम करने

(श्री मोहरसिंह)

के लिए आगे बढ़ते जाना है। यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शब्द आने चाहिए थे। यह त्रुटियां हैं, यह क्या तरीका किया है, आकर थोड़ा सा बोल गए और रस्म पूरा कर गये। न उसमें कोई आगे की दिशा है और न लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय कि यह प्रोग्राम दिया गया। इस प्रकार से समाजवाद के रास्ते पर बढ़ना है इसकी कोई दिशा नहीं है। तो हमें क्या करना है यह इसमें कोई दिशा नहीं है। यह सारी चीजें साफ तौर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आ जानी चाहिए थीं। इसलिए यह कमियां हैं। इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री भोमाराम।

श्री भोमाराम (डीडवाना) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके विषय में कुछ हमारे इलाके की जानकारी जो मेरे पास है वह मैं यहां सदन में देना चाहता हूं।

यह बताया गया है कि गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और सात हजार बेरों का भी विद्युतीकरण किया गया है। सभापति महोदय, यह तमाम आंकड़े गलत हैं। आंकड़े तो जरूर बढ़ाये हैं, लाइनें भी खींची हैं लेकिन सही विद्युतीकरण नहीं हुआ। आज किसानों की फसल खराब हो रही है और वह बिजली के लिए अपने स्टार्टरों की तरफ देख रहे हैं कि कब बिजली आये और कब हमारे कुएं चलें। मैंने देखा है कि विद्युत की लाइनें खींची गयी हैं उनमें चार नम्बर के तार लगाये गये हैं जिससे पूरा वोल्टेज नहीं मिले और न काश्तकार की फसल पके। दूसरे जो इन्होंने खम्भे लगाये हैं वह 400 फीट की दूरी पर लगाये है जब कि वह 200 फीट की दूरी पर लगाये जाने चाहिये। मैंने विद्युत् विभाग के लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि हमें टार्गेट्स पूरे करने हैं। तो यह टार्गेट्स पूरे हुए हैं।

दूसरी बात यह है कि जब 250 रुपया क्वि. गेहूं था तो बिजली की रेट 16 पैसे थी और जब कि गेहूं के भाव काफी कम हो गए हैं तो बिजली की रेट 25 पैसा यूनिट कर दी है। तो दिन प्रति दिन धान का भाव कम होता जा रहा है और विद्युत् का भाव बढ़ता जा रहा है। जब किसान की फसल पक कर बाजार में बिक जाती है उस समय उसके पास पैसा होता है। कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं होगा जिसका बिजली का बिल 700 रुपये से कम आता हो। वह टाइम से बिल का भुगतान इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं और न उसके पास कोई दूसरी आय है। तो या तो वह अपने बैल बेचे या फिर जेवर बेचे या गिरवी रखे। तो अब वह किसी को जेवर भी नहीं दे सकते क्योंकि छापों के कारण लोग डरे हुए हैं। अगर बिल का भुगतान वक्त पर नहीं होता है तो 5 पैसा प्रति यूनिट जुर्माना लगाया जाता है। यह कतई गलत लगाया है। पहले एक पैसा था और अब 5 पैसा हो गया। 2500 रुपये का किसी का बिल आता है तो उसका 100 रुपया जुर्माना बिजली का देना पड़ता है। इसलिए बिजली में जो रेट में बढ़ोतरी की है और जुर्माने में बढ़ोतरी की है वह बिलकुल गलत की है।

(श्री भोमाराम)

दूसरे किसी का मीटर खराब हो गया तो लास्ट ईयर की गिरदावरी देखकर एवरेज चार्ज लगाते हैं। तो इस पर हमें आपत्ति नहीं है लेकिन काश्तकार बिजली विभाग में जाता है तो एक हजार रुपया जमा करा देता है लेकिन उससे रिश्वत उससे भी ज्यादा दो हजार तो ए. इ. एन. ही ले लेता है। इसलिए यह जो एवरेज चार्ज लगाया जाता है यह बिलकुल गलत है। इसके अलावा यदि किसी का मीटर खराब हो गया और वह मीटर दुबारा लगाना चाहे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जब फसल पकने पर आती है, फाल्गुन या चैत का महीना आता है तो बिजली गायब हो जाती है और उसके पहले बिजली जोर से जलती है। ज्यों ही फसल पकने पर आती है तो या तो बिजली ही नहीं आती या फिर खम्भे को घुमाकर टाई फेस कर देते हैं तो मोटरें जल जाती हैं। तो वह काश्तकार अपनी फसल को देखे उस समय या मोटर को देखे। तो जितने भी बिजली के कर्मचारी हैं इन्होंने तो जनता के साथ वह की है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। फैमिली प्लानिंग वालों ने भी इतना नहीं किया होगा। बिजली विभाग के जितने भी आंकड़े दिये गये हैं यह सब झूठे हैं और सबसे ज्यादा बदमाशी बिजली विभाग में हुई है राजस्थान में।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने एजूकेशन के मामले में अपने अभिभाषण में कहा। एजूकेशन का प्रचार जरूर चल रहा है। आंकड़े जोरों से बढ़ाये जा रहे हैं लेकिन हम गांवों में जाते हैं तो पाते हैं कि स्कूल में छोरे तो 300 और मास्टर एक। वही मास्टर कभी 12 बजे आता है और कभी 1 बजे आता है। कहीं भी एजूकेशन की प्रगति मुझे तो नहीं दिखी। हर स्कूल में कहीं भी जाकर देख लो मास्टर एक और बच्चे 300 हैं।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि छोटे काश्तकारों को बिजली देने के लिए काफी प्रयत्न किये हैं। हमारे इलाके में छोटे काश्तकारों के तीन के। बिजली लगी हुई थी और उनके खम्भे तक उखाड़ लिए। तो छोटे काश्तकारों को तो पीसकर रख दिया क्योंकि उनके पास रिश्वत के देने के लिए पैसे नहीं हैं। यह बिलकुल झूठे आंकड़े हैं। हमारे यहां तीन बेरे हरिजनों के थे और उनके खम्भे उखड़े पड़े हैं। मैंने चैयरमैन को, चीफ इन्जीनियर को और मिनिस्टर साहब को भी कहा था। तो आखिर में उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट से मिलकर चलो। तो हम तो उनके दलाल बनते नहीं। आप मिलते रहें और करते रहें। छोटे काश्तकार को आपने बिजली दी है यह कतई झूठ बात है। गांव गांव के आंकड़े मंगा लीजिये। हमारे इलाके में कोई बिजली नहीं दी।

काश्तकारों को जमीनें अलॉट की हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें अलॉट की हैं। हमारे इलाके में केवल 500 मुरब्बा अलाट की है। खेती करने वाले को कम से कम हल चाहिये, बीज चाहिये, हल के लिये बैल चाहिये, बसने के लिए मकान चाहिये। खेती पान की दुकान नहीं है कि लगा ली। काश्तकार बगैर साधन के खेती नहीं कर सकता। हमारे यहां के लोगों से पूछिये। न किसी के पास बसने के लिए जगह है न पानी है। कहां से पानी लावे? कहां बसें? अलवर के

# Page No 78

(78)



(श्री भोमाराम)

आदमी को जैसलमेर में जमीन दी। आपने अलाटमेंट तो किया यह हम मानते हैं मगर आप गांव वाइज करते, पंचायत वाइज करते, तहसील वाइज करते तो सुविधा रहती। एक गांव के चार पांच व्यक्ति होते तो मिल कर रहते, ढाणिया बना लेते। एक जगह मिलकर रहते। एक ट्रैक्टर से जमीन जोत लेते। जैसलमेर के आदमी को अलवर में जमीन मिली। आप बताइये कैसे खेती करें? पर गांव की खेती भी बुरी होती है। आपने जो अलॉटमेंट दिये हैं एक गांव के व्यक्तियों को अलग अलग जगह दिये हैं यह कतई गलत है। कोई काश्तकार वहां जाकर के जमींदारी नहीं कर सकेंगे और न जमीन ले सकेंगे। हरिजनों को प्लाट दिये उन्हें मकान बनाने के लिये। सब आंकड़े आ रहे हैं चार हजार, पांच हजार, दस हजार, सबने मकान बना लिये हैं। आप अभी जाकर देख लीजिये यह कतई गलत है।

सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड से लोन देकर मकान बनाने के जितने आंकड़े हैं, सब गलत हैं। हमारे डीडवाना में तीन सोसाइटियां बनीं और उनकी लास्ट किश्त आज भी बाकी है। दो सोसाइटी सबसे बड़ी सोसाइटीज थीं उनको अभी तक कर्ज नहीं मिला। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं न लोन दिये हैं न देना चाहते हैं यह सब फर्जी आंकड़े हैं। बिलकुल किसी को लोन नहीं दिया गया है। हमने सोसाइटी भी बनाई, फार्म भी भरे, जयपुर भी आये व बराबर आते हैं, हाउसिंग बोर्ड के सामने बैठकर चले जाते हैं। हमारे यहां किसी को कोई लोन नहीं मिला है।

सभापति महोदय, भेड़ पालकों के लिये कहा गया, गोचर बनाये हैं, चरागाह बनाये हैं। हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में 6 करोड़ का भेड़पालन का प्लानिंग है जिसमें हमारे गांव के मवेशी चरते थे उन सबको रोक दिया। जब हमारी भेड़ या गाय कभी भी उस तार बन्दी में घुस जाती है तो उसको रोक लेते हैं। गांव वालों से 200 रुपये या 300 रु. जुर्माना जरूर ले लेते हैं। जैसे हमारे यहां काकरिया भेड़ फार्म है। वहां रशियन भेड़ें हैं। वहां कोई नस्ल सुधार नहीं हुआ है बल्कि दुनियां भर का खर्चा है। वहां की भेड़ हमारे साधारण काश्तकार की भेड़ की तुलना में मरी जैसी भेड़ है। वहां यह जरूर हुआ है कि चारों तरफ 107 और 379 के मुकदमे कर लिये हैं। इसी तरह हमारे यहां भेड़ व ऊन डिपार्टमेंट की मोटरें जरूर फिरती हैं। तेल जरूर बालते हैं। आप इसकी जांच करवा लीजिये कोई गलत नहीं। मेरे इलाके में ही नहीं सारे इलाके में ऐसा हो रहा है।

सभापति महोदय, इसमें यह भी कहा गया है कि मिलावट करने वालों पर अधिक जुर्माने किये गये हैं। यह हम मानते हैं लेकिन किस पर हुए हैं? सजा जरूर हुई है लेकिन उन्हें जो दूध बेचते हैं। 1½-2 सेर दूध बेचते हैं उन गरीबों को जरूर सजा हुई है। किसी दुकानदार को सजा हुई है? इन्सपेक्टर से पूछते हैं कि इन गरीबों के चालान क्यों किये तो कहते हैं कि हमें तो आंकड़े पूरे करने हैं। दुकानदार का चालान इन्सपेक्टर कभी नहीं करेगा क्योंकि या तो वे इन्सपेक्टर को हटायेंगे या रिश्वत देकर अपना मामला सिद्ध कर लेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसकी जांच करवा लीजिये किसका चालान हुआ है किस का नहीं हुआ है।

(श्री मोमाराम)

दूसरा यह भी बताया गया कि हमने छोटे उद्योगों को लोन दिये हैं उनकी प्रगति के लिये। छोटे उद्योगों को लोन जयपुर, जोधपुर या बीकानेर में कहीं दिये हों तो दिये हों, गांव में नहीं दिये। जिस गांव में लोहार रहता है वह औजार बनाता है, काश्तकार के औजार बनाता है। उनके अलावा सांसी हैं, बुनकर हैं, रंगर हैं यह सब अलग अलग कार्य करते हैं। रंगर अपना चमड़ा रंगता है उन्हें कौन सा लोन मिलता है? यह कहना गलत है कि छोटे उद्योगों को लोन देते हैं। झूठे आंकड़े हैं। गांवों के अन्दर किसी को लोन नहीं दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट और...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(श्री मोमाराम के नहीं बैठने पर)

अपना स्थान ग्रहण करिये। कुछ रह गया क्या? बजट भाषण में और बोल लेना।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में विचार विमर्श हो रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए मैं धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु आत्मा ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने पर गवाही नहीं दी कि हम उनको धन्यवाद दें।

( 4 म. प. )

( श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन )

आजादी मिलने के बावजूद बार बार राज्यपाल महोदय के हर साल अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि गांवों के आदमी की कोई हैसियत और कोई इज्जत आज इतने लम्बे अर्से के बाद भी नहीं है। 27 साल की लम्बी आजादी के बावजूद भी इन्सान को हम गांवों में पीने का पानी तक नहीं दे सके। यह बात बिल्कुल सही है। जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां 15-15 मील से लोग पखालों में पानी लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सबसे पहले इन्सान को अगर हम पीने का पानी भी नहीं दे सकें तो हम हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। आज गांव का आदमी उसी हालत में है जिस हालत में पुराने जमाने में, राजा और महाराजाओं और अंग्रेजों की हुकूमत में था। जिस तरह उस समय वे पानी के लिये परेशान थे, आज भी वे परेशान हैं। इस बात को भी मैं मानता हूं कि काम हुआ है लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं हुआ है, वे लोग आज, सभापति जी, बहुत परेशान हैं। राजस्थान के खास तौर से पश्चिमी जिले के बीकानेर के लोग हैं। उनके साथ सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। चाहे पानी का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों। इसमें सरकार ने पूरा बजट नहीं दिया है।

मैं आशा करता था इस मौके पर कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बीकानेर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जिले के लिये इन्सानों के पीने के पानी की व्यवस्था होगी लेकिन मुझे खेद है कि हमेशा की तरह इस वर्ष भी हमारे राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वह निराशाजनक है।

इसी प्रकार, सभापति जी, बीकानेर जिले के 680 गांवों में पिछले लम्बे अर्से से यानि 5 वर्षों में पांच किलोमीटर की बिजली की लाइन की भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। इस बात से दर्द होता है। हम भी राजस्थान के निवासी हैं, हम भी राजस्थान के रहने वाले हैं और जो राजस्थान का धन है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिये। यह भेदभाव की नीति बर्दाश्त करने के लायक नहीं है लेकिन करनी पड़ती है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिये।

मैं बार-बार कहता रहा हूं कि इन गांवों में पानी की कोई योजना बनायें, बिजली की कोई योजना बनायें लेकिन न पानी की कोई योजना है और न पांच किलोमीटर बिजली की लाइन ही दी गई है। फिर राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बिजली का प्रावधान नाम मात्र को भी नहीं है। माननीय सभापति जी, जहां तक काश्तकारों का सवाल है, काश्तकार कुओं से भी खेती करना जानता है। वह कुओं से सिंचाई करके ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने की कोशिश करता है लेकिन खेद है कि राजस्थान में वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में काश्तकारों की कमर तोड़ दी। आप जानते हैं कि राजस्थान केनाल की भूमि जो 10 हजार और 12 हजार रुपये मुरब्बा थी उस जमीन की हैसियत को बढ़ाकर वित्त मंत्रीजी ने आज 34 हजार रुपये मुरब्बा कर दी है। ये काश्तकार के लिये किया है, इससे स्पष्ट है कि हमारे भीतर बैठने वाले लोग काश्तकारों के हमदर्द नहीं है, काश्तकार के वकील नहीं हैं। ऐसा लगता है, सभापति जी, ऐसे कायदे कानून बनाने वाले लोग पूंजीपतियों के हिमायती हैं और काश्तकारों को दबाने के लिये ही ऐसे कायदे कानून बनाते हैं।

मैं आपकी मार्फत निवेदन करता हूं इस मौके पर कि राजस्थान के वित्त मंत्री जी और राज्य के मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान नहर पर भूमि की कीमत बढ़ा दी है, 10 हजार और 12 हजार रुपये से लेकर 34 हजार रुपया मुरब्बा कीमत की है। मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान सरकार समय रहते उसको बदले। 34 हजार रुपये की कीमत को विथड्रा करके 12 हजार रुपये ही रखनी चाहिये। सभापति जी, गंगानगर की भूमि की हैसियत अलग है–समतल है और उपजाऊ है–गंगानगर की भूमि उपजाऊ है। लेकिन राजस्थान नहर की भूमि टीबे वाली है और समतल नहीं है उबड़-खाबड़ है। समझ में नहीं आता है कि क्या सोच कर इस तरह का कानून बनाया है। इससे लगता है कि काश्तकार के प्रति हमारी सरकार ईमानदारी और वफादारी से जागरूक नहीं है। मैं चाहता हूं इस निगम को विथड्रा करें और भूमि की जो कीमत है वह कम करे।

सभापति जी, समाज कल्याण के बारे में भी मैं दो शब्द कहूंगा। राजस्थान नहर पर जो हरिजन हैं उनको खेती करने के लिये ऊंट और गाडे के लिए उस जमीन को ठीक करने के लिये और रिहायशी मकान बनाने के

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

लिये राजस्थान के समाज कल्याण विभाग से हरिजनों को पैसे देने की व्यवस्था की गई है लेकिन वे पैसे भी हमारे अधिकारी बीच में खा जाते हैं। झूठे अंगूठे लगाकर 1200) रु. और 1850) रु. नहीं देते हैं। पिछले दिनों की बात है कूकड़ में पैसे दिये गये लेकिन खेद है अधिकारी खा गये। हमारी पुलिस ने ऐसी गड़बडी करने वाले लोगों को वहीं जमानत लेकर उन लोगों को छोड़ दिया। यह घटना इसलिये हुई कि उस कमेटी में हमारे कोई आदमी नहीं थे और 100–200 रुपये में सौदा करके आधा पैसा खा गये और बाकी सब जेबों में डाल कर ले गये। समाज कल्याण मंत्री जी को देखना चाहिये क्या गड़बड़ी हो रही है।

सभापति जी, मैं थोड़ा सा परिवार नियोजन के बारे में भी कहूंगा। पिछले वर्ष के अन्दर परिवार नियोजन का एक बहुत अच्छा काम था लेकिन हमारी व्यवस्था ने उस अच्छे काम को एक बुरे रास्ते पर डाल दिया और बुरे तरीके से किया। परिवार नियोजन अगर ढंग से किया जाता तो जनता में असन्तोष नहीं होता, जनता में ज्यादतियां नहीं होतीं। परन्तु क्या हुआ जिस ढंग से इसको करना चाहिये था वह नहीं किया गया। पंचायत समिति की मीटिंग होती है। एम. एल. ए., प्रमुख, प्रधान, सरपंच, पच आदि को उसमें बैठकर जो भी टारगेट थे, उन टारगेट्स को ढंग से पूरा करने का विचार करना चाहिये था, अगर ढंग से नहीं होता तो उसका विरोध होना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया जन-प्रतिनिधियों को यह काम न देकर उन आफिसरों को दिया जो राज्य सरकार के लाड़ले थे, प्यारे थे। वे पुलिस की जीप लेकर गांव गांव में गये और लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती नसबन्दी कर दी। मेरे क्षेत्र हिम्मतसर में एक हरिजन की परिवार नियोजन से मृत्यु हो गई। परिवार नियोजन से उसको गहरा सदमा हुआ, उसकी उम्र करीब 34 साल की थी। इसी तरह घटु गांव है एक आदमी की परिवार नियोजन से अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि राज्य के तहसीलदार, एस.डी.ओ., पटवारी आदि कितने राज्य के प्रति जिम्मेदार और वफादार हैं। वे राज्य के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, राज्य के वफादार हो सकते हैं लेकिन वह समाज के दुश्मन साबित हुए। राज्य और समाज का जो, सभापतिजी, सम्बन्ध था, राज्य और समाज के बीच जो कड़ी थी उस कड़ी में जंग लग गया, उसने गलत काम किये हैं इससे हमारे आम चुनाव में राज्य और समाज के बीच जो व्यवस्था थी अधिकारी, इन अधिकारियों ने गड़बड़ की है। लेकिन खाली अधिकारियो को ही दोष नहीं दे सकते क्योंकि गलती हमने भी की है। हमने भावुकता में आकर उन लोगों को ड्यूटी दी और आंकड़े जायज ढंग से बनाने के बजाय गलत ढंग से बनाने की कोशिश की जिससे समाज नाराज हुआ और राज्य सरकार को नीचा देखना पड़ा। इसलिए गलत काम करने वालों के खिलाफ राज्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

दूसरी बात, सभापतिजी, पुलिस के बारे में है। इमर्जेन्सी लागू होने के बाद खास तौर से मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा कि पुलिस ने हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य, ब्लाक कांग्रेस के सदस्य, इन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना नोखा में झूठे मुकदमे बनाये। मुकदमा बनाया गया कि फलां व्यक्ति

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बाजार में एक ग्राम सभा कर रहा है, जनता को भड़का रहा है कि सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दो, टेलीफोन ग्रौर तार को तोड़ दो। इस तरह की मीटिंग कर रहा है। एस.एच.ग्रो. घटना स्थल पर जाता है। दल बदल सहित मौके पर जाता है ग्रौर केस बनाता है। इस तरह के करीब दस केस झूठे बनाये गये हैं। मेरे पास ग्रदालत की सर्टीफाइड कापी है जो मैं ग्रापको दूंगा, उससे मालूम होगा कि किस तरह से मुकदमे झूठे बनाये। ग्रदालत ने उन मुकदमों को झूठा करार दिया क्योंकि पुलिस गवाह पेश नहीं कर सकी क्योंकि मुकदमे झूठे थे। ऐसे पुलिस ग्रधिकारियों के खिलाफ ग्रगर ग्राज ग्राप कार्यवाही नहीं करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताग्रों को इस तरह से झूठे मुकदमे बना कर ग्रगर नीचा दिखाग्रोगे तो यह समाज बरदाश्त नहीं कर सकता है। कार्यकर्ता तो ग्रापकी बात को बरदाश्त करेगा, उसने तो बहुत सी ज्यादतियां देखी हैं ग्रौर सही हैं लेकिन समाज इस तरह की बुरी ज्यादतियां बरदाश्त नहीं करेगा। सभापतिजी, जो कुछ घटनायें हुई वे घटनाएं बड़ी ग्रजीब ढंग की हैं। यह सरकारी व्यवस्था है। ग्राज ग्रापने प्रोग्राम दिया कि गांवों में हरिजनों के कर्जे माफ होंगे, उससे क्या होगा। ग्रापने हरिजनों को दुखी बना दिया है। ग्रापने ग्रपने प्रोग्राम को बना कर समाचार पत्रों में ग्रौर रेडियो पर घोषणा कर दी कि तुम्हारे कर्जे माफ हैं। उसका परिणाम क्या हुग्रा, सभापतिजी? गांव के गरीब काश्तकार को, गरीब हरिजन को पांच किलो बीज बिजावणी के लिए किसी भी गांव के जिम्मेदार ग्रौर ग्रच्छे ग्रादमियों ने नहीं दिया इसलिए कि हम इसको कुछ देंगे तो हमारे खिलाफ मांगणी का मुकदमा होगा। ग्राज एक तरफ गरीब हरिजनों की बड़ी बड़ी लड़कियों की शादी हमारे सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ने के कानून के कारण नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ राज्य की ग्रोर से कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रापने व्यवस्था की हैं बैंक की। लेकिन बैंक गरीबों के लिए नहीं है। बैंकों की जो विचारधारा है ग्रौर जो सरकार की पालिसी है उसके ग्रनुसार बैंक तो बड़े-बड़े लोगों के लिए है। टाटा, बिड़ला ग्रौर डालमिया जैसे पूंजीपतियों के लिए है। आज बड़ा ग्रादमी कोई ट्रैक्टर खरीदे तो उसके लिए किसी जमानत की जरूरत नहीं लेकिन गरीब हरिजन ग्रगर एक हल खरीदने के लिए सौ रुपये लेगा, बीज के लिए तकावी लेगा तो चार जमानती मांगेंगे। बैंक वाले कहेंगे ग्रच्छे ग्रादमी, हैसियत वाले ग्रादमी को लाग्रो तब सौ रुपये देंगे। तो ग्रापने हमारे साथ, गरीबों के साथ न्याय नीति के साथ नहीं किया है। जो गांव में हमारा भाईचारा था, हमारा लेनदेन था जो ग्राज तक सदियों से होता था उसको ग्रापकी व्यवस्था ने बिगाड़ा है जिससे ग्राज गांव के रहने वाले गरीब ग्रादमी का बड़ा भारी नुकसान हुग्रा है।

सभापतिजी, एक बात ग्रौर कहूंगा कि ग्रापने यह लोक सभा के चुनाव में हार देखी लेकिन मैं कहूंगा कि एक काम हमारी सरकार ग्रौर गलत कर रही है। ग्राज करीब पन्द्रह साल से ग्राप पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे हैं। ग्राप समझते हैं कि ग्राप इस चुनाव को नहीं कराने से जनता की सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। उसी का नतीजा यह हुग्रा कि गांव का ग्रादमी, गांव की जनता बड़ी भारी परेशान है ग्रौर यह परेशानी ग्रौर नाराजगी ग्रापने देखी। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जल्दी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

से जल्दी, मई में या जून में या अप्रेल में जब भी सम्भव हो पंचायत के चुनाव करावें। भगवान इनको ऐसी सद्बुद्धि दे। वरना क्या होगा कि जनता आज भी गांव की बड़ी नाराज है कि पन्द्रह साल, बारह साल हो गए, इन पंचों, सरपंचों को थोप रखा है। वे कैसे लोग हैं, किसी का इन्तकाल नहीं करते किसी के घर का पट्टा नहीं देते एक के घर का पट्टा दूसरे को दे देते हैं इस तरह की गड़बड़ करने वालों से जनता परेशान है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार पंचायतों के जल्दी से जल्दी चुनाव कराये।

पिछले दिनों, सभापति जी, राज्य सरकार ने गांवों की सोसायटियों का एक नया तरीका निकाला और वह तरीका यह निकाला कि दो तीन पंचायतों को मिला कर गांवों की एक सहकारी समिति होनी चाहिए। हमारे कुछ नालायक अफसरों ने जहां बड़े बड़े गांव हैं, जिन गांवों की आबादी साढ़े तीन हजार की है वहां की सोसायटी को तोड़ कर और जहां पांच सौ की आबादी और वह भी पन्द्रह मील दूर गांव है उस गांव के साथ मिला दिया। इस तरह की आपकी मशीनरी की व्यवस्था है। क्या इससे संतोष रहेगा? वह दिन दूर नहीं है कि जब जनता माफ नहीं करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापतिजी, मैं आपकी मार्फत ज्यादा समय नहीं लेकर, हाउसिंग सोसायटी के बारे में कहूंगा। जब आपके पास पैसा नहीं है, ऋण देने को पैसा नहीं है तो इन गरीबों को यह न्योता क्यों दिया कि अपने घर पक्के करो? आपके पास धन नहीं है तो समाज को नया निर्देश क्यों दिया? उनको कहना था कि सादा विचार रखो और सादा जीवन रखो। कच्चे मकान में रहो और साफ सफाई से रखो। लोग अपने जेवर बेच कर सोसायटी के मेम्बर बने। इसलिए मैं कहूंगा कि यह तौर तरीका बन्द होना चाहिए और जो कुछ भी समाज को निर्देश दें वह सही होना चाहिए।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य! (श्री अजीत सिंह) से कृपया सदन में अखबार नहीं पढ़ें।

**श्री अजीतसिंह** : Sorry sir.

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : सभापतिजी, मैं एक बात और भी कहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मोहरसिंहजी ने कहा था कि जनता राज्य सरकार के, हमारी कांग्रेस के खिलाफ है। जनता हमारी नीतियों के खिलाफ है। कांग्रेस की नीतियां बहुत अच्छी नीतियां हैं और हमारी नेता इन्दिरा गांधी के मुकाबले कोई देश में नेता नहीं है। हो सकता है कि हमारी गलत नीतियों के कारण हार खानी पड़ी लेकिन मैं मोहरसिंहजी से कहता हूं कि उन लोगों को भी यही दिन देखना पड़ेगा। उनके विचार कहां और जनसंघ के विचार कहां। यह तो गाय के साथ भैंस को बांधने वाली बात है। महात्मा गांधी को गोली से मारने वाले ही लोग गांधीजी की समाधि पर जाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अच्छे ढंग से गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यह कतई नहीं चल सकते। यह बेमेल जोड़ा है। मुझे इस मौके

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
पर एक कहानी याद आती है। एक गांव का जमीदार था उसको स्नान करने की आदत थी। उसके पड़ोस में एक और रहता था। उसकी घरवाली ने पड़ोसिन से कहा कि तुमने अच्छी आदत डाली। उसने अपने पति से भी कहा कि तुम भी स्नान करो। वह हरिद्वार गया। वहां कुछ लोग स्नान करके कुछ छोड़ कर जा रहे थे। कोई शराब पीना छोड़ रहा था, कोई हुक्का पीना छोड़ रहा था। उसने कहा कि मैं भी स्नान करते हुए प्रण करता हूं। उसने प्रण किया कि रोज स्नान करने के बाद दो बटाऊ को जिमाने के बाद जीमूंगा। बस उसने बात पकड़ ली। गांव आया तो बात पकड़ रखी कि रोज स्नान करूंगा और दो बटाऊ को भोजन कराने के बाद ही भोजन करूंगा। जब बटाऊ की कमी आई तो उनका भोजन करना बन्द हो गया। लोगों ने कहा कि चौधरी साहब, इस प्रकार बिना भोजन के कब तक रहोगे? ऐसा करो कि खाण्ड का बटाऊ कर लो और उसके सामने भोजन रख दो और समझ लो कि बटाऊ ने जीम लिया। एक दिन बटाऊ आये तो घर में जो टाबर है, वह कहे कि चीनी का दो बटाऊ मैं खाऊं। मैं विरोधियों को कह रहा हूं जो कहते हैं कि इतना भारी बहुमत दिया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बच्चे ने कहा कि चीनी के दो बटाऊ हैं, मैं खाऊंगा। वह खाता था। एक दिन असली बटाऊ आ गये। बच्चा बटाऊ को यह कहते थे कि चीनी का बटाऊ है। बच्चे ने स्कूल मास्टर साहब से जाकर पूछा, बटाऊ कहां है? बटाऊ जा रहा था। उन्होंने उसे बता दिया तो लड़के ने कहा कि बटाऊ ठहर जा मैं कई दिन का भूखा हूं। बटाऊ ने देखा कि मुझे खा लेगा तो वह भागा। विरोधी दलों को जो बहुमत मिला है, वे इस समय खुश हो रहे हैं लेकिन उनकी हालत उसी बटाऊ की तरह होगी। जो यह फर्जी दल बनाया है, उसकी रीति नीति कभी एक नहीं होगी। यह हिन्दुस्तान का राज कर सके, यह कभी नहीं हो सकता है। वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान में तानाशाही थी। एक महीने में दो महीने में ही यह खत्म हो गई? हिन्दुस्तान के टाटा, बिरला और डालमिया के घर में घी के दिये जला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मोरारजी प्रधान मंत्री हो गये हैं। मोरारजी हिन्दुस्तान के नेता नहीं हो सकते हैं। यह वोट से चुनाव नहीं हुआ है। तानाशाही से चुनाव हुआ है। थोड़े दिनों में ही यह आगे आने वाला है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में फेमिली प्लानिंग की कोई बात नहीं कही है। पिछले दो वर्षों से इसमें काफी काम हुआ है। इसमें पंचायत वाइज और इलाकेवाइज ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोगों की सूची है, वह सूची तैयार करने के लिए कहा गया था। वे यह सूची तैयार करने के पहले ही अन्धाधुन्ध आपरेशन करने लगे। यह गलती रही है। दूसरी गलती यह रही है कि यह सारा काम

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कलेक्टरों के सुपर्द कर दिया गया। एक बार और भी ऐसी ही गलती हुई थी जब कि सुरक्षा कोष का चन्दा एकत्रित करने का काम पुलिस को सौंप दिया गया था। लेकिन आठ दस दिन के बाद ही उसको पलट दिया गया था। यह भी हुआ है कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया। जो टार्गेट था वह पूरा हो गया तो उसको डबल कर दिया। डबल होने लगा तो ट्रिबल कर दिया गया। यह जो काम किया गया है यह अंधाधुन्ध किया गया है। हमारे इलाके में इतनी ज्यादती नहीं होने दी है लेकिन फिर भी ज्यादती हुई है। वास्तव में देखना था कि परिवार नियोजन किसका करना है, किस फैमिली का परिवार नियोजन करना है। इसमें संख्या पूरी करने का मकसद नहीं था। संख्या बढ़ाने की बात हुई है, इसीलिए विरोधियों को यह कहने का मौका मिला है। विरोधी इसी बात का प्रचार कर रहे हैं जब कि राज्य सरकार ने बार-बार यह घोषणा की है, जितने भी कलेक्टर्स हैं, उनको यह निर्देश थे कि परिवार नियोजन के लिए कौन एलिजिबल है, इस बात का सर्टिफिकेट लिए बिना आपरेशन नहीं करना है। इसका उल्लंघन हुआ है। किसी तरह से फार्म भरा लिया गया। इन सारे केसेज की जांच होने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि सरकारी तौर पर सरकारी कर्मचारियों के जो आपरेशन किये गये हैं, हमारे जिले में काफी केसेज सरकारी कर्मचारियों के हुये हैं उनके आपरेशन में कुछ गलती रहने से बहुत दिन ट्रीटमेण्ट उनको कराना पड़ा। करीब दो ढाई महीने तक उनको इण्डोर पेशेण्ट रह कर इलाज कराना पड़ा है। इस बारे में राज्य सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उनकी छुट्टियों का क्या होगा। मैंने इस बारे में रिप्रजेन्टेशन मुख्य मंत्रीजी को दिया है। उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दिया है कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जितने खेद की बात है। उन लोगों के लिए स्पेशल लीव विथ फुल पे होनी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, और सरकारी कर्मचारी हैं, उनके कुछ उदाहरण हमारे यहां हैं उनको स्पेशल लीव विथ फुल पे होनी चाहिए। यह राज्य सरकार को सामान्य प्रशासन को तुरन्त आदेश देना चाहिये ताकि उनकी जो पे रुकी पड़ी है, वह उनको मिल जाये। कुछ केसेज मैं लाया हूं। परन्तु उनके बारे में स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रिविलेज लीव कटती है। यह तो उन्होंने गवर्नमेंट की नीति के अनुसार करवाया है। डाक्टर की गलती से यह केसेज बिगड़े हैं। उन परिस्थितियों में कराया है। इसलिए जब यह जवाब दिया जाये तो इसके बारे में स्पष्ट किया जाये।

सभापतिजी, इसके अलावा जालौर जिले में, विशेष कर सांचौर तहसील में इस वर्ष मलेरिया का प्रकोप बहुत रहा है। इसका कारण बहुत लोग टाइम तक बरसात होना और समय पर डी.डी.टी. नहीं छिड़कना है। अभी वित्त मंत्री श्री चन्दनमल जी बैद ने जवाब दिया है, वह सैटिस्फैक्टरी नहीं है। मलेरिया जो हमारे इलाके में हुआ है, उसके कारण बहुत सी डेथ हुई हैं। मलेरिया इफेक्टेड एरिया में स्प्रे तो हुआ नहीं है। वहां जो मलेरिया विभाग के कर्मचारी थे वह भी बुखार के भय से भाग गये। जो डाक्टर वगैरह थे वह प्रिविलेज लीव इसी

# Page No 86

(86)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भय के कारण लेकर चले गये। ऐसी हालत में डाक्टरों के नहीं रहने से और दवाइयों का स्टाक नहीं होने से कम्पाउण्डरों ने एक एक गोली का एक एक रुपया लिया है। तो इस बारे में मैं चाहूंगा, सभापति जी, कि उचित जांच हो, इसकी कलेक्टर के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। इसकी निष्पक्ष इन्क्वायरी होनी चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है।

इसके अलावा हमारे उस एरिया में, जिस जगह मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया है, न कोई मेडिकल की फैसिलिटीज हैं, न कोई एड पोस्ट है, न डिस्पेन्सरी है। वहां से पचास साठ मील की दूरी पर डिस्पेन्सरीज हैं उनके अन्दर भी पूरी तरह से दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। जो डिस्पेन्सरीज की बिल्डिंग हैं उसको भी पुराना और अधूरा रख छोड़ा है। गवर्नमेन्ट को मकान बना कर देने चाहिए नहीं तो फिर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपके आंकड़ों से यह सिद्ध है कि थाउजेन्ड्स पाजिटिव केसेज ऑफ मलेरिया के हैं। लेकिन बीस बीस मील पर भी कोई डिस्पेन्सरी नहीं है और कहीं पर जहां जरूरत नहीं है वहां पर दस मील पर ही है, यह क्या पक्षपात है। आज कल तो डी.डी.टी से मलेरिया के मच्छर भी नहीं मरते हैं इसलिए गांवों के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए राज्य सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए और पक्षपात नहीं करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो डिस्पेन्सरीज आप खोलें, जिस एरिया में आप डिस्पेन्सरीज या एड पोस्ट खोलें उनमें दवाइयों का पूरा प्रावधान होना चाहिए।

सभापतिजी, इसके अलावा अभी अभिभाषण में बताया कि कुछ रुपया डिस्पेन्सरीज के लिए और चिकित्सा के लिए रखा गया था। सभापतिजी, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि हमारे सांचौर में पुरानी स्टेट टाइम की बिल्डिंग है डिस्पेन्सरी की, अगर उसकी अगली बरसात से पहले मरम्मत नहीं हुई तो वह गिर जायगी। जब से उसमें डिस्पेन्सरी खोली गई है एक पैसा भी उसकी मरम्मत में नहीं लगाया गया है। मेडिकल विभाग को मालूम है कि एक भी पैसा मरम्मत में नहीं लगाया गया है। अगर अगली बरसात तक मरम्मत नहीं की तो वह गिर सकती है, पी.डब्ल्यू.डी. से एस्टीमेट्स भी आ चुके हैं। बड़े अचम्भे की बात है कि पक्षपात की बात क्यों की जा रही है। इतना पैसा होने के बावजूद भी एक पैसा भी इसके लिए अलाट नहीं किया गया। मेडिकल विभाग को चाहिए कि इस सम्बन्ध में पक्षपात नहीं करे और जैसी कन्डीशन्स हों उसी के अनुसार बिल्डिंग की मरम्मत पर खर्च करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न भी था। तीखी-पहाड़पुरा में हैण्ड पम्प लगाया जा सकता है। सारा वेस्ट ऑफ मनी है। वहां क्यों जल प्रदाय योजना लागू की है? डूंगरी, सेसावा में दस दस मील दूर से पानी लाते हैं। अगड़ावा, तीखी-पहाड़पुरा में हैण्ड पम्प की व्यवस्था करनी चाहिए और यह पैसा डूंगरी सेसावा में लगाना चाहिए। इस तरह से आप क्यों वेस्ट आफ मनी कर रहे हैं। मेरी मंत्रीजी से बात हुई थी उन्होंने पूरा आश्वासन तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं दिया है लेकिन कहा है कि मैं देखूंगा। जिस जगह वाटर की कमी है, जहां इतनी भयंकर समस्या है वहां पर पैसा खर्च करना चाहिए। वेस्ट ग्रॉफ मनी इस तरह से ग्राप कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जहां पर ग्रावश्यक हो जहां पर दूर से पानी लाते हों उस जगह पर ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम सोल्व करनी चाहिए। पूरे जालोर जिले में हाल ही में लोगों को खुजली की बीमारी हो गई है, इसका कारण जानने के लिए एग्जामिन किया गया तो पाया गया कि पानी के ग्रन्दर खराबी है, पानी ग्रच्छा नहीं है लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं है इस बारे में। इसलिए राज्य सरकार का फर्ज है कि कुछ पैसा इसके लिए ग्रलाट करके जिस एरिया में पानी की भयंकर प्राब्लम है, दस दस मील में पानी नहीं है उस जगह कम से कम स्कीम बनाकर ज्यादा पैसा ग्रलाट करना चाहिए न कि क्षेत्रीय भावना से ग्राप दूसरी जगह लगायें जहां पर ग्रावश्यकता नहीं है। After all they are also human being. वे उस कन्डीशन में रहते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की ग्रोर वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी है कि उसको ज्यादा पैसा ग्रलॉट करके ऐसे एरिया में लगाना चाहिए ताकि वहीं के लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें।

इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हालांकि मंत्रीजी ने ग्राश्वासन दे दिया है, दो लाइनें तो जरूर ग्रायेंगी, सांचोर में परन्तु सांचोर पंचायत समिति में बिजली की ज्यादा जरूरत है, वहां सब से ज्यादा वजन काश्तकारों पर पड़ता है, वहां बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ग्रोर विशेष ध्यान देकर इस एरिया में बिजली लगवाने की कोशिश करे।

सभापति जी, शीप एंड वूल के ऊपर कल ही मन्त्रीजी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि हम शीप फार्म बना रहे हैं। उस पर ग्राप खर्चा कर रहे हैं, तार बन्दी करके, गोचर जमीन को आप काट कर शीप फार्म कर रहे हैं, इस पर ग्राप फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं। श्री नाथूराम जी मिर्धा जब पशुपालन मंत्री थे वे ग्रमेरिका जाकर ग्राये थे, वे ग्रौर सुखाड़ियाजी भी ग्राये थे, ग्रन्वेषण किया गया, मकानात भी बनाये गये लेकिन वे सब खाली पड़े हैं। कहा गया था कि वहां भेड़ कतरन केन्द्र बनायेंगे ग्रौर यह करेंगे वह करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुग्रा। ऐसा नहीं हो कि गांव का रास्ता रोक कर ग्राप लोगों को परेशान करें ग्रौर फायदा कुछ भी नहीं मिले। बताया गया कि इस पर चार लाख रुपया खर्च कर देंगे और घास उग जायगी। ग्राप इस पर फालतू खर्चा कर रहे हैं, कहां से घास उग जायगी? आपको जो भी करना हो, जो भी पैसा है इसके लिए वह ग्राप पंचायत समिति को ट्रान्सफर कर दीजिए, वह सोच समझकर फार्म लगायेगी। नहीं तो एक टैंक बनाकर छोड़ दिया जायेगा ग्रौर एक तारबन्दी करायेंगे ग्रौर फिर उसको लोग तोड़ देंगे। भेड़ वाले इसमें भेड़े रखने वाले नहीं हैं, भेड़ फार्म बनाना है तो ग्राप जैसलमेर में बनावें, जहां पर राजस्थान कैनाल आने वाली है, वहां पर बनायें। गोचर जमीन है, यहां पर लोगों का रास्ता भी है, धार्मिक स्थान भी है सारी चीजे हैं ग्रौर यहां लगा रहे हैं शीप फार्म। यह सारा फर्जी खर्चा बताया गया है। ग्रभी तक फार्मों पर लेबर के फर्जी नाम लिखे गये हैं, एक्च्युग्रल पेमेन्ट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं किया गया है, यह सारा खर्चा करना आपका बेकार है। शीप फार्म रजिस्टर कर रहे हैं, भेड़पालकों को बताया गया कि इतने अच्छे ढंग से फायदा पहुंचायेंगे। इसमें कौनसे गांव की भेड़े रहेंगी ?, वहां भेड़ें नहीं हैं भेडें तो कांकड़ में फिरती रहती हैं, इसलिए फालतू पैसा खर्च नहीं करके पंचायत समिति को ट्रान्सफर करना चाहिए ताकि बिल्डिंग बनाने में एवं अन्य आवश्यक कार्य वे कर सके।

सभापतिजी, इसके अलावा विलेज रोड्स हैं, शिवचरणजी माथुर, प्लानिंग मिनिस्टर पधारे थे, उन्होंने कहा था कि ढाई हजार की जनसंख्या वाले गांवों को मेन सड़क से जोड़ेगे परन्तु अभी तक इसका पता नहीं है, विलेज रोड्स में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो बडी बड़ी रोड्स हैं उनके लिए हर जगह समान रूप से रकम वितरण करनी चाहिए, यह मैं कहना उचित समझूंगा।

सभापतिजी, इसके अलावा कोआॅपरेटिव सोसायटीज का जो यूनिफिकेशन किया गया पिछले साल उनमें बड़े भारी घोटाले हैं। यूनिफिकेशन गलत हुआ है, इसको रिओपन किया जाना चाहिए और स्थानीय एम.एल.ए., सरपंच और प्रधान की सहमति से दुबारा यूनीफिकेशन होना चाहिए। आपने दफ्तर में बैठे-बैठे यूनिफिकेशन कर दिया यह गलत हुआ है। यह बिलकुल गलत हुआ है और लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपको ग्रामीण लोगों की आर्थिक हालत को सुधारना चाहिए। तो वापस यूनिफिकेशन होना चाहिए, इकानामिक यूनिट हो और पास पास हो। इसको नई तरह से एकीकृत किया जाना चाहिये।

इसके अलावा प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजूकेशन के लिए मैं कहूंगा। कम्पलसरी एजूकेशन के लिए तो कहा जाता है परंतु डेजर्ट एरिया में 5–5 मील तक, पढ़ने के लिए बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। दो तीन किलोमीटर की बात करना गलत है वहां स्कूल नहीं है। कोई भी बच्चा तीन मील से अधिक दूरी पर पढ़ने न जाए, ऐसा सर्वे करके मास्टर प्लान बनाकर जितने भी प्राइमरी स्कूल्स चाहिए, वे खोल देने चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और 5 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाने की जो सरकार की नीति है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। वरना एक जगह तो तीन स्कूल्स हैं और कई जगह 3–4 मील के घेरे में एक भी स्कूल नहीं हैं। प्राइमरी एजूकेशन में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करके स्कूल खोलने चाहिए ताकि बेकवर्ड एरियाज के लड़के अनपढ़ नहीं रह सकें।

अपर प्राइमरी एजूकेशन के लिए राज्य सरकार ने बिल्डिंग सैक्टर में कोई पैसा नहीं दिया है। आप शहरों को लाखों रुपये देते हैं होस्टल इत्यादि के लिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए मकान के नक्शा बनाते हैं, 10 हजार रुपये में दो कमरे और उसको आप दो हजार देते हैं। तो इस तरह से अवास्तविक नक्शे खारिज होने चाहिए और वास्तविक रूप से सोचना चाहिए कि गांव में क्या हो सकता है, एक अनुसूचित जाति के परिवार को दो कमरे कैसे चाहिए। नहीं तो फिर आप उनसे पैनल इन्ट्रेस्ट के साथ रिकवरी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करते हैं। आप गलत प्रलोभन देकर लोगों को बरबाद करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मकानों के नक्शे और स्कूलों के नक्शे संशोधित करके थोड़ा पैसा और मिलाइए और ग्रामीण स्तर के मकान बनाइये वरना यह सारा वेस्ट आफ मनी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपाल सिंह।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, अभिभाषण के ओपनिंग पैराग्राफ में अच्छे शब्दों में कहा गया है कि लोक सभा के आम चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं शांत वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। सभापतिजी, जनता पार्टी के जीतने के बाद और सत्ता पक्ष के बुरी तरह से हारने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाती है और ज्यादा कहना उचित नहीं रहता है। मगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने जो भाषण तैयार करके यह पढ़वाया, उस बारे में मैं कुछ कहना आवश्यक समझता हूं।

(4.44 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

ये चुनाव कितने निष्पक्ष हुए उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सर्वप्रथम मैं वोटर्स लिस्ट को लेकर बताना चाहता हूं। 1975 में पुरानी वोटर्स लिस्ट को लेकर चुनाव कराए और दो वर्षों में जिन युवा पीढ़ी के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था, उन को मतदान से वंचित रखा गया। युवा पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार लोग, निश्चित रूप से सरकारी पक्ष के खिलाफ अपना मतदान करना चाहते थे, उनको जानबूझ कर मतदाता सूची से अलग रखा गया।

इतना बड़ा अन्याय होने के बावजूद भी आज सरकार कहना चाहती है कि चुनाव न्यायपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में हुए। इस चुनाव के दौरान पुलिस का जिस प्रकार उपयोग किया गया और चुनावों के समय पर आम लोगों को टेरेराइज करने के लिए गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में पुलिस तैनात कर दी गई और लोगों को भयभीत करने का आह्वान किया गया ताकि लोग सही निर्णय न कर और भयभीत होकर सरकारी पक्ष में वोट दे दें। इस वातावरण के बावजूद सरकार कहती है कि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हुए।

19 तारीख को सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र में चुनाव होने वाला था और 18 की रात को वहां कांग्रेस के प्रत्याशी श्री श्रीकिशन मोदी ने मुख्य मंत्री को झूठा टेलीफोन किया और कहा कि खंडेला क्षेत्र में आम लोग कांग्रेस पक्ष में मतदान करना चाहते हैं लेकिन वहां जनता पार्टी के लोगों ने भय का वातावरण खड़ा कर रखा है, उस वातावरण को खत्म करने के लिए पुलिस को भेजना आवश्यक है। मुख्य मंत्री ने बिना सोचे समझे अपने चहेते उम्मीदवार को जिताने के लिए यहां से एडीशनल आई. जी. पुलिस को एक्सट्रा फोर्स के साथ खंडेला भेजा खंडेला प्रापर और गांव गांव में 400-400 500-500 पुलिस वालों को छज्जों पर बिठा दिया गया और लोगों को महसूस कराया गया कि सरकार के पक्ष में यदि वोट नहीं दोगे तो पुलिस क्या करेगी।

(श्री गोपालसिंह)
यह तो खुदा का शुक्र है कि ऐसे वातावरण में भी लोग भयभीत नहीं हुए। जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, उसने उसको पूरा नहीं किया। फिर भी सरकार कहती है कि हमने चुनाव निष्पक्ष वातावरण में कराया, यह कतई गलत है, धोखा है।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के लोगों ने वोटर को भ्रष्ट करने की काफी कोशिश की। वोटर को लोभ दिया गया, गुमराह किया गया। मैं पिछले 5 साल से खंडेला के बारे में कहता आया हूं और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता रहा हूं कि बाढ़ आ जाने से गांव बरबाद हो जाता है, पिछले साल गांव के 12 लोग मर गए। आगे ऐसा कांड न हो इसलिए सरकार बांध बनवाए लेकिन सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण बांध नहीं बंधवाया। जब आम चुनाव हो रहे थे तो लोगों को भ्रष्ट करने का तरीका अपनाया। चुनाव के 10 दिन पहले खंडेला बांध का काम शुरू करा दिया गया और लोभ देने की कोशिश की गई। यह शुक्र है कि लोग भ्रष्ट नहीं हुए, अपना दिमाग नहीं खोया और सही निर्णय लिया। सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं यहां सरकार ने जो चुनाव निष्पक्ष कराने की बात कही है वह गलत है। सभापति महोदय, सरकार ने भ्रष्ट तरीके अपनाये लेकिन खुदा का शुक्र है कि लोग कांग्रेस के भ्रष्ट तरीकों के बहाव में नहीं बहे। इतनी कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस चुनाव में बुरी तरह असफल रही। सभापति महोदय, जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां की जनता वर्षों से बिजली के लिये सरकार को निवेदन कर रही थी लेकिन वहां सरकार ने उनकी बिजली की प्राथमिकता को खत्म कर दिया। जहां पर बिजली के खम्भे डाले हुए थे वहां से उठा ले गये और अभी जब चुनाव आये तो सत्ता पक्ष ने रातों रात झाडली गांव में बिजली के खम्भे लगवाये। राज्य सरकार तो चुनाव का इन्तजार कर रही थी। उसकी यह साजिश थी कि उस वक्त बिजली नहीं पहुंचे और जब चुनाव आये तो वहां के स्थानीय एम.एल.ए. राज्य के मुख्य मंत्री जी ने वहां बिजली के खम्भे लगवा दिये। खुदा का शुक्र था कि जनता ने सही निर्णय किया और कांग्रेस के भ्रष्ट तरीकों में नहीं आये। तो कांग्रेस का यह कहना कि चुनाव निष्पक्ष हुए यह गलत, बेबुनियाद और तथ्यों के विपरीत है।

सभापति महोदय, इन चुनावों के दौरान में लोगों को किस प्रकार भयभीत किया गया इसके मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां एक दिवराला गांव है जहां पर एक नरेशजी नाम के रिटायर्ड अध्यापक हैं उनके पास चुनाव के पहले दिन यानि 15 तारीख को उस इलाके का थानेदार आया और उसने कहा कि आप नरेशजी 16 तारीख को घर से बाहर निकलोगे क्योंकि आप उत्पाती हो, हमारे पास ऊपर से वायरलेस का मेसेज आया है। सभापति महोदय, मास्टर जी एक बहुत ही अच्छे चरित्र के आदमी हैं उनके पास राजस्थान सरकार के कई अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट हैं। मैंने खुद ने आंखों से देखा है, मेरे पास आकर लोगों ने मास्टरजी को इस प्रकार से टेरेराइज करने की बात कही तो मैंने रात को करीब साढ़े 11 बजे और बारह बजे के बीच में जिलाधीश महोदय से बात करनी चाही, लेकिन

(श्री गोपालसिंह)

जिलाधीश महोदय ने मेरे से बात करना नहीं चाहा, और मुझे यह कहा गया कि जिलाधीश महोदय सो रहे हैं और उनका जगना मुश्किल है। इसके बाद में मैंने एस.पी. साहब से बात करने की कोशिश की, एस. पी. ने शुक्र है भगवान का कि मेरे से बात कर ली। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह दिवराला के मास्टरजी नरेशजी को टेरेराइज किया जा रहा है और यह क्या स्थिति है, क्या यह चुनाव निष्पक्ष होने की स्थिति है? एस.पी. साहब ने यह कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे नाम से श्री माधोपुर थानेदार से बात करें। मैंने उसी वक्त श्री माधोपुर के थानेदार से बात की और वहां के थानेदार साहब को यह बताया कि श्री नरेशजी की कोई गलती नहीं है और आपके पास जो खबर है वह गलत है। मैंने उनको चैलेन्ज किया कि आपको जो भी खबर दे गया वह झूठी थी। मास्टर साहब एक सच्चरित्र व्यक्ति हैं और रातों रात सारी स्थिति बतायी। मुझे थानेदार साहब ने बताया कि उनके बारे में रिपोर्ट मेरे टेबल पर है और उनकी कोई गलती नहीं। तो यह चुनाव किस प्रकार से निष्पक्ष हुए? इस प्रकार पुलिस के माध्यम से लोगों को भयभीत किया गया। मास्टर जी को टेरेराइज किया गया। अगर शीशे में कांग्रेस पार्टी देखे तो पता चल सकता है किसमा सही कांग्रेस सरकार कह रही थी।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, चुनावों के पहले गेहूं के भाव 150 रुपये हो गये थे। हमारे पास गेहूं का भण्डार भरा था तो भी राज्य सरकार ने उन भण्डारों को नहीं खोला, गरीब जनता को महंगे भाव से गेहूं खरीद कर खाना पड़ा। मगर दूसरी ओर जब चुनाव नजदीक आये तो लोगों को भ्रष्ट करने के लिये कांग्रेस सरकार ने अपने भण्डारों में से गेहूं देना शुरू कर दिया। सभापति महोदय, यह एक ऐसा समय है जब कि बाजार में नया गेहूं आ रहा है किसान को दो पैसे मिल सकते हैं तो सरकार ने सस्ते अनाज को बाहर भेजा ताकि किसान के उत्पादन का उसे उचित मूल्य नहीं मिले। किसान, सभापति महोदय, हमारी रीढ की हड्डी है। अगर आप उसे उचित मूल्य उसके उत्पादन का नहीं देंगे तो वह कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकेगा। क्या इस प्रकार के कारनामे करके आप अपने आपको समाजवादी कहते हैं? यह कहां का समाजवाद है?

इसके अलावा एक बात और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी, वह है बिजली के बारे में। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा, राज्य सरकार ने सात हजार गांवों में बिजली का विस्तार किया। यह एक तथ्य है जिसको मैं किसी हद तक स्वीकार करता हूं लेकिन आपने किसान को जो बिजली दी है उसमें कितने ज्यादा चार्जेज किये हैं। इसके अलावा आप किसान के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आज बिजली को लेकर आपने कितना काश्तकार को परेशान किया है। मैं, सभापति महोदय, आपका इसके लिये ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पहले माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। उन्होंने यहां यह बताया कि किस प्रकार बिजली की चोरी को लेकर किसान को परेशान किया जा रहा है। आज कोई बिजली की चोरी करे या नहीं करे अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो उसको

# Page No 92

(92)



(श्री गोपालसिंह)

दो सौ से लेकर 250 रुपये प्रति हार्स पावर चार्जेज देने पड़ते हैं उसके बाद में करीब दो हजार रुपये लेकर वापिस कनेक्शन लेना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था आपके यहां पर आपने कर रखी है। एक छोटी सी घटना के लिये आप किसान को कितना परेशान करते हैं। आप किसी को चोर कैसे कह सकते हैं जब कि वह मामला कोर्ट में चलता हो, जब मामला ही सब-जुडिस है तो फिर चोर कैसे हुआ? आप उसकी बिजली का कनेक्शन कैसे काट देते हैं? आपने काश्तकार को क्या समझा है? क्या वह कोई घन्ना सेठ है जो कि आपको दो ढाई हजार रुपये दे देगा और बिजली ले लेगा वापस? उसके पास तो कभी छठे छमास उसकी काश्त की उपज का पैसा आता है··

**श्री सांवरमल मोर** : सभापति महोदय, समय हो गया है।

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26-3-77 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे शनिवार दिनांक 25 मार्च, 1977 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

राज्य में निम्न तहसील मुख्यालयों पर न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय नहीं हैं:—

| जिला | तहसील | जिला | तहसील |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. अजमेर | 1. सरवाड़ | 9. चित्तौड़गढ़ | 1. गंगरार |
| 2. अलवर | 1. बान्सूर | | 2. राशमी |
| | 2. मण्डावर | | 3. बड़ीसादड़ी |
| | 3. रामगढ़ | | 4. भूदेसर |
| 3. बांसवाड़ा | 1. गढ़ी | | 5. डूंगला |
| | 2. घाटोल | 10. चूरू | 1. तारानगर |
| | 3. बागीडोरा | | 2. डूंगरगढ़ |
| 4. बाड़मेर | 1. पचपदरा | | 3. सुजानगढ़ |
| | 2. सिवाना | 11. डूंगरपुर | 1. आसपुर |
| | 3. चौहटन | 12. गंगानगर | 1. शादुलशहर |
| | 4. शिव | | 2. टीबी |
| 5. भरतपुर | 1. रूपवास | | 3. संगरिया |
| | 2. वैर | | 4. पदमपुर |
| | 3. नदबई | | 5. अनूपगढ़ |
| | 4. कामां | 13. जयपुर | 1. आमेर |
| | 5. नगर | | 2. जमुवा रामगढ़ |
| | 6. बसेड़ी | | 3. बसवा |
| | 7. राजाखेड़ा | | 4. लालसोट |
| 6. भीलवाड़ा | 1. माण्डल | | 5. सिकराय |
| | 2. बनेड़ा | | 6. बस्सी |
| | 3. रायपुर | | 7. चाकसू |
| | 4. आसिन्द | | 8. सांगानेर |
| | 5. हुरड़ा | | 9. विराटनगर |
| | 6. कोटरी | | 10. दूदू |
| 7. बीकानेर | 1. लूनकरणसर | | 11. फागी |
| | 2. मगरा (कोलायत) | 14. जालौर | 1. आहोर |
| | 3. नोखा | 15. झालावाड़ | 1. खानपुर |
| 8. बूंदी | 1. केशोरायपाटन | | 2. गंगधार |
| | 2. हिण्डोली | | 3. झालरापाटन |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | 4. पंचपहाड़ |
| | 5. पिरावा |
| 16. झुन्झुनूं | 1. उदयपुरवाटी |
| 17. जोधपुर | 1. शेरगढ़ |
| | 2. ओसियां |
| 18. कोटा | 1. किशनगंज |
| | 2. मांगरोल |
| | 3. शाहबाद |
| | 4. छीपाबड़ोद |
| | 5. सांगोद |
| | 6. दिगोद |
| | 7. लाडपुरा |
| | 8. पीपलदा |
| 19. नागौर | 1. लाडनूं |
| | 2. डेगाना |
| | 3. जायल |
| 20. पाली | 1. रायपुर |
| | 2. खारची |
| 21. सवाई माधोपुर | 1. बामनवास |
| | 2. नादौती |
| | 3. महुवा |
| | 4. टोडाभीम |
| | 5. सपोटरा |
| | 6. बोंली |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | 7. खण्डार |
| 22. सीकर | 1. लक्ष्मणगढ़ |
| | 2. दांतारामगढ़ |
| 23. सिरोही | 1. पिण्डवाड़ा |
| | 2. रेवदर |
| | 3. शिवगंज |
| 24. टोंक | 1. देवली |
| | 2. टोडारायसिंह |
| | 3. निवाई |
| | 4. उनियारा |
| 25. उदयपुर | 1. देवगढ़ |
| | 2. कोटड़ा |
| | 3. फलासिया |
| | 4. आमेट |
| | 5. कुम्भलगढ़ |
| | 6. रेलमगरा |
| | 7. खैरवाड़ा |
| | 8. सरोदा |
| | 9. गोगुन्दा |
| | 10. लसाड़िया (धरियावाद) |
| | 11. वल्लभनगर |
| | 12. झाडोल |

# Page No 95



(95)

## परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची)

पंचायत समिति विराटनगर जिला जयपुर के विभिन्न पोटेन्शियल जोनवाइज ग्रामों की

**जोन 'ए'**

1. बहुरोद
2. बगवास अहिरन
3. किशनपुर
4. जयसिंहपुरा
5. बादुकावास
6. देवली
7. बड़ शाहपुरा
8. मकराना
9. रघुनाथपुरा
10. ब्रह्मपुरा
11. मुहारा
12. चकमहजफरपुरा
13. बंध मजापुरपुरा
14. बीलावास
15. छतरपुरा
16. बरूउदयसिंह
17. लुहाकना खुर्द
18. घुलकोट
19. जवानपुरा
20. छापराकलां
21. छापरा खुर्द
22. गोविन्दपुरा छपाई
23. बसरीनगेशपुरा
24. रामपुरा
25. बगवास चौरासी
26. सूरजपुरा
27. पालरी
28. भेसर
29. बभाज
30. मेर
31. बहपुर
32. बड़ादिया
33. रामसिंहपुरा
34. बरबारा
35. धमलोदा
36. भिन्दोर
37. कल्याणपुरा
38. सरी किशनपुरा
39. घिवाटा
40. पवाटा
41. ललाधा
42. प्रागपुरा
43. जोधपुरा
44. किरदोद
45. कल्याणपुरा
46. आशपुरा
47. भारावास
48. लारावास
49. तुलसीपुरा
50. भाकरी
51. मन्धा
52. पचोदसा
53. ठिकरीया

**जोन 'बी'**

1. ब्रह्मेला
2. निमली
3. ममरू
4. मतवास
5. बजेकलां

6. मापोद
7. पनोदा
8. बखेड़ा
9. टेवाड़ी
10. जोधुला
11. गलावास
12. मताना
13. तलका बिजावास
14. बेजनापपुर
15. बेरकी
16. टोरडी

जोन 'सी'

1. मोथाना
2. पपाड़ी
3. गोपीपुरा
4. इस्माइलपुरा
5. पापड़ा
6. चौकरोरावाड़ी
7. धाक खरड़ा
8. बेरठ
9. मुजा
10. खेलना

जोन 'डी'

1. भोजपुरा
2. बीलवाड़ी
3. नारंगपुरा
4. मुकदेला

# परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची)

नागौर जिले के नगरों में इम्प्रूवमेन्ट आफ वेल्स एवं बोर-होल के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में आवंटित राशि का विवरण :—

| शहर का नाम | इम्प्रूवमेन्ट आफ वेल्स | बोर-होल |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. नागौर | 0.49 | — |
| 2. मेड़ता सिटी | 0.30 | — |
| 3. डीडवाना | 0.20 | 0.60 |
| 4. लाडनूं | 0.10 | — |
| 5. कुचामन रोड | 0.10 | — |
| 6. कुचामन सिटी | 0.10 | — |
| 7. परबतसर | 0.05 | — |
| 8. मकराना | 0.15 | — |

## परिशिष्ट संख्या 4

( तारांकित प्रश्न सं. 17 की सूची )

नगरपालिका पिड़ावा मीटिंगों में उपस्थिति तालिका 13-9-76 से 22-2-77

| क्रमांक | नाम सदस्य | पद | 13-9-76 | 29-9-76 | 26-10-76 | 22-11-76 | 29-11-76 | 20-12-76 | 19-1-77 | 25-1-77 | 2-2-77 | 14-2-77 | 22-2-77 | कुल मीटिंग | कुल उपस्थिति | अनुपस्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | श्री विरदीचन्द जैन | अध्यक्ष | हां | हां* | हां | हां* | हां | हां* | हां | हां* | हां* | हां* | हां* | 11 | 11 | — |
| 2. | श्री गोवर्धनदास | उपाध्यक्ष | हां | — | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | 11 | 10 | 1 |
| 3. | श्री रुस्तम खां | सदस्य | हां | — | हां | — | हां | हां | हां | हां | हां | — | — | 11 | 7 | 4 |
| 4. | श्री कल्याण मल | सदस्य | हां | — | हां | — | हां | हां | हां | हां | — | — | हां | 11 | 7 | 4 |
| 5. | श्री बाल [illegible] | सदस्य | हां | — | हां | हां | — | हां | हां | हां | हां | — | हां | 11 | 8 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | श्री सईद अहमद | सदस्य | हां | हां | हां | – | हां | – | – | – | हां | हां | – | 11 | 6 | 5 |
| 7. | श्री नेमीचन्द जैन | सदस्य | हां | हां | हां | – | हां | हां | – | – | हां | हां | हां | 11 | 8 | 3 |
| 8. | श्री भैरूलाल | सदस्य | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | 11 | 11 | – |
| 9. | श्री नफीस अहमद खां | सदस्य | – | – | – | हां | – | हां | हां | हां | हां | – | – | 11 | 5 | 6 |
| 10. | श्री मसूहुद अहमदखां | सदस्य | – | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | – | 11 | 10 | 1 |
| 11. | श्रीमती चन्द्रमुखी बाई | सदस्या | – | – | – | हां | – | – | – | – | – | – | हां | 11 | 2 | 9 |
| 12. | श्रीमती रतनबाई | सदस्या | – | – | – | हां | – | – | – | – | – | – | हां | 11 | 2 | 9 |
| | योग उपस्थित सदस्य | | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | | | |

नोट–*ये निशान विशेष मीटिंग को दर्शाता है।
बिना निशान की मीटिंग साधारण है।